खण्ड-256, अंक-2
मंगलवार, 9 चैत्र, शक संवत् 1887
(30 मार्च, 1965 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 256 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६५

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	१०५–१०६
प्रश्नोत्तर	१०६–१४१
गोंडा जिले में भगवानपुर सरोवर के बैरेज की दीवार फट जाने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना	१४२
नियम ५२ के अन्तर्गत अन्य सूचनायें	१४
कतिपय विषय	१४२–१४३
विधान सभा से अवकाश के लिये श्री छांगुर की प्रार्थना (स्वीकृत) ..	१४३
१९६४ के रेफरेंस संख्या १ पर उच्चतम न्यायालय द्वारा व्यक्त मत के सम्बन्ध में संकल्प (जारी)	१४४–२०५
उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, १९६५ (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	२०६
हिन्दी को रोमन लिपि में पढ़ाये जाने और हिन्दी माध्यम में शिक्षा दिये जाने के विषय पर नियम ५० के अन्तर्गत चर्चा	२०६–२१२
नत्थियां	२१३–२२५

विधान भवन

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, ३० मार्च, १९६५

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदनमोहन वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—३४९

अक्षयवरसिंह, श्री
अखण्डप्रतापसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनीसुरंहमान, श्री
अब्दुल बशीर खां, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अयोध्याप्रसाद, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अवधेशप्रताप, राजा
अहमद बख्श, श्री
आनन्दसिंह, कुंवर
इन्द्रपाल, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उग्रसेन, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उल्फतसिंह यादव, श्री
ऊदल, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओंकारनाथ द्विवेदी, श्री
कंघईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्पनार्थसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
(उपनाम छुन्नन गुरु)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा बेगम, श्रीमती
कुमार करुणा कृष्ण नायर, श्री
कृष्णचन्द, श्री
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णा, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशभान, श्री
केशरीप्रसाद पांडेय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री

गयाप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (बिजनौर)
गुप्तारसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबलीसिंह, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशप्रसाद पांडेय, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट, श्री
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयगोपाल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम बक्कन)
जुगलकिशोर, आचार्य
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखण्डेराय, श्री
झिलमिटराम, श्री
टम्बेश्वरप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजसिंह, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवीदत्त, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
दौलतलाल, श्री
द्वारकाप्रसाद पांडेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरसिंहनारायण पांडेय, श्री
नरेन्द्रसिंह, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पांडेय, श्री
नियाज हसन खान, श्री
नियामतुल्ला अन्सारी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
पंचमदास, श्री
परमाईलाल, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पितईराम, श्री
पुरुषोत्तमलाल बघवार, श्री (राजाजी)
पूरनलाल, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसिंह, श्री
फूलसिंह, श्री
बंकटासिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री

बद्रीप्रसाद, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बन्बनसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बसन्तसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्दुभूषणप्रतापसिंह, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजभूषणशरण, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वर सहाय, श्री
बैघनराम, श्री
बेदराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह बैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास बरनवाल, श्री
भगवानदास यादवेन्दु, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवान सहाय, श्री
भगौतीदीन, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
भूपसिंह, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधवप्रसाद त्रिपाठी, श्री
माधोनारायण मुद्गल, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुमताज मुहम्मद खां, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मैनेजरसिंह, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशपालसिंह वर्मा, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रसिंह, श्री (लल्लन जी)
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीरसहाय कँवर, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रमाकान्त सिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण मिश्र, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रसिंह, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामआधार कनौजिया, श्री
रामआधीनसिंह, श्री
रामआनन्त पांडेय, श्री
रामआवध, श्री
रामआसरे वर्मा, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री

रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरती, श्रीमती
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामलाल, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (एटा)
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लोकपालसिंह, श्री
विशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
विक्रमशाह, राजा
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयकुमार, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव', श्री
विश्वनाथ प्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शान्तिचन्द्र शुक्ल, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शिब्बनलाल सक्सेना, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्रद्धादेवी, कुमारी
श्रीनिवास, श्री
श्रीपत मिश्र, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सत्यवीर कुंवर, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सालिग्राम जैसवाल, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुचेता कृपालानी, श्रीमती
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजनराम विशारद, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सूबेदारसिंह, श्री

सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिनाथ तिवारी एडवोकेट, श्री
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेतरामसिंह, श्री
हेमराज, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट—गृह मंत्री, श्री हरगोविन्दसिंह तथा वित्त मंत्री, श्री कैलाशप्रकाश भी उपस्थित थे ।

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, ३० मार्च, १९६५

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

श्री प्रतापनारायण, अवैतनिक स्पेशल मैजिस्ट्रेट, आगरा के घर स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम के अन्तर्गत तलाशी

**१—श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

क्या यह सत्य है कि श्री प्रतापनारायण, अवैतनिक स्पेशल मैजिस्ट्रेट, आगरा, पर सोना नियंत्रण अधिनियम के अन्तर्गत १५ हजार रुपया जुर्माना किया गया तथा सोना जब्त कर लिया गया ?

वित्त उप मंत्री (श्री जयराम वर्मा)—

जी नहीं ।

**२—श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या यह सत्य है कि उपरोक्त दंड के बावजूद उपरोक्त मैजिस्ट्रेट अपने पद पर अभी बने हुए हैं ?

**३—क्या सरकार उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही करने को तैयार है ?

श्री जयराम वर्मा—

प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो रेड किया गया उसमें इनका कोई रुपया जब्त किया गया ?

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)—

जिलाधीश की रिपोर्ट से मालूम होता है कि उनका कोई रुपया जब्त नहीं किया गया । बाद में सब वापस हो गया ।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

कितना रुपया वापस किया गया ?

श्री सैयद अली जहीर—

६९,५१७ रुपये इनके यहां से निकले थे। रिपोर्ट से मालूम होता है कि कुल रुपया वापस कर दिया गया।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

जिस आदमी की इंटीग्रीटी पब्लिक में डाउटेड हो उसे ऐसे पद पर रखना कहां तक उचित है ?

श्री सैयद अली जहीर—

ऐसी शिकायतों की हम जांच कराते हैं और अगर कहीं जरा भी इंटीग्रिटी डाउटेड हो तो हम उन्हें अलग कर देते हैं।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या मंत्री जी जांच करायेंगे कि यह ६९ या ७० हजार रुपया उनके पास कहां से आया ?

श्री अध्यक्ष—

जांच के बाद ही तो वापस हुआ।

श्री छत्रपति अम्बेश (जिला आगरा)—

क्या उनके खिलाफ शिकायतें इसलिये की गईं कि वह एक स्कूल के मैनेजर थे जिसका १ लाख कर्जा उन्होंने चुकाया ? और शिकायत दुश्मनी से की गई और क्या यह सही है कि कलेक्टर ने यह समझा कि इनकी इंटीग्रिटी इतनी सुन्दर है कि आगरे में जो केस किसी को नहीं दिये जा सकते थे वे इन्हें दिये जाते थे ?

श्री सैयद अली जहीर—

कलेक्टर की रिपोर्ट इनके मुताल्लिक बहुत अच्छे अल्फाज में है। उन्होंने कहा है कि इतना ईमानदार हैसियतवाला और काम करने वाला आदमी आगरे में कोई दूसरा मिलना मुश्किल है।

श्री झारखण्डे राय (जिला आजमगढ़)—

इनके खिलाफ किस प्रकार की शिकायतें मिलीं ?

श्री सैयद अली जहीर—

सोना निकलने की शिकायत गोल्ड कंट्रोल आर्डर में थी और उसकी तहकीकात हुई।

श्री छत्रपति अम्बेश—

क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि सबसे हायस्ट इन्कम टैक्स आगरे में ये देते हैं ?

श्री सैयद अली जहीर—

मुझे मालूम नहीं है।

श्री बालोजी अग्रवाल (जिला आगरा)—

क्या मंत्री जी जांच करायेंगे कि इनकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है और इनको बदनाम करने के लिये नाजायज रेड कराया गया ?

श्री सैयद अली जहीर—

जैसा मैंने कहा, रुपया उन्हें वापस कर दिया गया।

श्री झारखण्डेराय—

मैंने यह पूछा था कि उनके खिलाफ कैसी शिकायतें थीं।

श्री अध्यक्ष—

वह कहते हैं कि गोल्ड कंट्रोल में तलाशी हुयी। शिकायत का सम्बन्ध नहीं है।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

कचहरी में उनके बारे में जजमेंट क्या है ?

श्री सैयद अली जहीर—

केस कचहरी में नहीं बल्कि कलेक्टर, सेन्ट्रल एक्साइज ऐंड कस्टम्स, कानपुर, के यहां था। जजमेंट की कापी बड़ी है, कहां तक पढ़ कर सुनाऊं ?

श्री अध्यक्ष—

ठीक है।

आगरा विश्वविद्यालय की परीक्षायें

**४—श्री बालोजी अग्रवाल, श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़) श्री झारखण्डे राय, श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहांपुर) तथा श्री शराफत हुसैन रिजवी (जिला मुरादाबाद)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सच है कि आगरा विश्वविद्यालय के उपकुलपति ने विश्वविद्यालय से सम्बद्ध परीक्षाओं को कराने के लिये सरकार से सहायता मांगी थी परन्तु सरकार ने सहायता देने से मना कर दिया और इसलिये विश्वविद्यालय की परीक्षायें अनिश्चितकाल के लिये स्थगित कर दी ?

वित्त मंत्री (श्री कैलाशप्रकाश)—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री शराफत हुसैन रिजवी—

अब जब टीचर्स की हड़ताल खत्म हो गई और पूरे प्रदेश में माहौल अच्छा बन गया है, तो ये परीक्षायें कब होंगी ?

श्री कैलाशप्रकाश—

नोटिस चाहिये।

प्लानिंग कमीशन

**५—श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वह उत्तर प्रदेश में, दूसरे कुछ प्रदेशों के समान, अपना एक प्लानिंग कमीशन स्थापित करने पर शीघ्र से शीघ्र ध्यान देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

विद्युत् उप मंत्री (श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा)—

इस प्रदेश में कोई प्लानिंग कमीशन स्थापित करने का विचार सरकार के सामने नहीं है। सरकार नियोजन विभाग के मौजूदा संगठन को काफी समझती है।

**६—श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जबकि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना बनाई जा रही है और मुकम्मिल होने के करीब है तो उसके सम्बन्ध में विधायकों एवं जिला परिषदों से सरकार ने अब तक क्यों कोई राय नहीं ली और परामर्श नहीं किया गया ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

अभी चौथी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा (outline) बनाने में काफी समय लगेगा। इस समय चौथी पंचवर्षीय योजना के सम्बन्ध में विशेषज्ञ (expert) स्तर पर विचार हो रहा है। इस विचार के बाद ही रूप-रेखा तैयार हो सकेगी और उस समय सरकार अवश्य चौथी पंचवर्षीय योजना के मसौदे (draft) को विधान सभा के समक्ष विचार के लिये रखेगी।

श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या माननीय मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस बात को देखते हुए कि आज नियोजन से जनता का विश्वास उठता सा जा रहा है, क्या वह इसके महत्व पर विचार करेगी कि प्रदेश में एक प्लानिंग कमीशन या बोर्ड स्थापित किया जाय ताकि वह हमारी योजनाओं का बराबर जायजा लेता रहे और अपना मश्विरा देता रहे और योजना बनाता भी रहे ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

सरकार इस बात से सहमत नहीं है कि नियोजन में जनता की श्रद्धा नहीं है या विश्वास उठता जा रहा है। मौजूदा नियोजन विभाग को सरकार इसके कार्य के लिये काफी समझती है।

श्री मुमताज मुहम्मद खां—

जब कई हमसे छोटे राज्यों में प्लानिंग कमीशन इस किस्म के बोर्ड हैं और इस प्रदेश में माननीय गुप्ता जी के जमाने में इस पर विचार किया गया था, तो फिर अब इसमें सरकार को क्या दिक्कत है, ताकि एक जन संपर्क पैदा हो और अच्छे किस्म की योजनायें बनें ?

मुख्य मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)—

एक समय था जब प्लानिंग कमीशन ने ही हम लोगों को प्लानिंग बोर्ड बनाने की राय दी थी। कुछ स्टेटों में ऐसी बाडी बनी भी हैं, जिनका कहीं कैबीनेट सब कमेटी का रूप है और उड़ीसा में नान आफिशियल चेयरमैनशिप में बना था। लेकिन वह खास परिस्थितियों में था, उसमें ज्यादा कंसीडरेशन राजनीतिक था। अब प्लानिंग कमीशन के मेम्बरों के साथ हमने बात की और उन लोगों की राय है कि अलग बोर्ड बना कर काम में ज्यादा प्रगति नहीं होगी। ज्यादा अच्छा यह है कि विशेषज्ञों की छोटी-छोटी कमेटीज हों। हम लोगों ने स्टडी टीम्स बनाई हुई हैं जो इसका काम देखती हैं।

श्री कल्पनार्थसिंह (जिला गोरखपुर)—

जैसा कि अभी कहा गया कि जनता का विश्वास प्लानिंग पर ज्यादा है, तो क्या उस विश्वास को और ज्यादा बढ़ाने और दृढ़ करने के लिए जो, प्राविधिक स्तर पर चतुर्थ पंचवर्षीय योजना बनायी जा रही है उसे जनप्रतिनिधियों से भी राय लेकर और मजबूत करने की दिशा में माननीय मुख्य मंत्री जी कोई कोशिश करने जा रही हैं ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

जन-प्रतिनिधियों से तो जरूर सलाह लेंगे। गांव सभा लेविल पर गांव सभा में विचार होगा, उसके बाद ब्लाक लेविल पर ब्लाक में होगा। फिर जिला परिषद् उसको देखेगी और जिला परिषद् से वह जब हमारे यहां आयगी तो आप लोग देखेंगे जो कि जनता के सबसे बड़े प्रतिनिधि हैं।

श्री काशीनाथ मिश्र--

जैसा कि मुख्य मंत्री जी ने कहा कि प्लांनिग बोर्ड की स्थापना नहीं होगी कई बातों को देखते हुए और विरोधी पक्ष के लोग भी इससे सहमत हैं, तो में जानना चाहता हूं कि जब प्लांनिग बोर्ड की स्थापना नहीं होगी तो जो लोग विरोधी पक्ष से सरकारी पार्टी में गये हैं उनका क्या होगा ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

यह तो कुछ विषयान्तर सा लगता है, प्रश्न की रेशनालिटी कुछ मेरी समझ में नहीं आयी।

श्रीमती सुशीला रोहतगी (जिला कानपुर)—

यह देखते हुए कि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश अपने देश में है और यहां का पर कैपिटा इन्वेस्टमेंट सबसे कम है जबकि यहां की आवश्यकतायें सब से ज्यादा हैं जिनको पूरा करके ही हम और प्रदेशों के मुकाबिले में फिफ्थ और सिक्स्थ पंचवर्षीय योजनाओं में उनके साथ-साथ चल सकते हैं तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए क्या कोई एक ईवेल्यूएशन परपजेज के लिए प्लांनिग कमीशन बनाने की कृपा माननीय मुख्य मंत्री जी करेंगी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

ईवेल्यूएशन में कुछ काम अब भी होता है। मगर मैं भी समझ रही हूं कि ईवेल्यूएशन की मशीनरी हमारी और मजबूत होनी चाहिए। इस संबंध में पी० आर० ए० आई० के अन्दर ईवेल्यूएशन का सेल और अच्छा बनाने की बात सोची जा रही है।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—

माननीय मुख्य मंत्री जी मेरे इस सुझाव पर विचार करने को तैयार हैं कि प्लांनिग कमेटी तो नहीं लेकिन एक टेक्निकल को-आर्डिनेटिंग कमेटी बनायी जाय, जैसा कि आपने कहा कि हर विभाग में एक टेक्निकल कमेटी हो तो एक टेक्निकल को-आर्डिनेटिंग कमेटी हो जो कि इस बात को देखे कि एक नियोजित विकास सब विभागों का हो, ऐसी कमेटी बनाने पर वह विचार कर रही है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

इसके बारे में कोई विचार नहीं हो रहा है। अगर जरूरत समझेंगे तो विचार करेंगे।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)—

मान्यवर, यह देखते हुए कि नियोजन का काम बढ़ता जा रहा है और उसके लिए आवश्यक हो रहा है कि दिन प्रति दिन उसका ईवेल्यूएशन कराया जाय, तो इसके लिए सदन के सदस्यों की एक उपसमिति वह बनायेंगी जिससे यह कार्य सुचारु रूप से हो सके ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

समिति बनाने की जरूरत नहीं है। हमने तो यह कहा कि इस काम को हमारे बड़े-बड़े जो एकोनामिस्ट हैं वह देख रहे हैं। इसके बाद जब यह जिला स्तर से यहां आ जायगी तो तमाम सदन ही इसको देखेगा।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

मैं तो इस सदन की एक उप समिति चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

वह कह रहे हैं कि ऐसा विचार नहीं है।

श्री झारखण्डेराय--

अभी माननीय मुख्य मंत्री जी ने उत्तर दिया है कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना पर एक्सपर्ट लेविल पर विचार हो रहा है, तो क्या इसी के साथ-साथ जबकि ऊपर के लेविल पर इस पर विचार हो रहा है, नीचे के लेविल ग्राम सभा, ब्लाक और जिला परिषद् के स्तर से योजनाओं की मांग और उसके संबंध में उनके सुझाव लेने की कृपा वह करेंगी ताकि दोनों के समन्वय और मेल से योजनायें बनें और वह ज्यादा पापुलर हों, जनप्रिय हों तथा सफल हों ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--

दोनों बातें हैं। ऊपर के लेविल पर तो यह विचार हो रहा है कि कितना रुपया खर्च होगा, कहां से रुपया आयेंगा और नीचे के लेविल पर यह देखा जा रहा है कि कौन-कौन से काम किस-किस गांव में करना चाहते हैं और उसमें से कौन सा काम अपने श्रमदान से या अपने रिर्सोसेज से वह करेंगे और कौन से काम हैं कि जिनके लिए यहां से रुपये की आवश्यकता होगी। यह ग्राम लेविल पर देखा जा रहा है।

श्री रामायण राय (जिला देवरिया)--

क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि जिन राज्यों में प्लानिंग कमीशन किसी न किसी रूप में बन गया है, विशेष परिस्थिति में या किन्हीं कारणों से, उन राज्यों का यह अनुभव हुआ है कि जिन उद्देश्यों को लेकर प्लानिंग कमीशन बनाया जाता वह उनको पूरा करने में सहायक नहीं सिद्ध हुआ है, ऐसी कुछ जानकारी है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--

दूसरे प्रांतों के बारे में तो बताना हमारे लिए ठीक नहीं है लेकिन कोई ऐसा प्लानिंग कमीशन या बोर्ड नहीं है, बल्कि कैबिनेट की एक ऐडवाइजरी कमेटी है।

श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी)--

माननीय मंत्री जी ने कहा कि चौथी योजना का मसविदा विधान सभा में रखा जायगा। इसके अतिरिक्त क्या यह राज्य की चाथी योजना हमारी आवश्यकताओं के अनुकूल हो इसके लिए उन विभागों से एक प्रश्नावली जो विकास से संबंधित हैं तैयार की जायगी और उस पर विधायकों का सुझाव लेने की कृपा की जायगी ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--

मैंने कहा कि अब यह देखा जा रहा है, इसके बाद जब मसविदा बन जायग तो विधान सभा के सामने जरूर रखा जायगा।

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा व पिथौरागढ़)--

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी को विदित है कि उत्तराखंड डिवीजन म ईवेल्यूएशन का काम एक साल से नहीं हुआ ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--

मेरी तो ऐसी सूचना नहीं है। आप ज्यादा जानते होंगे, वहां के विधायक होंने के नाते।

श्री मुमताज मुहम्मद खां--

जैसा मंत्री जी ने कहा कि विशेषज्ञ स्तर पर चौथी योजना की रूपरेखा बनाई जा रही है, तो क्या यह आवश्यक नहीं है कि रूपरेखा के बनाते समय भी विधायकों, जिला परिषदों या ब्लाक लेबिल पर जन प्रतिनिधि से परामर्श लिया जाय ताकि उस रूपरेखा के बनाने में उनका भी कंट्रोब्यूशन हो, क्योंकि विशेषज्ञों को प्रेक्टिकल इंक्सपीरियंस नहीं हो सकता ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

फाइनल करने से पहले सब स्तर पर जन-प्रतिनिधियों से पूरी-पूरी राय ली जायगी। अभी यह अन्दाज किया जा रहा है कि प्लान का साइज कितना होगा। इसका आइडिया हो जाय उसके बाद ही हम लोग बैठकर विचार करेंगे। और हम स्वयं चाहते हैं कि जन प्रतिनिधियों की राय लेकर ही प्लान बने।

तारांकित प्रश्न

फरेंदा ग्रुप में नलकूप नम्बर १० से गन्ने की सिंचाई

*१—श्री उग्रसन (जिला देवरिया)—

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय नलकूप नं० १०, फरेंदा, गोरखपुर, पर गन्ने की आबपाशी क्रमानुसार सन् १९६१ से अब तक कितनी हुई है? क्या आबपाशी में प्रति वर्ष वृद्धि होती है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

इस नलकूप पर गन्ने की आबपाशी जो सन् १९६१ से अब तक हुई उसका विवरण संलग्न सूची में दिया गया है। आबपाशी में वृद्धि नहीं हुई है। इसका मुख्य कारण यह है कि इस नलकूप क्षेत्र में कृषक गन्ने की खेती कम करते हैं।

(देखिए न त्थी 'क' आगे पृष्ठ २१३ पर)

श्री उग्रसेन—

श्रीमन्, मंत्री जी ने बताया कि नलकूप नंबर १० (फरेंदा-गोरखपुर) से ६०–६१ में दो एकड़, ६१–६२ में दो एकड़ और ६४–६५ में एक एकड़ की सिंचाई हुई और बाकी में कुछ नहीं हुआ; तो मैं जानना चाहता हूं कि कितना गन्ना इस नलकूप के अधिकृत क्षेत्र में था और पांच साल में कुल मिलाकर ५ एकड़ की सिंचाई हुई, अतः मंत्री जी यह भी बतावें कि कितना गन्ना बोया गया?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

१९६०–६१ में ३ एकड़ गन्ना बोया गया जिसमें दो एकड़ में सिंचाई की गई। ६१–६२ में चार एकड़ में से दो एकड़ में सिंचाई की गई। ६२–६३ में दो एकड़ में गन्ना बोया गया जबकि उस साल वर्षा हो गई इसलिए कोई सिंचाई नहीं हुई और ६४–६५ में १.७ एकड़ गन्ना बोया गया था जिसमें से एक एकड़ की सिंचाई हुई।

श्री उग्रसेन—

माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि उस नलकूप का पानी दूसरी फसलों की सिंचाई के लिए कतने क्षेत्रफल में दिया गया?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

मैं टोटल बताता हूं—१९६४–६५ में १४६ एकड़, ६३–६४ में ११३, ६२–६३ में १४६, ६१–६२ में ११३, और ६०-६१ में १०६ एकड़ रकबे की सिंचाई हुई।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

या मंत्री जी बतायेंगे कि जहां यह नलकूप बना है, वहां पर बहुत से निजी नलकूप काम करते हैं जिसकी वजह से इस नलकूप के सिंचित क्षेत्र में कमी हो गई है?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

मेरें पास तो ऐसी सूचना नहीं है बल्कि मुझे तो यही मालूम है कि यह ट्यूबवैल इतनी सिंचाई करता है ।

श्री उग्रसेन—

मंत्री जी बतायेंगे कि क्या उनको इस बात की सूचना है कि यह ट्यूबवैल साल में काफी दिन बिगड़ा रहता है और इसी कारण एक हजार एकड़ के अधिकृत क्षेत्र में से ११३ एकड़ में सिंचाई हुई थी, तो मैं जानना चाहता हूं कि इन वर्षों में कितनी बार इस ट्यूबवैल के बिगड़ने और मोटर जलने की सूचना मिली ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

बिगड़ने की सूचना मेरे पास नहीं है । लेकिन सिंचाई इससे ज्यादा हो सकती थी, जिसके लिए मैं चाहूंगा कि माननीय सदस्य अपने क्षेत्र में प्रयास करें ।

गोरखपुर क्षेत्र में पतरौल तथा नलकूप चालक

*२—श्री उग्रसेन—

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नलकूप डिवीजन गोरखपुर में कुल कितने पतरौल और ट्यूबवैल आपरेटर हैं ? उसमें कितने को रेकार्ड रखने के लिए स्टील बक्स मिले हैं और कितनों को नहीं मिले हैं और न मिलने का अब तक क्या कारण है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

नलकूप खंड गोरखपुर में १२ पतरौल और २१६ नलकूप चालक काम कर रहे हैं । १२ पतरौलों को रिकार्ड रखने के लिए स्टील बाक्स मिले हुए हैं । नलकूप चालकों को स्टील बक्स देने का कोई नियम नहीं है ।

*३—श्री उग्रसेन—

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नलकूप डिवीजन गोरखपुर में कितने आपरेटरों का बकाया सन् १९५६ से १९५७ तक का अब तक नहीं मिला है और न मिलने का क्या कारण है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

इस खंड में १४ नलकूप चालकों का बकाया वेतन सन् १९५६ से १९५८ तक का शेष है, जिसके भुगतान न होने के कारण संलग्न है ।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ २१४ पर)

श्री उग्रसेन—

मंत्री जी बतायेंगे कि १२ पतरौलों को लोहे का बाक्स दिया गया है, लेकिन २१६ नलकूप चालकों को नहीं दिया गया है और कहते हैं कि नियम नहीं है, तो जब नियम नहीं है, इसलिए नलकूप चालक अपने कागजात कहां रखते हैं ?

श्री अध्यक्ष—

सुझाव यह है कि उनको भी दिया जाय ।

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

अभी तक तो ऐसा नियम नहीं है ।

श्री उग्रसेन—

क्या बाधा है ?

श्री अध्यक्ष—

माननीय मंत्री जी इस पर विचार कर लीजिएगा ।

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

जी हां ।

श्री उग्रसेन—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि १४ नलकूप चालकों का जो वेतन बकाया है उसका कारण आपने दिया है कि अधीक्षक अभियंता के पास मामला विचाराधीन है, तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या विचाराधीन है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

मैं इस जवाब से संतुष्ट नहीं हूं और मैंने स्वयं कहा है कि जल्दी से जल्दी भुगतान कर दिया जाय । विभाग की यह अच्छी बात नहीं है कि इतने दिनों तक लोगों को रुपया न दिया जाय ।

नौगढ़ ताल्लुका में कुलाबे का विस्तार

*४—श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील चकिया, जिला वाराणसी, के नौगढ़ तालुका के गांव ठटवां, हनुमानपुर, ललितपुर, मैंसोड़ा की सिंचाई हेतु एक माइनर कुंडा रजबहा से निकालने पर विचार करेंगे ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

तहसील चकिया, जिला वाराणसी, के नौगढ़ तालुका के गांव ठटवां व ललितपुर की सींच कूड़ा राजवाहा के कुलावा नं० ६९ से होती है और हनुमानपुर व मैंसोड़ा ग्रामों को सिंचाई-सुविधा देने हेतु इस कुलावे का विस्तार गूलों द्वारा किया जा रहा है ।

श्री ऊदल—

यह जो ६९ नं० के कुलाबे के विस्तार करने पर विचार किया जा रहा है, यह विचार कब तक खत्म हो जायगा ? क्या यह कुलाबा आइन्दा साल तक पूरा हो जायगा ?

श्री शांति प्रपन्न शर्मा—

यह कहना तो मुमकिन नहीं है कि कल तक हो जायगा लेकिन यह आदेश दे दिये गये हैं कि गूलों का निर्माण शीघ्र किया जाय जिससे सिंचाई हो सके ।

श्री ऊदल—

इसी के पास दो गांव—नर्बदापुर और मझगवां में भी आधी सिंचाई होती है, तो क्या माननीय मंत्री जी इन गांवों में भी कुलाबों का विस्तार करायेंगे ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

गूलों के बनाने का काम तो कायदे से गांव वालों का है । अगर वे नहीं करेंगे तो हम करा ही देंगे ।

*५–६—श्री ऊदल—

[हटा दिये गये ।]

बलिया–बरौली–घोसी मार्ग पर बस सर्विस

*७—श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बलिया, बरौली, घोसी (आजमगढ़) रूट पर प्राइवेट मोटर (यात्री बस) चलाने की परमिट किन-किन व्यक्तियों को और कब-कब दी गई ?

श्री मुजफ्फर हुसन—

सूचना संलग्न है ।

(देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ २१५ पर)

*८—श्री रामसुन्दर पांडेय (अनुपस्थित)—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त रूट को सरकार ने कब अपने अधीन किया है और राजकीय बस चलाने का निर्णय लिया है ?

९—क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त रूट पर चलाने वाले प्राइवेट बस मालिकों को मुआवजा कितना-कितना और कब-कब दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुजफ्फर हुसन—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

फर्रुखाबाद नहर शाखा पर इनलेट बनाने की प्रार्थना

*१०—श्री राजेन्द्रसिंह (जिला एटा)—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फर्रुखाबाद नहर शाखा के मील ३० फर्लांग ४–५ पर इनलेट बनाने के संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

फर्रुखाबाद शाखा के मील ३० फर्लांग ४–५ पर इनलेट बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

*११—श्री राजेन्द्रसिंह—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया यह भी बतायेंगे कि यदि प्रस्तावित स्थान पर इनलेट देना उपयुक्त न हो तो ग्राम गढ़िया के बरसाती पानी को निकालने हेतु फर्रुखाबाद नहर शाखा के मील ३० के फर्लांग ४–५ के बजाय ५–६ में जांच कराके स्थायी इनलेट देने की कृपा करेंगे ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

फर्रुखाबाद शाखा के मील ३० फर्लांग ५–६ पर भी कोई इनलेट नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि फर्रुखाबाद शाखा के पानी का लेविल बरसाती पानी के लेविल से तीन फीट ऊंचा है और बरसाती पानी नहर के चलते हुए शाखा में खारिज नहीं हो सकता ।

श्री राजेन्द्रसिंह—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि सन् ६२ से यह कुलावे अस्थायी रूप से लगे हुए हैं और हर बरसात में वहां का पानी निकाला जाता है, तब यह क्यों कह दिया जाता है कि इनको स्थायी नहीं किया जा सकता ?

श्री शांति प्रपन्न शर्मा—

उनमें से बरसात का पानी तो निकल जाता है लेकिन जब नहर भर कर चलती है तो उसका पानी ज्यादा ऊंचा हो जाता है इसलिए स्थायी इनलेट नहीं बनाये जा सकते।

रोडवेज वर्कशाप बुलन्दशहर

*१२—श्री जसरामसिंह (जिला बुलन्दशहर)—

क्या परिवहन मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि रोडवेज वर्कशाप बुलन्दशहर में कितनी ऐसी गाड़ियां हैं जिनके इंजनों की हालत खराब है ?

खाद्य मंत्री के सभा सचिव (श्री हरीदत्त कांडपाल)—

कोई नहीं।

*१३—श्री जसरामसिंह—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बुलन्दशहर वर्कशाप में अधिकांश गाड़ियों के इंजनों में आवाज पैदा हो गई है जिससे इंजनों की जिंदगी समाप्त होने की संभावना है ? इंजन खराबी पैदा होने की जिम्मेदारी किस पर है, यह कितने मील चल चुके हैं और कितने चलने चाहिए थे ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

ऐसा नहीं है। शेष प्रश्न नहीं उठता।

*१४—श्री जसरामसिंह—

क्या परिवहन मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जिला बुलन्दशहर रोडवेज विभाग के कर्मचारियों को गर्म और ठंडी वर्दी मिल चुकी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

वर्ष १९६४–६५ में सहायक यातायात निरीक्षकों को पूरी ठंडी वर्दी दी जा चुकी है परन्तु कपड़ा कम पड़ जाने के कारण चालकों और परिचालकों को एक ही सेट पहले दिया जा सका। अब दूसरे सेट का वितरण किया जा रहा है। ९ चालकों व ६ परिचालकों को ठंडी वर्दी इसलिए नहीं मिली कि उनकी नियुक्ति वर्दी का कपड़ा बट जाने के बाद हुई थी। गर्म वर्दी का कपड़ा जिनको देय था, सभी को दे दिया गया है।

श्री जसरामसिंह—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि ये बसें कितनी मील चल चुकी हैं क्योंकि जब भी मैंने उनमें सफर किया है मुझे उनको स्टार्ट कराने के लिए खुद धक्का लगाना पड़ा है और मंत्री जी कहते हैं कि बसें खराब नहीं हैं ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

मेरे पास तो सूचना यह है कि इस समय कोई इंजिन खराब नहीं है। पहले खराब रहे होंगे।

श्री जसरामसिंह—

क्या माननीय मंत्री जी इसकी पुनः जांच करायेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

आप उस गाड़ी का नम्बर बता दीजिए।

श्री जसरामसिंह---

ऐसी एक गाड़ी हो तो बता दूं।

श्री उग्रसेन---

क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि बुलन्दशहर से जो गाड़ियां बाहर जाती आती हैं, उनमें से कितनी गाड़ियों की गत तीन महीनों में मरम्मत हुई ?

श्री हरीदत्त कांडपाल--

मेरे पास जो सूचना है उसके अनुसार २६ गाड़ियों का जीर्णोद्धार किया गया।

श्री उग्रसेन---

मन्त्री जी ने कहा कि एक भी गाड़ी खराब नहीं है और पहले उन्होंने कहा कि २६ गाड़ियों का जीर्णोद्धार कराया गया है, तो इन दोनों में से कौन सी बात सही है ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल---

खराब हो जाती हैं, उनकी मरम्मत करायी जाती है, सवाल यह पूछा गया था कि क्या कोई इंजिन खराब है।

श्री अहमद बख्श (जिला मुजफ्फरनगर)---

क्या मन्त्री जी इस बात को सच मानकर इसकी जांच कराने की कृपा करेंगे कि कितनी गाड़ियां बुलन्दशहर में ऐसी हैं जिनको स्टार्ट करने में देर होती है ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल---

कोई ऐसी सूचना नहीं है कि कोई गाड़ी देर में स्टार्ट होती हो।

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)---

मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या मन्त्री जी के पास कोई रपट ऐसी है कि कितने इंजन ऐसे हैं कि जिनमें रेल के बराबर शोर और आवाज न होती हो ?

(उत्तर के लिए मन्त्री जी को नहीं बुलाया गया।)

विकास क्षेत्र औराई में सिंचाई साधनों का अभाव

*१५---श्री हरिगैनराम (जिला वाराणसी) (अनुपस्थित)---

क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जिले के विकास क्षेत्र औराई के अन्तर्गत ग्राम जाठी, गरौली, सुकुलपुर, चकमसूद, पियरोपुर, भमौरा, प्युरीपुर, बहादुरपुर तथा चकराजाराम आदि गांवों को सिंचाई का साधन कोई नहीं है ? क्या सरकार बतायेगी कि इन गांवों की आराजी कुल कितनी है ?

सिंचाई मन्त्री (श्री गिरधारीलाल)---

भमौरा ग्राम को छोड़ कर अन्य गांवों को सिंचाई का राजकीय साधन नहीं है। इन सभी गांवों की कुल आराजी ९०१ एकड़ है।

*१६---श्री हरिगैनराम (अनुपस्थित)---

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले साल सन् १९६३ में जाठी मौजे में नलकूप लगाने हेतु सर्वेक्षण हो चुका है ? यदि हां, तो अब तक नलकूप न लगने का कारण क्या है ?

*१७—क्या सरकार सिंचाई की दिक्कतों को देखते हुये नलकूप शीघ्र लगाने की व्यवस्था करेगी ?

श्री गिरधारीलाल—

जी हां। इस क्षेत्र की सिंचाई के लिए ग्राम गरौली में एक नलकूप का निर्माण आरम्भ हो गया है।

सहारनपुर जिले में बिजली

*१८—श्री रामसिंह (जिला सहारनपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला सहारनपुर में वर्ष १९६५ के जनवरी मास तक कुल कितने ग्रामों में बिजली लगायी गयी है और उस में कौन-कौन ग्राम ऐसे हैं जहां पर हरिजनों की बस्ती में बिजली (स्ट्रीट लाइट) नहीं लगायी गयी है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

१९६५ के जनवरी मास तक सहारनपुर जिले के कुल १४२ स्थानों में बिजली लगायी गयी है जिनके नाम संलग्न सूची में दिये हुये हैं। हरिजन बस्तियों में भी ग्राम के अन्य स्थानों की तरह जहां-जहां पक्के मकान एवं चौड़ी सड़कें हैं और कनेक्शन मिलने की आशा है बिजली की लाइन लगा दी गयी है। जिन ग्रामों में स्थानीय संस्थाओं द्वारा स्ट्रीट लाइट का ऐग्रीमेंट कर लिया गया है उनकी मांग के अनुसार स्ट्रीट लाइट भी लगायी जा रही है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ २१६–२१७ पर।)

श्री रामसिंह (जिला सहारनपुर)—

क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन १४२ गांवों में से कितने गांव ऐसे हैं जहां पर हरिजन बस्तियों में बिजली लगायी गयी है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

मैंने तो यह सूचना अभी दी कि जहां पक्के मकान हैं वहां इस बात का ध्यान तो नहीं रखा जाता कि हरिजन बस्ती है या किस की बस्ती है; बाकी जहां आवश्यकता होती है उस जगह बिजली लगायी जाती है।

श्री रामसिंह (जिला सहारनपुर)—

क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि हमारी यह जानकारी है कि केवल १–२ गांवों को छोड़कर किसी गांव में भी हरिजन बस्ती में बिजली नहीं लगायी गयी है जिससे वहां बड़ा असन्तोष प्राप्त है और दूसरे लोग इस सुविधा का लाभ उठाते हैं और हरिजन बस्ती में खम्भे या स्ट्रीट लाइट नहीं है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

यह काम तो ग्राम सभा वाले करते हैं, अगर कहीं नहीं लगी है और गांव सभा वाले चाहेंगे और वह स्ट्रीट लाइट का खर्च देने को तैयार होंगे, तो हम खम्भे लगाकर बिजली पहुंचा देंगे।

श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा)—

क्या हरिजनों के मोहल्ले में बिजली इसलिए नहीं लगायी जाती क्योंकि सरकार की उन के प्रति उपेक्षा नीति है ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री जसरामसिंह—

क्या मन्त्री जी ऐसे आदेश भेजेंगे कि बिजली लगाते समय हरिजन बस्ती का भी ध्यान रखा जाय ?

श्री गिरधारीलाल—

ऐसे आदेश दिये हुये हैं।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उन्होंने यह आदेश दे दिये हैं कि ग्राम सभाओं में जो स्ट्रीट लाइट लगाते हैं उनसे जो ऐक्चुअल यूनिट्स कन्ज्यूम होते हैं, उतना ही चार्ज होता है या मिनिमम गारन्टी होती है, उसके अनुसार लेते हैं ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

जितने यूनिट्स होंगे उसी के अनुसार चार्ज करेंगे, मिनिमम गारन्टी के आधार पर नहीं। मैंने आदेश दे दिये हैं, और अगर आप के यहां आदेश नहीं पहुंचे हैं तो पहुंच जायेंगे।

श्री अहमद बख्श—

क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो स्ट्रीट लाइट लगाते हैं वे ऐसी जगह पर खंबे लगाते हैं जिस से हरिजन बस्ती वंचित रह जाती है ? तो क्या ऐसी व्यवस्था करने की कृपा करेंगे कि उनकी बस्तियों में भी स्ट्रीट लाइट लग जाय ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

मैंने निवेदन किया कि स्ट्रीट लाइट के लिए बिजली लगवाने का काम गांव सभा का है या लोकल बाडीज का है। जहां जहां वे बताते हैं खंबे लगा दिये जाते हैं।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—

क्या माननीय मन्त्री जी, अन्य व्यवस्थाओं के अनुसार, जैसे जल आदि में है, बिजली में भी ७५ प्रतिशत सबसिडी देकर जहां पर हरिजन बस्तियां हैं, लगवाने की कृपा करेंगे ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

बिजली लगाने का काम इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का है जो सरकार से अलग है। अतः सबसिडी नहीं दी जा सकती है।

श्री ऊदल—

माननीय मन्त्री जी से एक बात जानना चाहता हूं कि जिला गाजीपुर में बहादुरगंज और जंगलीपुर और वाराणसी जिले में बसनी और सिंढौरा, उनमें बिजली लगाते समय कुछ मुहल्ले और बाजार छोड़ दिये जाते हैं। तो क्या माननीय मन्त्री जी इस बात की जांच कराने की कृपा करेंगे कि पूरे बाजार में जहां-जहां बिजली की आवश्यकता है वहां-वहां पर बिजली क्यों नहीं लगायी गयी ताकि शिकायत का कोई मौका न मिले ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

सब स्थानों पर हर जगह और हर मुहल्लों में बिजली लगाना सम्भव भी नहीं है और लग भी नहीं सकती। बिजली लगाने का एक प्रोसेस होता है। वह धीरे-धीरे बढ़ती जायगी।

श्री ऊदल—

माननीय मन्त्री जी मेरी बात को समझे नहीं। मेरा मतलब यह है कि एक बाजार में बिजली लगायी जाती है और फिर कुछ हिस्सा छोड़ दिया जाता है। तो क्या माननीय मन्त्री

भी इसकी जांच करवायेंगे कि इस तरह की व्यवस्था हो कि जिस मुहल्ले या बाजार में बिजली दी जाती है उस में पूरे बाजार में खम्भे लगा दिये जायं ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

जैसे साधन सीमित हैं उसी के अनुसार बिजली लगायी जाती है। या तो कुछ जगहों पर बिजली लगायी जाय या पूरे गांव में बिजली लगा दी जाय। यह आपके ऊपर है कि या तो हर जगह में बिजली लगादें, इस से कम जगह में बिजली लगेगी।

श्री श्रीराम—

मेरे पास बहुत से गांवों के हरिजन इस बात की शिकायत लेकर आये हैं कि हमारे मुहल्लों में पक्के मकान भी हैं फिर भी बिजली नहीं लगायी जाती और दूसरों के यहां पर छप्पर हैं फिर भी वहां पर बिजली लगायी जाती है। तो क्या माननीय मन्त्री जी कोई परिपत्र भेज कर विभाग को यह आदेश देंगे कि वे इस बात की कोशिश करें कि इन हरिजनों के प्रति कोई उपेक्षा न की जाय ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

न कभी ऐसा किया जाता है और न कभी किया जायगा।

श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)—

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि जहां-जहां पर बिजली लगायी जाती है, वह खुशहाल लोगों के इलाके में ही लगायी जाती है और बाद में दुबारा दूसरे इलाके में लगवायी जाती है ? जब नये खंभें लगवाये जाते हैं तो उन के दाम उन लोगों को देना पड़ता है। तो क्या माननीय मन्त्री जी इस बात की व्यवस्था करेंगे कि जो नये खंभे हरिजनों की बस्तियों में लगाये जायें उनके भार को सरकार वहन करे ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

बिजली वहां लगायी जाती है जहां बिजली की आवश्यकता हो।

श्री अध्यक्ष—

उनका कहना यह है कि खम्भे और तार के दाम लिये जाते हैं।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

पब्लिक स्ट्रीट में गांव में खम्भे और तार के दाम नहीं लिये जाते हैं।

श्री रामसिंह (जिला सहारनपुर)—

जिला सहारनपुर में १४२ गांव की सूची बना कर दी गयी है उस में मेरी जानकारी के अनुसार एक-तिहाई से अधिक के प्रधान हरिजन हैं और तलहड़ी बुजुर्ग, बडहली, कौली तथा उमरी खुर्द के प्रधानों ने व्यक्तिगत प्रार्थना-पत्र भी बिजली लगाने के लिए दिये फिर भी बिजली नहीं दी गयी, इसका क्या कारण है ?

श्री गिरधारीलाल—

प्रश्न विचाराधीन है। वास्तव में बिजली लगाने का खास लक्ष्य रोशनी नहीं है बल्कि इन्डस्ट्रियलाइजेशन करना है। गांव के अन्दर लैन्डलैस लेबरर का खास तौर से खयाल किया जा रहा है कि उन लोगों को ठोस एम्प्लायमेंट दिया जाय और इस बात पर विचार किया जा रहा है कि किस तरह से उन के मकानों का सुधार करके वहां बिजली लगायी जाय।

आजमगढ़ जिले में टांडा नहर से सिंचाई

*१९—श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)—

क्या सिंचाई मन्त्री कृपा करके यह बतावेंगे कि टांड़ा कैनाल के आजमगढ़ जिले के कपसा रजबहा में किन-किन स्थानों पर गूल बनाना विभाग की ओर से प्रस्तावित है और कहां-कहां गूलें बन कर तैयार हो गयी हैं और कितने पर निर्माण कार्य हो रहा है?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

ग्राम बिछुआपार, रसूलपुर, भरौली, तेरही, गगंवा, गोपालपुर, रसन्ड, सेमरा, बढ़ई, भैरोंपुर चरवा, काशीपुर, चेवता हरसापट्टी तथा कपसा में गूल बनाना प्रस्तावित है। तेरही ग्राम में कपसा रजबहा के बायीं पटरी के मील १, फर्लांग ६, फीट २४० पर तथा कपसा ग्राम में रजबहा के दायीं पटरी के मील ६, फीट ५० पर गूल का पूर्ण रूप से निर्माण हो चुका है। ग्राम गंगवा, रसन्ड भैरोंपुर चरवा में निर्माण कार्य आरम्भ किया जा रहा है।

*२०—श्री उमाशंकर—

क्या सरकार यह बता सकती है कि किन कारणों से टांडा नहर ने इस वर्ष रबी की फसल में पानी नहीं दिया या बहुत कम पानी दिया?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

टांडा नहर प्रणाली से इस वर्ष रबी में आवश्यकतानुसार पानी दिया गया। पानी न देने या कम देने का प्रश्न नहीं उठता है।

*२१—श्री उमाशंकर—

क्या सिंचाई मन्त्री उल्लिखित कपसा रजबहा के सिंचाई क्षेत्र का एक नक्शा सदन की मेज पर रक्खेंगे जिसमें यह दिखाया गया हो कि किस गूल से किस ग्राम की कितनी रबी या खरीफ की सिंचाई होगी?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

†सूचना संलग्न है।

श्री उमाशंकर—

यह रजबहा बनें ५ साल हो गये और उत्तर में जो ५ गांव की गूलें बनायी गयी हैं और उन से सैकड़ों गांव लगे हुये हैं तो क्या मन्त्री जी विशेष आदेश दे कर यह व्यवस्था करेंगे कि ये तमाम गूलें बनवा दी जायं ताकि सिंचाई का हर्ज न हो?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

४० मील लम्बी गूलें बननी थीं जिन में ८ मील ६ फर्लांग बन गयीं। ४ मील ३ फर्लांग पर काम जारी है और २६ मील पर काम शुरू होगा और शुरू होने में जमीन एक्वायर करने में दिक्कत है। जिस वक्त काम शुरू होगा, तो पूरा हो जायगा।

श्री उमाशंकर—

मेरी इस सूचना को सही मान कर कि इस साल इस रजबहे में अथवा टांडा कैनाल में पानी बिलकुल नहीं आ रहा है और हजारों मन फसल का नुकसान होता है, इसके लिए क्या माननीय मन्त्री जांच कराने की कृपा करेंगे?

---

†छापी नहीं गयी।

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

प्रति दिन कितना कितना पानी चलता है उसके आंकड़े मेरे पास हैं और कितनी सिंचाई हुई है उसके आंकड़े मेरे पास हैं और ये दोनों पहले से ज्यादा हैं तो जांच किस बात की बैठायी जाय ?

रोडवेज विभाग में पदोन्नति

*२२—श्री गंगाप्रसाद—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि रोडवेज विभाग में ऐसे भी पद हैं जिनमें पदोन्नति की कोई भी व्यवस्था नहीं है ? यदि हां, तो उन पदों पर कार्य करने वाले कर्मचारियों के लिए जो अपने वेतन-क्रम के अधिकतम पर कई वर्षों से पड़े हुये हैं उनकी पदोन्नति करने या वेतन-क्रम बढ़ाने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

जी हां, ऐसे पद हैं। इनके वेतन-क्रमों के अभिनवीकरण आदि का मामला वेतन अभिनवीकरण समिति के विचाराधीन है। इस समिति की रिपोर्ट के पश्चात् इस विषय पर विचार सम्भव होगा।

*२३—श्री गंगाप्रसाद—

क्या रोडवेज के लिपिकों और हेड क्लर्कों को, जिनको पैसेंजर टैक्स से सम्बन्धित स्थानों पर विभागीय पदोन्नति के समय अवसर नहीं दिया जा सका था, उनके लिए गुड्स टैक्स से सम्बन्धित स्थानों पर भर्ती करते समय सरकार कुछ स्थान सुरक्षित रखने की व्यवस्था करेगी ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

गुड्स टैक्स से सम्बन्धित स्थानों पर तदर्थ (ऐड हाक) भरती की जा चुकी है परन्तु उस में कोई स्थान किसी वर्ग के लिए सुरक्षित नहीं किये गये थे।

श्री गंगाप्रसाद—

क्या सरकार बतलायेगी कि यह वेतन अभिनवीकरण कब तक हो जायगा और उसमें देरी होने का क्या कारण है ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

अब इसके लिए समय बताना मुश्किल है लेकिन पे रेशनलाइजेशन कमेटी अपनी रिपोर्ट जल्दी दे देगी।

श्री गंगाप्रसाद—

क्या सरकार बतायेगी कि जो ऐड हाक भर्ती की गयी है वह विभागीय लोग हैं या बाहर के हैं और जो सरकार की नीति है कि अनुसूचित जाति के लिए स्थान सुरक्षित रहेंगे तो वह क्यों नहीं किये गये ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

गुड्स टैक्स वाले में बाहर से कोई नहीं रखा गया।

मोतीचक तथा सुकरोला ब्लाक में ड्रेन एवं नलकूप

*२४—श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)—

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जिला के सुकरौला ब्लाक में पिपराइच सेहनी ताल से जो ड्रेन निकाली गयी है उस पर १९६२–६३ और १९६३–६४ में कितना पया व्यय किया गया और कितना काम हुआ और कितना बाकी है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

इस ड्रेन पर १९६२–६३ में २,१७,२७२ घनफुट मिट्टी का काम हुआ जिस पर २,३९० रुपया व्यय हुआ। १९६३–६४ में कुछ व्यय नहीं हुआ।

*२५—श्री बांकेलाल—

क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिला के मोतीचक ब्लाक और सुकरौला ब्लाक में इस वर्ष किन-किन स्थानों पर नलकूप लगवाये जा रहे हैं ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

वांछित सूचना संलग्न सूची में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ २१८ पर)

श्री बांकेलाल—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि उक्त ताल से जो ड्रेन निकली है और जितनी मिट्टी निकाली है लेकिन उसके मुहाने पर फूस होने की वजह से उसमें ड्योढ़ी मिट्टी आ गई है ? क्या मंत्री जी ऐसी व्यवस्था करेंगे जिससे मुहाने पर जो मिट्टी आती है वह न आ सके ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

ऐसी सूचना तो मेरे पास नहीं है। लेकिन आप जो कह रहे हैं वह सही कहते होंगे। उसे दिखवा लेंगे।

श्री बांकेलाल—

श्रीमन्, ड्रेन के मुहाने पर फूस है....

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने कहा है कि उसे दिखवा लेंगे।

बरेली जिले में शारदा नहर की फरीदपुर शाखा

*२६—श्री सुरेन्द्रविक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या उन्होंने यह निश्चय कर लिया है कि जिला बरेली में शारदा नहर की जो फरीदपुर ब्रांच है उसको अब रि-माडल तथा एक्सटेन्ड नहीं किया जायेगा ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

जी नहीं।

श्री सुरेन्द्रविक्रम—

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि फरीदपुर ब्रांच से बझड़ा रजबहा को एक्सटेंड करने का कार्य सरकार द्वारा कब स्वीकार किया गया था और, अभी तक उसको क्यों नहीं किया गया ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

यह सूचना तो मेरे पास नहीं है कि कब स्वीकार हुआ था। लेकिन यह जरूर है कि इसको रिमोडिल करना है और इसकी क्षमता ३५० क्यूजैक्स है उसे ५०० क्युजैक्स करना प्रस्तावित है।

श्री सुरेन्द्रविक्रम—

क्या मन्त्री जी इसको देखते हुये कि उपरोक्त एरिया में सिंचाई के साधन नहीं के बराबर हैं, इस नहर को रिमोडिल करने का आश्वासन देंगे ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

असल में यह बरसाती नहर होगी, क्योंकि ऊपर ज्यादा पानी नहीं है । लेकिन यह प्रस्तावित है अगर धन की उपलब्धि होगी, तो एक्सटेंड करने का कार्य प्रारम्भ किया जायगा ।

श्री सुरेन्द्रविक्रम—

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि प्रश्नकर्त्ता का मन्त्री जी के पास कोई प्रार्थना-पत्र आया है कि वहां पर चकबन्दी होने से पहले अगर डिमारकेशन कर दिया जाता तो हजारों रुपया सरकार को मुआवजे का न देना पड़ता ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

इसको भी देख लेंगे ।

सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण

*२७—श्री रतीपाल (जिला रायबरेली)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग पांच, सब-डिवीजन, लखनऊ को कितने एकड़ जमीन प्राप्त हैं और उस जमीन के कितने भाग में खेती होती है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

ऐसा कोई सब-डिवीजन लखनऊ में नहीं है ।

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उक्त जमीन का १ जनवरी, सन् १९६३ से ८ जनवरी, १९६५ तक कितना रुपया सरकारी कोष में जमा किया गया ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

प्रश्न नहीं उठता है ।

*२९—श्री शिवचरण (जिला आगरा)—

[८वें बुधवार के लिये प्रश्न संख्या ८९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

जौनपुर जिले में सिंचाई

*३०—श्री रमेशचन्द्र शर्मा (जिला जौनपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर के अन्तर्गत न्याय पंचायत (१) बड़ेरी, (२) पहसना, (३) बीबीपुर, (४) हरद्वारी, (५) पल्टूपुर, (६) बेलवा, (७) गोंहका आदि के प्रत्येक ग्राम के किसानों की जमीन सिंचाई करने के लिये किसी प्रकार की व्यवस्था तीसरी योजना के अन्दर है ? यदि हां, तो किस प्रकार की व्यवस्था हो ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

सम्बन्धित न्याय पंचायतों के अन्तर्गत पड़ने वाले कुछ ग्रामों में नहर द्वारा सिंचाई हो रही है । मुख्य शारदा नहर में पानी की कमी के कारण शेष ग्रामों में सिंचाई प्रदान करन की अभी कोई व्यवस्था नहीं है ।

श्री रमेशचन्द्र शर्मा---

क्या मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन गांवों में सिंचाई नहीं हो रही है, उनके क्या नाम हैं ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---

बड़ी भारी एक लम्बी सी सूची है, अगर आप कहें तो मैं पढ़ दूं ।

श्री अध्यक्ष---

नहीं, नहीं ।

श्री रमेशचन्द्र शर्मा---

क्या माननीय मंत्री जी को यह पता है कि सिंचाई विभाग के इंजीनियर और ट्यूबवेल विभाग के इंजीनियरों ने आज २-३ साल से यह मिलकर तय कर लिया है कि मड़ियाहूं शाखा की कैनाल बहुत नीची है और यह जमीन १२-१४ फुट ऊंची है, इसलिये वहां कैनाल से पानी नहीं दिया जायगा ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---

इसकी सूचना तो मेरे पास नहीं है ।

श्री माताप्रसाद (जिला जौनपुर)---

क्या आदरणीय मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि शारदा नहर में पानी न होने की वजह से पानी नहीं मिल रहा है, तो शारदा नहर में कब तक पानी आ जायगा और उन गांवों को सिंचाई के लिये पानी मिल जायगा ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---

कब तक होगा यह तो बताना कठिन है । किन्तु इसके लिये सरकार के पास २ स्कीमें विचाराधीन हैं । एक तो पंचदेश्वर बांध की स्कीम है, जो बांध नैपाल के बार्डर पर बनना है और दूसरी योजना है जिसमें सिंवेकुवेरपुर में गंगा का पानी पम्प कर के लाया जायगा । यह दोनों योजनायें विचाराधीन हैं जिनके द्वारा उन गांवों में सिंचाई उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जायेगी ।

श्री जगन्नाथ राव (जिला जौनपुर)---

करीब ८० गांव हैं, जहां पर नहर का पानी नहीं पहुंच पाता, तो क्या मंत्री जी के इसको नहर के कमाँड से हटाकर यहां पर नलकूप लगाने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---

इसके वास्ते बिजली की जरूरत होगी और नलकूप लगवाने के लिये उधर बिजली का प्रबन्ध नहीं है । नलकूप लगवाने के पहले हमें बिजली की व्यवस्था करना भी जरूरी होगा । इसलिये यह नहीं हो सकता है और जिन योजनाओं का जिक्र किया उनसे सिंचाई का प्रबन्ध करने की कोशिश की जा रही है ।

श्री रमेशचन्द्र शर्मा---

इस बात को देखते हुये कि वहां पर ८०-९० गांवों में कई साल से सूखा पड़ा हुआ है और वहां की जमीन में इस साल तो धान भी नहीं लगाया गया और वहां का किसान बहुत परेशान है और आपका विचार है कि गंगा से पम्प करके पानी लाने का, जिसमें काफी समय लगेगा, तो क्या मंत्री जी ट्यूबवेल के इंजीनियर्स से कहकर वहां पर जल्दी ट्यूबवेल लगवाने की कृपा करेंगे ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

यह दुर्भाग्य की बात जरूर है कि इन गांवों में सिंचाई का कोई प्रबन्ध नहीं है, लेकिन अभी तक नलकूप के बारे में कोई सूचना नहीं है कि नलकूप लगाने का कोई योजना पर वहां विचार हो रहा है ।

श्री ऊदल—

अभी हमारे भारत सरकार के सिंचाई मंत्री श्री राय साहब हरिया और भदोई तहसील आये थे और उन्होंने वहां पर जाकर देखा तथा उन्होंने पब्लिक के सामने यह भी कहा कि हम स्टेट की सरकार से कहेंगे कि वह अपने इंजीनियर्स को भेजकर हमारे इंजीनियरों से परामर्श कर लें और यहां पर सिंचाई की कोई व्यवस्था हो जाये । तो मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उनके कहन पर उन्होंने कोई जांच पड़ताल की है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

अभी मैंने जिस योजना का जिक्र किया कि जिसमें गंगा से पानी पंप करके लाया जायगा, वह उसी के मुताबिक है ।

श्री जगन्नाथ राव—

क्या इसकी जांच वह करवा लेंगे कि आस पास उनके गांवों के बिजली है तो इस क्षेत्र में भी लगवाने की कृपा करेंगे ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

असल में इससे अच्छा तो यह है कि तकावी लेकर मैसनरी वेल बनालें और उनसे काम लें, बजाय इसके कि नहर के कमान्ड में आने की बात करें ।

जौनपुर जिले में बिजली

*३१—श्री रमेशचन्द्र शर्मा—

क्या सरकर बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर के अन्तर्गत मड़ियाहू के पश्चिम मछलीशहर के पूर्व बरसठी के उत्तर सिकरारा के दक्षिण के तमाम ग्रामों में बिजली लगाने पर विचार करके सर्वे किया गया है या सर्वे होने वाला है ? यदि हां, तो कितने दिनों में ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

प्रश्न में उल्लिखित ग्रामों के आस पास कोई भी लाइन या सब स्टेशन नहीं है इसलिये इन ग्रामों का सर्वे अभी नहीं किया गया है । चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में मछलीशहर में एक बड़ा सब स्टेशन तथा ११ हजार वोल्ट की लाइनें बनाने का प्रस्ताव है और यदि यह ग्राम राज्य विद्युत परिषद् द्वारा निर्धारित मापदण्ड जिसके अनुसार १००० जन संख्या पर १ १/२ मील लम्बी लाइन बनाई जा सकती है, के अन्तर्गत आयेंगे तो इनका विद्युतीकरण चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में कर दिया जायेगा ।

श्री रमेशचन्द्र शर्मा—

क्या माननीय मंत्री जी को पता है कि गंगा के किनारे से लेकर बसुही नदी के किनारे तक ट्यूबवल की लाइन लगी है और बिजली पहुंची है । बसुही नदी के किनारे सैकड़ों गांव ऐसे हैं जहां न ट्यूबवेल लगे हैं और न बिजली की लाइन लगी है । इसलिये वहां की जनता को न कुएं लगाने के लिये बिजली है और न पशुओं के लिये उसकी वजह से चारा मिल पाता है और न धान होता है तो इस बात को देखते हुये उस क्षेत्र में बिजली की लाइन लगाने की कृपा करेंगे ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

चौथी पंचवर्षीय योजना में एक सब स्टेशन बनाकर बिजली देने की बात है । यह मैंने नहीं कहा कि नहीं देंगे ।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

यह जो गावों में बिजली लगाने का काम है वह विभाग के डिस्क्रीशन पर है या उसके लिये कुछ आधार निश्चित हैं कि किन गांवों में बिजली लगायेंगे आबादी के हिसाब से या लाइन के बाहर ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

जो आधार निश्चित किये गये हैं वह इस सदन में कई दफा बता चुका हूं । अगर आप चाहते हैं तो फिर बता दूं । वह यह है कि एक हजार की जनसंख्या पर हम १।। मील लाइन खींच देते हैं ।

श्री जगन्नाथ राव—

अभी बताया गया कि चौथी योजना में मछलीशहर में बिजली प्रवेश करेगी और वहां दी जायगी तो उसके पहले इन गांवों में आप सर्वे कराने की व्यवस्था करेंगे कि इस योजना के अन्तर्गत वे गांव आ जायं और बिजली लग जाय ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

बिजली तो हम तभी देंगे जब बिजली होगी । जब हम सब स्टेशन बना लेंगे तब बिजली पैदा होगी । जब बिजली ही नहीं है तो बिजली कहां से देंगे ।

*३२—श्री जगदीशप्रसाद पांडेय (जिला बस्ती)—

[८वें बुधवार के लिये प्रश्न संख्या ९० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

राजेपुर विकास क्षेत्र में रामगंगा की बाढ़

*३३—श्री महरामसिंह (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फर्रुखाबाद जिले में राजेपुर विकास क्षेत्र के अन्तर्गत राम गंगा के द्वारा होने वाले कटाव तथा भीषण बाढ़ को रोकने के लिये सरकार बांध बनाने की योजना पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो उसमें कितना रुपया खर्च होगा और कब तक काम शुरू किया जायेगा ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

जी नहीं ।

श्री महरामसिंह—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में रामगंगा बाढ़ नियंत्रण योजना नाम की कोई योजना है, यदि हां, तो उस योजना के अन्तर्गत किन-किन जिलों में काम हो रहा है और उसमें फर्रुखाबाद जिले को भी शामिल करेंगे ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

राम गंगा बाढ़ नियंत्रण योजना नाम की कोई विशेष योजना नहीं है ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

रामगंगा की बाढ़ शाहजहांपुर को बरसात के दिनों में बहुत डेमेज करती है तो क्या इस जिले को भी इसमें शामिल करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

फर्रुखाबाद में पहले बन जाय तो फिर शाहजहांपुर में हो ।

वाराणसी जिले को बिजली

*३४—श्री रघुनार्यसिंह—

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष, १९६४–६५ तक वाराणसी के किन-किन गांवों में बिजली देने की योजना बन चुकी है और किन-किन गांवों को अगले वर्ष के लिये विचाराधीन रखा गया है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

वित्तीय वर्ष १९६४–६५ तक वाराणसी जिले में ५१ स्थानों के विद्युतीकरण हो जाने का प्रस्ताव है जिनके नाम संलग्न सूची 'अ' में दिये हुये हैं । इनमें से प्रथम ४८ स्थानों का विद्युतीकरण अब तक हो चुका है । अगले वित्तीय वर्ष १९६५–६६ में २९ स्थानों का विद्युतीकरण करने का प्रस्ताव है जिनके नाम संलग्न सूची 'ब' में दिये हुये हैं । अन्य ग्रामों के सर्वेक्षण का कार्य प्रगति पर है ।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ. २१९–२२० पर)

श्री रघुनार्यसिंह—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जैसा कि १९६५–६६ के लिये सूची 'ब' में जो गांवों की सूची दी है उनमें जितने गांव हैं, वे वाराणसी शहर से २५ मील दूरी पर कच्ची सड़क पर है जब कि मैंने बनारस, गाजीपुर, बनारस, आजमगढ़ और बनारस से ५, ७ और मील दूरी पर गांवों में बिजली लगाने के लिये स्वयं संस्तुति की है और वहां के गांवों के सभापति के भी आवेदन पत्र आये हैं और वहां पर बड़े बड़े बाजार हैं फिर भी उन गांवों में बिजली न लगाने का क्या कारण है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

असल में पहले बनारस के आस पास मार्टिन ऐन्ड बर्न कम्पनी का एरिया था, उस समय बिजली नहीं थी । अब हमने मार्टिन कम्पनी ले ली है और उसके आस-पास भी बिजली देने का कार्य प्रारम्भ करेंगे । पहले बिजली विद्युत् परिषद् दिया करता था, सूची में वह मौजूद है ।

सुसाड़ी ग्राम में नाला खुदवाने की योजना

*३५—श्री रामसिंह (जिला सहारनपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम सुसाड़ी खुर्द तथा सुसाड़ी कलां, तहसील रुड़की जिला सहारनपुर से एक नाला खुदवाने की सरकार की योजना है ? यदि हां, तो क्या सरकार यह भी बतायेगी कि किन-किन राज्यादेशों के अधीन इस सम्बन्ध में क्या-क्या कार्यवाही पूरी की जा चुकी है ?

श्री गिरधारीलाल—

प्रथम भाग—जी हां ।

दूसरा भाग—भूमि अधिकरण अधिनियम, १८९४ के अन्तर्गत भूमि अधिकरण की कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है । इस भूमि का अधिकार भी सिंचाई विभाग को मिल गया है । दागबेल भी हो चुकी है और टेन्डर भी मंगवाकर खोले जा चुके हैं ।

नोट—तारांकित प्रश्न ३४ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

*३६—श्री रामसिंह (जिला सहारनपुर)—

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि इस नाले के न खुदने से कितनी एकड़ भूमि जलमग्न होकर प्रति वर्ष उसकी फसल बर्बाद हो जाती है ? क्या सरकार इस के महत्व को ध्यान में रखते हुये इस नाले को तुरन्त ही खुदवाने के आदेश जारी करने की कृपा करेगी ?

श्री गिरधारीलाल—

प्रथम भाग–लगभग ५०० एकड़ भूमि । उपजाऊ व ऊसर वर्षा काल में प्रभावित रहती है ।

दूसरा भाग–इस नाले के अन्तिम भाग की दायीं पटरी पर साधारणपुर नामक ग्राम के निवासियों ने इस के बनाने के विरोध में उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में रिट पेटीशन (writ pittion) दाखिल कर दी है । इसलिये इस नाले पर काम बंद कर दिया गया है ।

*३७—श्री राजनाथसिंह (जिला गाजीपुर)—

[९वें मंगलवार के लिये स्थगित किया गया ।]

गाजीपुर जिले में सिंचाई

*३८—श्री राजनाथ सिंह—

सादात ब्लाक (गाजीपुर) का क्षेत्रफल कितना है, उसमें कितनी भूमि असिंचित है और प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कितने और किन स्थानों में ट्यूबवेल लगाये गये हैं ?

श्री गिरधारी लाल—

इस ब्लाक का कुल क्षेत्रफल ६२,९१९ एकड़ है और १७,३२४ एकड़ कृष योजना क्षेत्र असिंचित है । कुल चार नलकूप, प्रथम पंच वर्षीय योजना में एक तथा द्वितीय में तीन क्रमशः माहपुर, बोखा, मुस्तफाबाद और परसनी में, लगाये गये ।

*३९—श्री राजनाथसिंह—

गाजीपुर जनपद के जखनियां ब्लाक में झोटना में ट्यूबवेल क्यों नहीं लगाया गया जब कि सिंचाई मंत्री तथा मुख्य अभियन्ता सिंचाई विभाग स्वयं उस स्थान को देखकर संस्तुति दे चुके थे और कादीपुर में ट्यूबवेल बोर न करने का कारण क्या है जब कि वह मई, १९६४ में ही अप्रूव्ड हो चुका था ?

श्री गिरधारीलाल—

ग्राम झोटना में प्रावैधिक एवं मितव्ययता की दृष्टि से नलकूप निर्माण की उपयुक्तता की जांच हेतु सर्वेक्षण प्रस्तावित है । ग्राम कादीपुर के लिये मई, १९६४ में कोई नलकूप अप्रूव नहीं किया गया ।

बांदा जिले में रोडवेज कर्मचारियों का भत्ता

*४०—श्री मतोलासिंह (जिला बांदा) —

पत्र संख्या ६८६ (७१) ३–५५, दिनांक १५ फरवरी, १९६५ के सम्बन्ध में क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला के बांदा सहायक यातायत निरी क्षकों का जनवरी, १९६४ से अब तक बस द्वारा आने जाने के दौरे का दैनिक भत्ता नहीं दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

*४१—क्या परिवहन मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि क्या जिला बांदा के रोडवेज के अन्य कर्मचारियों का भी भत्ता दिसम्बर, १९६४ से बाकी है ? यदि हां, तो क्यों ?

परिवहन मंत्री (श्री मुजफ्फर हसन)—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

मेरठ जिले में नहरों से सिंचाई

*४२—श्री मूलचन्द शास्त्री (जिला मेरठ)—

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अनूपशहर ब्रांच नहर, जो मेरठ जिले में भी बहती है, वर्षा ऋतु में चला करेगी ? यदि नहीं, तो क्या कुछ ऐसा प्रबन्ध हो रहा है कि वह वर्षा ऋतु में भी चले ताकि धान आदि खाद्य पदार्थों की उत्पत्ति बढ़ सके ?

श्री गिरधारीलाल—

जी हां, यदि सिंचाई के लिये जल की आवश्यकता होगी तो यह ब्रांच वर्षा ऋतु में भी चलाई जायेगी ।

*४३—श्री मूलचन्द शास्त्री—

क्या सिंचाई मंत्री को यह मालूम है कि इस वर्ष नवम्बर मास में चुडियाला माइनर को, जो ग्राम बहसूमा , तहसील कवाना, जिला मेरठ को पानी देती है, सफाई नहीं हुई और दो सप्ताह चलने पर भी किसानों के खेतों की भराई नहीं हुई ? यदि हां तो क्या कोई ऐसा प्रबन्ध विभाग करायेगा ताकि भविष्य में ऐसा न हो ?

श्री गिरधारीलाल—

जी हां । पिछले नवम्बर में चुड़ियाला रजबहे तथा बहसूमा माइनर की सफाई नहीं की गई क्योंकि उस समय इसकी आवश्यकता नहीं थी । किन्तु इसके कारण सप्लाई में कोई कमी नहीं रही । वास्तव में इन दोनों रजबहों पर प्रपोज्ड एरिया से कही अधिक सिंचाई हुई । इन दो नहरों से ४१ प्रतिशत प्रपोज्ड रकबे की सिंचाई रबी के तीन सप्ताह में हो सकती है । इसलिये २ ही सप्ताह में पूरी भराई होना असंभव है जब कि साथ ही साथ गन्ने के रकबे की सींच भी होती है ।

मूसा खण्ड बांध से सिंचाई

*४४—श्री रघुवीरराम (जिला गाजीपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मूसा खण्ड डैम का पानी बिहार को दे दिया जाता है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री गिरधारीलाल—

अभी मूसाखण्ड डैम निर्माण की अवस्था में है। अतः बिहार को उससे पानी दे दिये जाने का अभी प्रश्न नहीं उठता । फिर भी चूंकि कर्मनाशा नदी का जल प्लावित क्षेत्र (Catchmenf area) बिहार में भी पड़ता है अतः उन्हें मूसाखण्ड डैम से एक तिहाई पानी देने का निश्चय किया गया है।

*४५—श्री रघुवीर—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जमानियां तहसील, जिला गाजीपुर में पंपिंग प्रोजेक्ट की कोई योजना बनाई थी ? यदि हां, तो कब और नहीं, तो क्यों ?

श्री गिरधारीलाल—

जी नहीं , अभी सर्वेक्षण हो रहा है ।

बांसी बस स्टेशन

*४६—श्री जगदीशप्रसाद पाण्डेय—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले के बांसी बस स्टेशन बनाने के लिये कुल कितना धन व्यय हुआ और कितना भाग गिर कर दुबारा बनाना पड़ा और फिर गिर गया ? क्या इसकी जांच कराकर उसके कारण पर प्रकाश डालेंगे ?

श्री मुजफ्फर हसन—

बांसी बस स्टेशन बनाने में रुपया २६,३३८.२३ पैसा व्यय हुआ था जिसमें चहार दीवारी की मरम्मत में किया गया रुपया ४,४५५ का व्यय भी सम्मिलित है। बस स्टेशन के मुख्य भवन का कोई भाग कभी नहीं गिरा। नाले के पानी के तेज बहाव तथा वहां के भूमि के बलुही होने के कारण चहार दीवारी क्षतिग्रस्त हो जाती है।

*४७—श्री अनीसुर्रहमान (जिला नैनीताल) तथा श्री मुमताज मुहम्मद खां—

[हटा दिया गया।]

बलिया जिले में बांधों का निर्माण-कार्य

*४८—श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बलिया, बैरिया, संसारटोला एवं बकुल्हा संसारटोला बांध निर्माण कार्य बिहार सरकार के विरोध के कारण भारत सरकार द्वारा रोका गया था और उस संबंध में पूना अन्वेषणालय की रिपोर्ट मांगी गई थी ? यदि हां, तो क्या उस संबंध की रिपोर्ट पूना अन्वेषणशाला द्वारा प्राप्त हो गई है ?

श्री गिरधारीलाल—

प्रथम भाग—जी हां।

द्वितीय भाग—जी हां।

*४९—श्री मैनेजरसिंह—

[८वें बुधवार के लिये स्थगित किया गया।]

सरेनी क्षेत्र में सिंचाई

*५०—श्री गुप्तारसिंह (जिला रायबरेली)—

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रायबरेली के अन्तर्गत थाना सरेनी के दक्षिण भाग में, जहां सिंचाई के साधन नहीं हैं, वे नहर की व्यवस्था कर रहे हैं ?

श्री गिरधारी लाल—

जी नहीं।

*५१—श्री गुप्तारसिंह—

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अगर उपरोक्त स्थान में नहर से पानी की कमी के कारण नहर की व्यवस्था करना उचित न हो, तो क्या ट्यूबवेल बनवाने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गिरधारीलाल—

शारदा नदी तथा शारदा नहर में पानी की कमी के कारण इस क्षेत्र में नहरों का विस्तार कार्य अभी संभव नहीं है। इस क्षेत्र में नलकूप बनाना उपयुक्त नहीं है क्योंकि यह क्षेत्र गंगा नदी के किनारे स्थित है और इस क्षेत्र में बिजली भी उपलब्ध नहीं है।

कानपुर क्षेत्र में बस कन्डक्टरों की बर्खास्तगी

*५२—श्री होरीलाल यादव (जिला इटावा)—

क्या परिवहन मंत्री प्रश्नकर्त्ता के प्रश्न संख्या ७६, दिनांक ६ फरवरी, १९६५ के सन्दर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि—

(अ) अलग किये गये चारों कन्डक्टरों के नाम क्या हैं ?

(ब) उनमें से प्रत्येक को किस तारीख से नौकरी से हटाया गया और टर्मिनेशन आज्ञा के शब्द क्या थे ?

(स) पुनः नियुक्ति किस तारीख को की गई ?

श्री मुजफ्फर हसन—

उनके नाम ये हैं—

(१) श्री मिही लाल,
(२) श्री लल्लू मल मित्तल,
(३) श्री सईदुर्रहमान,
(४) श्री मुहम्मद शरीफ द्वितीय ,

वांछित सूचना संलग्न है ।

(देखिए नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ २२१–२२२ पर)

असिस्टेन्ट इंजीनियर, कैनाल डिवीजन, रामपुर का स्थानान्तरण रोकना

*५३—श्रीमती किश्वर आरा बेगम (जिला रामपुर)तथा श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि असिस्टेन्ट इंजीनियर (एस० डी० ओ० प्रथम), कैनाल डिवीजन, रामपुर का स्थानान्तरण हाल ही में दो बार किन कारणों या प्रशासनिक आवश्यकताओं के अनुसार स्थगित किया गया या रोका गया जब कि दूसरा असिस्टेन्ट इंजीनियर उनके स्थान पर काम करने के लिये रामपुर सरकारी खर्चे पर पहुंच भी गया था और उसको वापस जाना पड़ा ?

श्री गिरधारीलाल—

स्थानान्तरण केवल एक बार स्थगित किया गया । उनको दढियाल बांध के स्पर्स (spurs) और लालपुर घनारी बांध के निर्माण व लालपुर डाम के गाइड बांध के विशेष कार्यों को पूरा करने के लिये जनहित में ३१ मार्च, १९६५ तक रोका गया है।

*५४—श्रीमती किश्वर आरा बेगम तथा श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उस असिस्टेन्ट इंजीनियर के, जो कि वर्तमान एस० डी० ओ० (प्रथम) के स्थान पर कार्य करने के लिये स्थानान्तरित होकर आया था और उसको वापस जाना पड़ा, उसके आने जाने पर सरकार का कितना व्यय हुआ ?

श्री गिरधारीलाल—

३७०.३३ रु० किन्तु उन्हें पुनः कानपुर अपने स्थान पर जाना नहीं पड़ा, बल्कि उन्हें उसी सर्किल में बरेली में पोस्ट कर दिया गया। इस प्रकार अतिरिक्त व्यय केवल १२९.४५ रु० का हुआ।

*५५—श्रीमती किश्वर आरा बेगम तथा श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त एस० डी० ओ० के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायतें रामपुर के समाचार पत्रों में अक्सर प्रकाशित होती रही हैं? यदि हां, तो उन पर क्या सरकार ने कोई ध्यान दिया?

श्री गिरधारीलाल—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

राप्ती बाढ़ नियंत्रण योजना

*५६—श्री रामसूरतप्रसाद तथा श्री कल्पनार्थसिंह (जिला गोरखपुर)—

क्या सिंचाई मंत्री तारांकित प्रश्न संख्या २८, दिनांक १६ फरवरी, १९६५ के सन्दर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि जलकुण्डी योजना के रद्द करने के बाद राप्ती नदी की बाढ़ को रोकने के लिये अन्य योजना विचाराधीन है? यदि हां, तो वह क्या है और उसकी प्रगति क्या है?

श्री गिरधारीलाल—

जी नहीं।

*५७—श्री रामसूरतप्रसाद तथा श्री कल्पनार्थसिंह—

सिंचाई मंत्री कृपया राप्ती की बाढ़ रोकने के लिए गोरखपुर जिलों के विधायकों से भी उनके सुझाव मांगेगें? यदि हां, तो उसका रूप क्या होगा?

श्री गिरधारीलाल—

विधायक यदि सुझाव देंगे तो उन पर अवश्य विचार किया जायेगा।

*५८—श्री मुमताज मुहम्मद खां तथा श्री अनीसुर्रहमान—

[८वें मंगलवार के लिये स्थगित किया गया।]

नरदौली ग्राम को गंगा के कटाव से बचाने के लिये सर्वेक्षण

*५९—श्री राजेन्द्रसिंह—

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम नरदोली, विकास क्षेत्र गंजडुंडवारा, जिला एटा जिसकी कि ५ हजार आबादी है तथा काफी पक्के मकान बने हैं, को निकट भविष्य में ही गंगा नदी के सम्भावित कटाव से तथा सैलाबी पानी से बचाने के लिये क्या तात्कालिक प्रयास किये जा रहे हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री गिरधारीलाल—

विस्तृत सर्वेक्षण किया जा रहा है।

हरीपुर व्यास कोटी बस सर्विस

*६०—श्री गुलाबसिंह (जिला देहरादून)—

क्या परिवहन मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि देहरादून जिले में हरीपुर व्यास (कालसी) से कोटी मोटर मार्ग पर जनता के लिये मोटर यातायात प्रारम्भ हो गया है या नहीं ? यदि हां, तो उक्त मार्ग पर आजकल कितनी बसें चल रही हैं और इनके परमिट किस अधिकारी द्वारा किन-किन व्यक्तियों को और कब-कब स्वीकृत किये गये हैं ?

श्री मुजफ्फर हसन—

रीजनल ट्रांस्पोर्ट अफसर, देहरादून द्वारा इस मार्ग पर मोटरगाड़ी के दो अस्थायी परमिट सर्वश्री श्याम लाल अग्रवाल और धन प्रकाश गुप्त को दिनांक २-१२-६४ को स्वीकृत किये गये थे। १-३-६५ से एक गाड़ी उक्त मार्ग पर चलने लगी थी परन्तु १८-३-६५ से बरसात के कारण सड़क बन्द हो जाने से चलना रुक गया है।

*६१-६२—श्री चन्द्रबलीसिंह—

[हटा दिये गये।]

जमनियां तहसील में गंगा नदी में पंम्पिग प्रोजेक्ट

*६३—श्री झिलमिटराम (जिला गाजीपुर)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला गाजीपुर के जमनियां तहसील में गंगा नदी में पंम्पिग प्रोजेक्ट लगाने का प्रश्न विचाराधीन है ? यदि हां, तो वह कब तक पूर्णतया तैयार हो जायगा ?

श्री गिरधारीलाल—

जी हां।

जब तक सर्वेक्षण हो जाने के उपरान्त यह न मालूम हो जाये कि इस योजना को कार्यान्वित करने में कोई प्राविधिक कठिनाई नहीं है, यह बताना कि कार्य कब तक पूर्ण होगा, संभव नहीं है।

*६४-६५—श्री जगदीशनारायण सिनहा (जिला सहारनपुर)—

[९वें मंगलवार के लिये स्थगित किये गये।]

*६६-६८—श्री राजनाथसिंह—

[८वें मंगलवार के लिये प्रश्न संख्या ६४-६६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

आगरा में बस स्टैन्ड

*६९—श्री बालोजी अग्रवाल—

क्या परिवहन मत्री बताने के कृपा करेंगे कि आगरा नगर में वर्तमान बस स्टैन्ड को जनता के लिये अपर्याप्त समझते हुए, एक नया बस स्टैन्ड बनाने की योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो यह स्टैन्ड कहां बनेगा ?

श्री मुजफ्फर हसन—

जी हां। नये स्टेशन के स्थान का चयन अभी नहीं हुआ है।

*७०-७२—श्री सत्यनारायण पाण्डेय (जिला इलाहाबाद)—

[९वें मंगलवार के लिये स्थगित किये गये।]

*७३—श्री रामप्यारे (जिला मिर्जापुर)—

[९वें मंगलवार के लिये प्रश्न संख्या ६३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

कटौली बंधे से मझौली ग्राम तक नहर

*७४—श्री रामप्यारे—

क्या यह बात सही है कि ग्राम मझोली की जनता ने ग्राम कटौली (दुद्धी मिर्जापुर बन्धे से एक नहर मझौली ग्राम तक निकालने के लिये प्रार्थना पत्र दिया था और वहां के संबंधित अधिकारियों के आश्वासन पर श्रमदान द्वारा नहर हेतु कुछ खुदाई भी की गई थी ? यदि हां, तो अभी तक नहर खुदाई न होने के क्या कारण हैं ?

श्री गिरधारीलाल—

इस संबंध में प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ था, पर मझौली ग्राम तक नहर निकालने के लिये अधिकारियों द्वारा कोई आश्वासन नहीं दिया गया था। काश्तकारों ने अपने आप ही टेल गूल कुछ खोदी थी। चूंकि इस नहर पर प्रस्तावित सींच के अनुपात में कहीं अधिक व्यय आ रहा था तथा १६ फीट पहाड़ काटकर नहर ले जानी पड़ती थी, इसे बनाना उपयुक्त नहीं समझा गया।

लखनऊ क्षेत्र में बस स्टेशनों को मिलाने का प्रस्ताव

*७५—श्री अब्दुल समी (जिला सुल्तानपुर)—

जिला सुलतानपुर, जिला फैजाबाद में टांडा अकबरपुर, मय सिंही बस स्टेशन, फैजाबाद और जौनपुर जिले में शाहगंज बस स्टेशन तथा जिला प्रतापगढ़ में सिटी बस स्टेशन और उसके उत्तर के अन्य बस स्टेशनों को लखनऊ रीजन में सम्मिलित करने के लिये प्रतापगढ़, सुल्तानपुर और फैजाबाद के विधायकों ने १९६४ में क्या कोई मुश्तरका प्रस्ताव सरकार को दिया था ? यदि हां, तो कब और उसके बारे में क्या हो रहा है ?

श्री मुजफ्फर हसन—

जी हां, मार्च, १९६४ में दिया था। मामला विचाराधीन है।

करहवा ताल ड्रेन तथा देहली मुबारकपुर झील

*७६—श्री अब्दुल समी—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि करहवा झील (ब्लाक कोडवाण) और देहली मुबारकपुर झील (ब्लाक दूबेपुर) परगना मीरानपुर, तहसील सदर सुल्तानपुर ड्रेनेज (नाला) निकालने की कोई स्कीम है ? यदि हां, तो वह स्कीम हर एक तालाबों की कब बनाई गई और इस पर अमल कब होगा ?

श्री गिरधारीलाल—

प्रथम भाग—जी हां।

दूसरा भाग—यह सूचना संलग्न सूची में दी हुई है।

(देखिए नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ २२३ पर)

बेजरहा गांव के निकट ड्रेन पर पुलिया

*७७—श्री जगदीशप्रसाद पांडेय—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला बस्ती में बेजरहा गांव के पास ड्रेन में पुलिया बनाने का गत वर्ष सदन में आश्वासन दिया गया था ? उसे कब तक बनाने का विचार कर रहे हैं ?

श्री गिरधारीलाल—

प्रश्न में कथित पुल का निर्माण कार्य अगले वर्षा काल से पहले ही समाप्त करने का प्रयत्न किया जा रहा है ।

*७८–८०—श्री डूंगरसिंह (जिला हमीरपुर)—

[६वें मंगलवार के लिए स्थगित किये गये ।]

पौड़ी जिले में बस दुर्घटना

*८१—श्री अवधनारायणप्रतापसिंह (जिला गोंडा), श्री बसन्तलाल शर्मा (जिला बालोन) तथा श्री बलजीतसिंह (जिला बहराइच)—

क्या परिवहन मंत्री को विदित है कि पौड़ी गढ़वाल, जिला पौड़ी के अन्तर्गत स्थान गोखाल के निकट जनवरी, सन् १९६५ के प्रथम सप्ताह में एक बस दुर्घटना हो जाने से ३३ व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी जिसमें एक बच्चा भी सम्मिलित था ?

श्री मुजफ्फर हसन—

जी नहीं । इस अवधि में गोखाल नामक किसी स्थान के निकट ऐसी कोई दुर्घटना नहीं हुई ।

*८२—श्री अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री बसन्तलाल वर्मा, तथा श्री बलजीतसिंह—

क्या यह सही है कि उक्त दुर्घटना ग्रस्त बस के चालक ने रोड की खराबी के कारण वहां चलाने से लिखित रूप से इन्कार कर दिया था, फिर भी बस चलवाई गई है ?

श्री मुजफ्फर हसन—

यह प्रश्न नहीं उठता ।

*८३—श्री चन्द्रबलीसिंह—

[हटा दिया गया ।]

सिंचाई उद्योगशाला, झांसी के कर्मचारियों की लाला लाजपतराय जयन्ती पर छुट्टी

*८४—श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)—

क्या सिंचाई मंत्री यह बतायेंगे कि क्या यह सत्य है कि राजकीय सिंचाई उद्योगशाला, झांसी के कर्मचारियों को दिनांक ३० जनवरी, १९६५ को लाला लाजपत राय जयन्ती के अवसर पर सवेतन छुट्टी नहीं दी गई व कर्मचारियों द्वारा उक्त दिन छुट्टी मनाये जाने पर उनका वेतन काट लिया गया ? क्या यह सत्य है कि मुख्य मंत्री जो को १६ फरवरी, १९६५ को अंतिम प्रार्थना-पत्र उक्त विषय में कर्मचारियों द्वारा दिया गया ? यदि हां, तो मजदूरों में फैले असंतोष को रोकने व उनकी मांग पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गिरधारीलाल—

दिनांक ३० जनवरी १९६५ को लाला लाजपत राय जयन्ती नहीं थी अतः उस दिन सवेतन छुट्टी देने का प्रश्न नहीं उठता ।

[ख भाग—जी नहीं ।

बदायूं में श्री रामगोपाल तथा श्री हरविलास गोयल, स्पेशल मैजिस्ट्रेट के पास मुकदमे

*८५—श्री जुगलकिशोर (जिला बदायूं)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि १९६४ के अन्दर श्री रामगोपाल, स्पेशल मैजिस्ट्रेट, यहां कितने मुकदमे आये ? उनमें कितने-कितने वकालतनामे श्री कैलाशकुमार सिंह, ऐडवोकेट के लगे और कितने वकालतनामे श्री करण सिंह, ऐडवोकेट के लगे ?

श्री सैयद अली जहीर—

५४४ मुकदमें आये जिनमें श्री कैलाशकुमार सिंह, एडवोकेड के ४, और श्री करण सिंह एडवोकेट के १५ वकालतनामें लगे ।

*८६—श्री जुगलकिशोर—

क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि श्री हरविलास गोयल, स्पेशल मैजिस्ट्रेट के इजलास में कितने मुकदमें आये १९६४ में ? उनमें कितने वकालतनामे श्री करण सिंह, एडवोकेट के लगे और कितने वकालतनामें श्री कैलाशकुमार सिंह के उक्त इजलास में १९६४ में लगे ?

श्री सैयद अली जहीर—

४०१ मुकदमें आये जिनमें १७ वकालतनामे श्री करण सिंह, एडवोकेट के और २ वकालतनामे श्री कैलाशकुमार सिंह, एडवोकेट के लगे ।

अतारांकित प्रश्न

महापालिकाओं में दुर्घटनायें

१—चौधरी अब्दुल हसीब खां (जिला बहराइच)—

क्या सरकार इस बात को सदन को अवगत करायेगी कि सन् १९६४ में उत्तर प्रदेश के कवाल शहरों में कितने आदमियों की मृत्यु सड़क दुर्घटना से हुई और कितने घायल हुए ?

२—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि केवल ट्रक दुर्घटना में कितने आदमियों की मृत्यु हुई और कितने घायल हुए ।

३—क्या सरकार ने कोई ऐसा ठोस कदम उठाया है कि जिससे दुर्घटनाओं में कमी हो और विशेष रूप से ट्रकें एक निश्चित गति सीमा से तेज न चल सकें ?

श्री मुजफ्फर हसन—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

गाजीपुर जिले में नलकूप

४—श्री राजनारायसिंह—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजीपुर जनपद के अन्तर्गत मनिहारी, सादात तथा जखनियां विकास खंडों के अन्तर्गत सन् १९६२–६३, १९६३–६४, १९६५–६५ में किन-किन स्थानों पर नलकूप प्रस्तावित थे ? उनमें किन स्थानों पर लगाये जा चुके हैं ? यदि नहीं लगे, तो क्यों ?

५—सन् १९६५–६६ में मनिहारी, जखनियां तथा सादात विकास खंडों में कहां-कहां नलकूप प्रस्तावित हैं और उनके कब तक बोर हो जाने आशा है ?

६—लालगंज तथा ठेकमा डिस्ट्रीब्यूटरी, जिला गाजीपुर द्वारा मार्च, १९६४ तक पानी मिलना था किन्तु पानी न देने की सरकार द्वारा घोषणा हो चुकी है तो क्या ऐसी परिस्थिति में उन असिंचित क्षेत्रों में, जहां की उपजाऊ भूमि का एक बड़ा भू-भाग नहर खुदाई में लग गया है, शीघ्रातिशीघ्र नलकूप की व्यवस्था की जायगी ? यदि हां, तो कहां-कहां और कब तक नलकूप की व्यवस्था हो जायगी ?

श्री गिरधारीलाल—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

७-९—श्री सुरेन्द्रविक्रम तथा श्री महरामसिंह—

[९वें मंगलवार के लिए स्थगित किये गये ।]

गाजीपुर जिले में अभियन्ता एवं ओवरसियर के स्थानान्तरण

१०—श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गाजीपुर में कौन-कौन ओवरसियर तथा इंजीनियर सिंचाई विभाग गाजीपुर में किस तारीख से हैं और उनमें किन-किन लोगों के ट्रांसफर हुए और रद्द किए गए और उसका आधार क्या था ?

श्री गिरधारीलाल—

गाजीपुर जिले में तैनात अभियंताओं तथा ओवरसियरों की सूची तारीख सहित सदन की मेज पर प्रस्तुत है । इनमें प्रयाग नारायण अग्रवाल, अधिशासी अभियन्ता का स्थानान्तरण दिसम्बर, ६३ में किया गया था जो बाद में फरवरी, ६४ में जनहित में रद्द कर दिया गया था ।

फरवरी, ६५ में श्री सदानन्द तथा श्री शैलेश कुमार सिंह ओवरसियरों के स्थानान्तरण आदेश जारी किए गए हैं ।

(देखिए नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ २२४ पर)

गाजीपुर जिले में नलकूप

११—श्री कमलासिंह यादव—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गाजीपुर जिले में कितने नलकूप चल रहे हैं और कितने कब से बेकार पड़े हुए हैं और जो चल रहे हैं, १९६२, १९६३ व १९६४ में कितने घंटे चले, कितनी आमदनी हुई और कितने आरमेचर तथा डाइनमो के जल जाने के कारण कितने दिन तक बन्द रहे ? क्या इसकी तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री गिरधारीलाल—

गाजीपुर जिले में इस समय १९१ नलकूप चल रहे हैं और ८ नलकूप बन्द पड़े हैं जिनका विवरण संलग्न सूची में दिया गया है । अन्य वांछित सूचना भी संलग्न सूची में दी गई है ।

आरमेचर तथा डाइनमों के जलने से कोई नलकूप बन्द नहीं रहा ।

(देखिए नत्थी 'ञ' आगे पृष्ठ २२५ पर)

गोंडा जिले में भगवानपुर सरोवर के बैरेज की दीवार फटजाने के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष—

नियम ५२ के अन्तर्गत जो मैंने माननीय सुखदेव प्रसाद जी की सूचना स्वीकार की है वह इस प्रकार है—

"गोंडा जिले में लगभग ३८ लाख रुपये की लागत से बने भगवानपुर सरोवर जिसका उद्घाटन ७ मार्च, १९६५ को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा किया गया था उसके बैरेज की एक दीवार फट गयी तथा सरोवर से निकलने वाली नहर पानी छोड़ते ही दोनों तरफ से बैठ गयी। लाखों की हानि हुई है।

इस घटना से सरकार के विरुद्ध जनता में घोर असंतोष व्याप्त है। दीवार फट जाने से बाहरी क्षेत्र के लिए असुरक्षा की भावना भी व्याप्त हो रही है"

इस पर कब बयान देंगे ?

सिंचाई मंत्री (श्री गिरधारीलाल)—

अभी तो इसकी कोई सूचना नहीं है। अगले हफ्ते में ६ तारीख तक इस पर प्रकाश डालेंगे।

नियम ५२ के अन्तर्गत अन्य सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

एक सूचना माननीय उग्रसेन, कृष्णा, बांकेलाल, शिवनाथसिंह की यह है कि बस्ती, गोरखपुर तथा देवरिया में चेचक के भीषण प्रकोप से ५०० गांव प्रभावित हैं। इसको मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री के पास भेज रहा हूं।

एक और माननीय उग्रसेन जी का है बीज भंडारों के बारे में कि गोरखपुर, देवरिया, बस्ती जिले में फसल खराब हुई है। इसे भी माननीय मंत्री जी के पास भेज रहा हूं।

श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)—

मैंने भी एक सूचना नियम ५२ के अन्तर्गत दी थी, आपने उस पर क्या किया है ?

श्री अध्यक्ष—

सूचनायें तो बहुत सी आयी थीं। वह मैंने मंत्री जी के पास भेज दी हैं। आप भी अपनी देख लीजिएगा।

श्री चन्द्रबलीसिंह—

आपने दूसरों को भेजी है....

श्री अध्यक्ष—

जिनको मैंने स्वीकार किया है उनको भेजा है। अन्य जो सूचनायें हैं उन पर आदेश लिखा हुआ है, वह देख लीजिएगा।

कतिपय विषय

श्री उमाशंकर तिवारी (जिला वाराणसी)—

अध्यक्ष महोदय, माननीया मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि राज्य के सब काम हिंदी में होंगे और हमारी विधान सभा की भाषा भी हिंदी है। ये मेरे पास दो खत आये हैं संयुक्त सचिव श्री मित्तल साहब के जो कि अंग्रेजी में ....

श्री अध्यक्ष—

आप लिख कर दे दीजिए। मैं देख लूंगा।

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)—

मैं आपका ध्यान प्रश्न ८४ की ओर आकर्षित कर रहा हूं....

श्री अध्यक्ष—

प्रश्नों का समय समाप्त हो गया है। आप मेरे कार्यालय में आ जायं तो अच्छा होगा।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

विधान सभा सचिवालय के मंत्री ने यदि कोई पत्र अंग्रेजी में लिखा है तो उनके विरुद्ध अवश्य तुरन्त कार्यवाही होनी चाहिए। हमारे दारुलशफा के दफ्तर से एक क्लर्क इसलिए निकाल दिया गया कि उसने सचिव की आज्ञा से पत्र बांटा था, तो जिन्होंने पत्र लिखा है उनके विरुद्ध तो अवश्य कार्यवाही होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष—

वह तो मैंने कह दिया कि मैं देख लूंगा।

श्री लखपतराम शर्मा—

मैं प्रश्न ८४ को यहां इसलिए रख रहा था कि उस पर आपकी व्यवस्था हो जाती।

श्री अध्यक्ष—

मेरी व्यवस्था निश्चित हिन्दी के संबंध में हो चुकी है और अगर कोई और शिकायत हो तो मुझ से मिल लीजिएगा। इस वक्त तो नहीं देख सकता।

विधान सभा से अवकाश के लिये श्री छांगुर की प्रार्थना

श्री अध्यक्ष—

श्री छांगुर का एक प्रार्थना पत्र आया है जो इस प्रकार है—"महोदय, मैंने आपका ध्यान अपने पत्र दिनांक १५ जनवरी, १९६५ द्वारा आकर्षित किया था कि मैं भारत सुरक्षा कानून के अन्तर्गत गिरफ्तार कर जिला जेल आजमगढ़ में बन्द रखा गया हूं। ऐसी परिस्थिति में प्रदेशीय सरकार ऐसी व्यवस्था करे कि मैं बजट अधिवेशन में सम्मिलित होकर अपना विचार सरकार की नीतियों तथा देश की परिस्थिति के संबंध में व्यक्त कर सकूं, परन्तु आज तक आप इस प्रकार की व्यवस्था करने में असमर्थ रहे।

ऐसी परिस्थिति में आपसे निवेदन है कि अधिवेशन में मेरी अनुपस्थिति की छुट्टी स्वीकृत की जाय।"

(सदन की अनुमति से अवकाश स्वीकृत किया गया।)

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

श्रीमन्, सरकार अगर किसी पर मुकदमा चलाती है तो उसे स्पष्ट तरीके से अभियोग लगाना चाहिए....

श्री अध्यक्ष—

यह अलग प्रश्न है।

१९६४ के रेफरेंस संख्या १ पर उच्चतम न्यायालय द्वारा व्यक्त मत के संबंध में संकल्प

श्री अध्यक्ष—

अब आपके सामने माननीया मुख्य मन्त्री अपना प्रस्ताव पेश करेंगी ।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रस्ताव किस नियम के अन्तर्गत लाया जा रहा है ?

श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर (जिला–गढ़वाल)—

श्रीमन्, यह जो १९ तारीख का कार्य-विवरण आपके विभाग का मिला है उसमें लिखा है कि सभा सचिव, माननीय बंशीधर पांडेय ने सप्ताह में होने वाले कार्यक्रम की सूचना दी, मगर वह कार्यक्रम क्या है वह इसमें छपा ही नहीं है, उसका विवरण तो छपना चाहिए ?

श्री अध्यक्ष—

इस सम्बन्ध में अगर आप मेरे कमरे में आकर मुझसे बात करें तो मैं उसे देख कर कुछ बता सकता हूं या लिख कर भेज देते तो मैं यहां बता सकता था। आप कमरे में मिल लें।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला–जौनपुर)—

श्रीमन्, इसके पूर्व कि इस प्रस्ताव पर बहस हो, यहां माननीय कन्हैयालाल मिश्र, महाधिवक्ता, को हम सुनना चाहते थे। जब पहले यह प्रश्न उठा था, उस समय भी मैंने यह प्रश्न रखा था और आपने कहा था कि आप उस पर विचार करेंगे ।

श्री अध्यक्ष—

मैंने उस पर विचार किया और मैं इस परिणाम पर पहुंचा कि उनको यहां बुलाने की आवश्यकता नहीं है।

श्री उग्रसेन (जिला–देवरिया)—

जब महाराष्ट्र में इस मामले पर विवाद हुआ था वहां की असेम्बली में तो वहां पर सीरवाई साहब को आमंत्रित किया गया था उनके विचार जानने के लिए, और उन्होंने वहां पर अपना वक्तव्य दिया था। तो अपने प्रदेश में क्या वजह है कि अपने महाधिवक्ता महोदय को आप नहीं बलाते ?

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

हमने उनको मन्त्री पद की सभी सुविधाएं दे रखी हैं और वह इसीलिए हैं कि अगर कोई कानूनी अड़चनें हैं तो उनको वे यहां आकर सुलझा सकें और अपनी राय दे सकें। तो आज जैसी परिस्थिति में भी आप उनको नहीं बुलवाना चाहते हैं, इसकी क्या वजह है ?

श्री हरीशकुमार गगवार (जिला–बरेली)—

पहले भी जब यहां विवाद चला था तो मैंने संकेत किया था कि माननीय न्याय मन्त्री इसमें दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं और उपेक्षा का रुख अख्तियार किए बैठे हैं। आज भी वही स्थिति है। यह प्रश्न आज की स्थिति में माननीय न्याय मन्त्री की ओर से ही आना चाहिए था। संविधान की रक्षा भी इसी प्रकार होगी....

श्री अध्यक्ष—

बहस छोड़िए।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

पार्लियामेन्ट में यही बात हुई थी। वहां पर विधि मन्त्रालय ने रखा था। क्या आप भी इस प्रकार की जानकारी मुख्य मन्त्री जी से करेंगे कि किन-किन परिस्थितियों में माननीय मुख्य मन्त्री को यह यहां पर रखना पड़ रहा है और माननीय न्याय मन्त्री मुकर रहे हैं? उन्होंने इस झगड़े में हमको डाला है। सुचेता जी को बदनाम करने के लिए उन्होंने ऐसा किया है।

श्री काशीनाथ मिश्र—

श्रीमन्, इस विधान सभा की प्रक्रिया नियमावली की किस धारा के अन्तर्गत....

श्री वीरसेन (जिला–मेरठ)—

श्रीमन्, सदन में इस बात का सवाल उठाया गया है कि उनकी राय की जरूरत है। मेरा ऐसा खयाल है कि अगर माननीय सदस्यों ने जजमेन्ट को पढ़ने का कष्ट किया होता तो पता चल जाता कि क्या राय है। उस स्टेटमेन्ट में अपनी राय में जजेज ने, जो बेल ग्रान्ट करने के बारे में है, वही कहा है जो मत सदन का है। मैं समझता हूं कि माननीय न्याय मन्त्री के विषय में जो प्रश्न उठाया गया है, मुख्य मन्त्री जी, जो सदन की नेता हैं, वह विषय उन्हीं की ओर से पेश किया जाना उपयुक्त है। महाराष्ट्र असेम्बली में भी यह विषय मुख्य मन्त्री की ओर से ही पेश किया गया था।

श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला–देवरिया)—

श्रीमन्, मुझे यह कहना है कि जब तक उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के फैसले हिन्दी में हमको नहीं मिलते तब तक यह सवाल इस सदन में न आये। हमको यह अंग्रेजी में मिला है। निश्चित रूप में यह हमारे किसी भी काम का नहीं है।

(तदनुसार श्री चन्द्रबली सिंह ने साहित्य को फाड़ डाला।)

हम कम जानकार लोग हैं। हम सही माने में जनतन्त्र की वकालत कर सकें, जैसा कि प्रस्ताव द्वारा जब तक सारे सदन को यह फैसला हिन्दी में अनुवाद करके नहीं मिल जाता तब तक इस सदन में....

श्री काशीनाथ मिश्र—

यह छोटे न्यायालय का फैसला है। सब का तर्जुमा हो जाय....

श्री नेकराम शर्मा (जिला—अलीगढ़)—

आज जो एजेन्डे में प्रश्न है कि मुख्य मन्त्री निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगी.....उससे पूर्व ही ये एतराज कर रहे हैं। श्रीमन्, जब वे प्रस्तुत करें तब ही माननीय सदस्य, मेरे विचार में, कह सकते हैं। श्रीमन्, महाराष्ट्र असेम्बली में भी वहां के मुख्य मन्त्री ने ही पेश किया था। इसलिए यहां भी मुख्य मन्त्री ही, इस सदन में भी, इस प्रस्ताव को पेश करें। इस सदन की शोभा इसी में ही बढ़ेगी।

श्री भगवान सहाय (जिला शाजहांपुर)—

श्रीमन्, जैसा कि माननीय नेकराम शर्मा ने कहा था हर पार्टी ने इस बात की छूट दे रखी है कि जैसी विचारधारा हो उस हिसाब से बोलें और मत दें। तो मैं माननीय मुख्य मन्त्री से लीडर होने के नाते यह चाहता हूं कि वे प्रस्ताव नहीं पेश करेंगी। अगर उसूलों में विश्वास करती हैं तो वे ही प्रस्ताव पेश करें।

(अनेक सदस्यों के बोलने पर)

श्री अध्यक्ष—

मैं बोल रहा हूं। आप बीच में मत बोलिए। जो व्यवस्थाएं आयी हैं उनको मैं पहले स्पष्ट कर दूं। आप बाद में बोलिएगा। आज यह स्वतन्त्र प्रश्न हमारे सामने प्रस्तुत है। गवर्नमेन्ट इस आदरणीय सदन के सदस्यों के विचारों का आदर करती है, किन्तु यह विषय पार्टी लाईन या दलगत आदेशों के अन्तर्गत नहीं रहेगा

श्री चन्द्रबलीसिंह—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जाइए। जितनी बहस होगी, जैसा कि माननीय सदस्य श्री भगवान सहाय ने कहा, इस आधार पर होगी कि सब आदरणीय सदस्य अपने-अपने विचार सदन की मर्यादाओं के संरक्षण के लिए जो उचित समझेंगे वही कहेंगे। इस आधार पर यह बहस होने जा रही है। अब रहा यह प्रश्न कि हम यहां पर प्रस्ताव लाए हैं और महाराष्ट्र में और कुछ हुआ था। यह एक प्रश्न उठाया गया। इस समय हमारे सामने दो बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है। एक तो यह कि मैंने अपने अधिकारों को प्रयोग में लाकर के एक समिति को नियुक्त की और उस समिति ने इस विषय पर विचार किया। विचार करने के अनन्तर उन्होंने मेरे सामने अपना एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया और प्रतिवेदन के साथ-साथ एक प्रस्ताव रखा कि यह सदन के समक्ष आए। उस प्रस्ताव को सदन के सामने समर्पित किया गया है। एजेन्डा में प्रस्ताव यह आया है। इस प्रतिवेदन और प्रस्ताव पर जो लोगल कमेटी से प्राप्त हुआ है उस पर विचार किया जाय, इस खयाल से यह आया है। अब रहा यह कि महाराष्ट्र में क्या हुआ या अन्यत्र क्या हुआ, यह अधिक महत्वपूर्ण इस वजह से भी नहीं है कि हमारे हाईकोर्ट ने अभी एक निर्णय दे दिया। उस निर्णय के सम्बन्ध में माननीय चन्द्रबली सिंह ने यह आपत्ति उठायी कि हमें हिन्दी में उसका अनुवाद करके दिया जाय। यह हमारे लिए असम्भव है इस वास्ते कि मूल पत्र आपको देखना है। अगर आप नहीं देख सकते, तो हम आपके लिए उसका तर्जुमा करें, यह हमारे लिए सम्भव नहीं है। मैं जो कुछ उसमें दिया हुआ है, उसका सारांश आपके सामने रखने को तैयार हूं। वह मैं रखे देता हूं जो उन्होंने निर्णय दिया है, ताकि समस्त आदरणीय सदस्यों को मालूम हो जाय.....

श्री दीपनारायण सिंह (जिला फतेहपुर)—

पूरी चीजें आनी चाहिए। यहां हिन्दी के जानने वाले ज्यादा हैं....

(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष जी, यह अन्याय होगा....

(व्यवधान)

दूसरी बात यह है कि जिस कमेटी का निर्माण किया है या तो उसके चेयरमैन इसको रखें या सदस्य रखें, आप मुख्य मन्त्री को क्यों इसके लिए खींचना चाहते हैं?

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

श्रीमन्, आपके वक्तव्य से एक अव्यवस्था पैदा हो गई है। आपने कहा कि सदन के सभी माननीय सदस्य स्वतन्त्र हैं अपने विचार प्रकट करने के लिए, तो क्या स्थिति होगी? जब संकल्प मतदान के लिए आयेगा तो क्या हर माननीय सदस्य स्वतन्त्र रहेगा, वह दलगत बन्धन से बंधा हुआ नहीं रहेगा?

श्री अध्यक्ष—

जी हां, वह बंधा हुआ नहीं रहेगा।

श्री दीपनारायणसिंह—

अगर यह प्रस्ताव फेल हो गया तो मुख्य मन्त्री के खिलाफ क्या होगा? आप अपने ऊपर जिम्मेदारी लीजिए....

श्री अध्यक्ष—

माननीय दीपनारायण सिंह, यह पंचायत नहीं है जो आप इस तरह से बात कर रहे हैं...

श्री उग्रसेन—

आपने यह कहा कि यह आपके लिए सम्भव नहीं है कि आप अंग्रेजी से हिन्दी अनुवाद करा दें। आप नहीं करा सकते तो हमको दीजिए, हम करा देंगे....

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जाइए।

श्री उग्रसेन—

इस सदन के माननीय सदस्य अंग्रेजी नहीं जानते हैं। इस पर बहस तब तक न कराई जाए जब तक हिन्दी उर्दू में अनुवाद न कराकर दे दें....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

माननीय दीपनारायण, आप भ्रम में पड़े हैं। यह प्रश्न सरकार का नहीं है, यह प्रश्न मुख्य मन्त्री का नहीं है, यह प्रश्न केवल सदन का है। सदन के सामने एक प्रतिवेदन और एक प्रस्ताव जो उस कमेटी से आया है वह प्रस्तुत है, और उसका कुछ अर्थ नहीं है। इस वजह से इस सम्बन्ध में यह सब बातें करना व्यर्थ है। दूसरी बात यह है कि जो हाईकोर्ट का निर्णय हुआ है उसको आप जानें न जानें, आपके पास सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, उसके ऊपर बहस होगी, उस पर विचार होगा।

श्री उग्रसेन—

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय अंग्रेजी में है, हिन्दी में नहीं है। उसकी हिन्दी कीजिए....

श्री अध्यक्ष—

यह जितनी आपत्तियां हैं इनको मैं अस्वीकार करता हूं, और अब जैसा कि इसमें दिया हुआ है....

श्री काशीनाथ मिश्र—

किस नियम के अन्दर है यह मैंने आपसे पूछा था....

श्री हरीशकुमार गंगवार—

मेरी बात का भी उत्तर आप दे दें।

श्री अध्यक्ष—

जैसा मैं निवेदन कर रहा हूं, जो प्रस्ताव कमेटी ने प्रतिवेदन सहित यहां भेजा है उस प्रस्ताव तथा प्रतिवेदन पर विचार करना है। माननीया मुख्य मन्त्री केवल उसको आपके सामने रख रही हैं। उस पर विवाद होगा।

श्री उग्रसेन—

हमने अपनी भाषा में इसका उल्था कराने की मांग की और यह भी कहा कि महाधिवक्ता को यहां बुलाया जाय और जिस तरह से बहस होती है, प्रस्ताव नहीं आना चाहिए, बावजूद इसके आपने उसको नहीं माना। इसलिए आपकी व्यवस्था के विरोध में ५ मिनट के लिए हम सदन का परित्याग करते हैं।

(संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के सदस्यों ने सदन का परित्याग किया।)

*मुख्य मन्त्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)—

अध्यक्ष महोदय, विधान सभा और हाईकोर्ट के बीच में जो संघर्ष पैदा हुआ है, उससे जो परिस्थिति पैदा हुई है, उस पर आज यह सदन विचार-विमर्श करने जा रहा है। और मैं चाहती हूं जो समस्या हमारे सामने प्रकट हुई है, यह बहुत गम्भीर है क्योंकि एक तरफ विधान सभा है और दूसरी तरफ हाई कोर्ट। कोई भी राज्य अपना कार्य सुचारु रूप से सम्पादित नहीं कर सकता जब तक उसके तीनों बड़े अंगों के अन्दर समन्वय और कोआपरेशन न हो। इसलिए मैं चाहूंगी कि आज विचार-विमर्श शांति तथा गम्भीरता के वातावरण में हो क्योंकि अगर हम आवेश में आ जायं तो इस पर विचार नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं आशा करती हूं कि सारे सदस्यगण बहुत गम्भीरतापूर्वक इस पर विचार करें क्योंकि मसला भी ज्यादा गम्भीर है।

हमारा सदन अधिकार कहां से पाता है? राज्यसत्ता या अधिकार जनता के पास है और उसी ने हमको यहां चुनकर भेजा है। इसलिए वह अधिकार हमारे आज सुरक्षित हैं। उस अधिकार को सुचारुरूप से लेकर क म चलाना है। हमको यह देखना है कि जो काम हमें करना है, वह ठीक से करें और अगर हमारे ऊपर प्रहार होता है, चाहे सदन के बाहर या अन्दर, तो शायद हम आजादी से, स्वाधीनता से, गम्भीरता से जो काम करना चाहते हैं, वह न कर सकें। यही सोच विचार करके संविधान में व्यवस्था की है कि हम अपने पावर्स, प्रिविलेजेज और कंवेन्शन्स को कैसे सुरक्षित कर सकते हैं? जो अधिकार हाउस आफ कामन्स के हैं उन्हीं को हम अपने ऊपर कार्यान्वित करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे संविधान के अनुच्छेद १९४ (३) में कहा गया है कि हमारे वही अधिकार होने चाहिए जो हाउस आफ कामन्स के इस बारे में हैं। अगर यह प्रतीत होता है कि संविधान में जो शब्द हैं, वह हमको पूरा सुरक्षित नहीं करते हैं तो विषय विचारणीय होता है कि उसमें परिवर्तन लाने की जरूरत है या नहीं।

श्री रक्षपालसिंह (जिला—फतेहपुर)—

मान्यवर, क्या यह प्रस्ताव रखा हुआ मान लिया गया? या बाद में रखा जायगा....

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

परिवर्तन जो लाना चाहिए या नहीं, यह भी बड़ा गम्भीर विषय है क्योंकि हमको यह देखना है कि जुडिशियरी का सम्मान, उसके अधिकार और जगह भी सुरक्षित रहें। यह भी देखना है कि लेजिस्लेचर आजादी से काम कर सके, उसके अधिकार, सम्मान और विशेषाधिकार

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सुरक्षित रहें। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए यह बहुत गम्भीर मसला है और मैं चाहूंगी कि इस पर ठंडे दिल से तथा गम्भीरता वे विचार किया जाय। मैं एक कोटेशन 'में' से देना चाहती हूं जिसमें वह कहते हैं कि कभी-कभी यह परिस्थिति होती है, जब विधान सभा को कोर्ट के तरीके से काम करना पड़ता है....

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्द शहर)—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। अभी संकल्प पेश नहीं हुआ है...

श्री अध्यक्ष—

वह अपनी बात कह कर रख सकती हैं। प्रस्तावना के बाद प्रस्ताव आ सकता है।

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

मैं चाहती हूं कि आप लोग संजीदगी से बोलें और इम्पेशेन्ट होकर कोई काम न करें। यही मेरी आप से विनती है :

"This Court (i.e. the Parliament) for its dignity and highness hath privilege as all other courts have. And, as it is above all courts, so it hath privilege above all other courts ; and as it hath privilege and jurisdiction too, so hath it also coercion and compulsion; otherwise the jurisdiction is nothing in a court, it hath no coercion."

यह सम्पूर्ण रूप से बताता है कि इंगलैंड में जो धारणा है कि प्रजातांत्रिक संस्था का क्या उच्च स्थान है। इन सारी बातों को अपने सामने रखते हुए विचार करना है।

एक भाई ने सवाल उठाया कि मुझे यह प्रस्ताव सदन के सामने रखना है या नहीं। यह प्रस्ताव मेरी तरफ से नहीं है—बल्कि, अध्यक्ष महोदय, आपने जो लीगल कमेटी बनाई थी, उसने रखा है। उस समिति में बहुत से सदस्य थे, जिन्होंने बहुत बारीकी से इस मसले पर अध्ययन किया है। इसलिए मुनासिब यह होगा कि यह प्रस्ताव लीगल कमेटी के कन्वीनर ही सदन में रखें। जो कुछ विचार-विमर्श हो, पार्टी लाइन में कोई न सोचे, क्योंकि मसला बहुत गम्भीर है। यह हमारे सदन का मसला नहीं है बल्कि सारे भारत के संविधान का प्रश्न है।

श्री उग्रसेन—

मेरा एक छोटा-सा संशोधन है कि यह प्रस्ताव के रूप में नहीं, बल्कि विवाद के लिए रख दिया जाय। मैं माननीय नवलकिशोर जी से कहता हूं कि वह विवाद के लिए रखें, कोई प्रस्ताव न रखें। बड़ा मूलभूत सिद्धान्त है, आप तो कानून के महापंडित हैं। यह बड़ा भारी मौलिक प्रश्न है और अगर संविधान में संशोधन किया गया तो उत्तर प्रदेश विधान सभा के मुंह पर कालिख लग जायगी।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)—

अध्यक्ष महोदय, इस सदन का निश्चित मत है कि अनुच्छेद १४३ (१) के अधीन....

श्री चन्द्रबलीसिंह—

श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय नवलकिशोर जी, जो कानूनी राय देने वाली कमेटी के संयोजक हैं, वह हमारी प्रक्रिया नियमावली के किस नियम के अन्तर्गत इस प्रस्ताव को पेश कर रहे हैं?

श्री अध्यक्ष—

एक समिति मैंने नियुक्त की थी, उस समिति को नियुक्त करने का मुझे अधिकार है।

श्री उग्रसेन—

आपको तो पचीसों कमेटी नियुक्त करने का अधिकार है, लेकिन हम यह जानना चाहते हैं कि माननीय नवलकिशोर जी किस नियम के अधीन इस प्रस्ताव को पेश कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष—

आप बैठें। जो समिति मुझे प्रतिवेदन दे, उसे इस सदन के सामने रखना आवश्यक है और उसको मैंने रखा दिया है।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

श्रीमन्, व्यवस्था का प्रश्न है। संकल्प माननीया मुख्य मन्त्री के नाम से था, लेकिन वह उसको प्रस्तुत नहीं कर रही हैं। अतः यह संकल्प अपने आप निरस्त हो गया। अब माननीय नवलकिशोर यह संकल्प पेश नहीं कर सकते। आप इस पर व्यवस्था दें।

श्री अध्यक्ष—

वह पेश कर सकते हैं।

श्री नवलकिशोर—

मैं आपकी आज्ञा से निम्न संकल्प प्रस्तुत करता हूं—

"इस सदन का यह निश्चित मत है कि अनुच्छेद १४३ (१) के अधीन रेफरेन्स नं० १, सन् १९६४ में जो मत उच्चतम न्यायालय के बहुमत न्यायाधीशों ने व्यक्त किया है वह संविधान के अनुच्छेद १९४ (३) की स्पष्ट भाषा और भावना के विपरीत प्रतीत होता है और साथ ही साथ संविधान के निर्माताओं के अभिप्रायों के सर्वथा प्रतिकूल है। अतः उच्चतम न्यायालय की राय से उत्पन्न भ्रान्तियों के निवारणार्थ...

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। यह प्रतिवेदन है या संकल्प है ?

श्री अध्यक्ष—

प्रतिवेदन मय संकल्प के आया है।

श्री राधेश्याम शर्मा—

तो बिना शलाका के कैसे आया ?

श्री अध्यक्ष—

यह प्रस्ताव है। मैं इसकी इजाजत देता हूं। अब इस पर जितने प्रश्न उठाए गए, वह खत्म हुए।

श्री रघुपाल सिंह—

श्रीमन्, यहां जो कार्यवाही होगी वह प्रक्रिया नियमावली के अन्तर्गत ही तो होगी ?

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जाइये। संकल्प की परिभाषा को देख लीजिये।

श्री राधेश्याम शर्मा—

बिना शलाका के कैसे आवेगा ?

श्री नवलकिशोर—

"...यदि आवश्यकता समझी जाय तो संविधान में उचित संशोधन या स्पष्टीकरण करने के लिए कार्यवाही की जाय, जिससे कि संसद तथा राज्य विधान मंडलों के सदनों, समितियों तथा सदस्यों के विशेषाधिकार, उन्मुक्तियां तथा शक्तियां, ब्रिटिश हाउस आफ कामन्स, उसकी समितियां तथा सदस्यों के ही समान बनी रहें तथा प्रवर्तित हों।"

श्री काशीनाथ मिश्र—

श्रीमन्, हमारा एक संवैधानिक प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जायं, मैं समझता हूं कि आप केवल बाधा उपस्थित करने के लिये ही ऐसा कर रहे हैं।

श्री काशीनाथ मिश्र—

हमारी मंशा यह है कि इस पर बहस कराई जाय, हमारी कभी यह मंशा नहीं है कि इसमें कोई बाधा डाली जाय। लेकिन मैं चाहता हूं कि इस पर कायदे से बहस हो। मैंने स्वयं इस पर एक संशोधन रखा है।

श्री अध्यक्ष—

कहिये, आप क्या चाहते हैं?

श्री काशीनाथ मिश्र—

मान्यवर, इसमें जो पहला वाक्य है वह इस प्रकार से है—"इस सदन का यह निश्चित मत है कि अनुच्छेद १४३ (१) के अधीन रेफरेन्स नम्बर १, सन् १९६४ में जो मत उच्चतम न्यायालय के बहुमत न्यायाधीशों ने व्यक्त किया है वह संविधान के अनुच्छेद १९४ (३) की स्पष्ट भाषा और भावना के विपरीत प्रतीत होता है और साथ ही साथ संविधान के निर्माताओं के अभिप्रायों के सर्वथा प्रतिकूल है।" इस वाक्य के साफ मानी यह हैं कि हम संविधान को इन्टरप्रेट करना चाहते हैं; लेकिन संविधान की धारा १४७ के अनुसार संविधान को इन्टरप्रेट करने का अधिकार केवल सुप्रीम कोर्ट को है। सुप्रीम कोर्ट ही इस विषय में अपनी राय प्रकट कर सकता है कि संविधान की किस धारा का क्या मन्तव्य है। यह सदन इस बात के लिये कतई सक्षम नहीं है कि संविधान के निर्माताओं की क्या राय थी, संविधान की किस धारा का क्या अर्थ होता है? इन सब बातों पर विचार करने के लिये सक्षम केवल सुप्रीमकोर्ट ही है। इसीलिये मैंने मित्थल जी को यह संशोधन कल लिख कर दिया कि अगर आप इस प्रस्ताव को लाने के बहुत ही इच्छुक हों तो इस वाक्य को हटा कर यह वाक्य रख दिया जाय—"१४३ (क) के अधीन जो रेफरेन्स माननीय राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय को किया था और उस पर उच्चतम न्यायालय ने जो राय व्यक्त की है, उस राय के चलते लेजिस्लेचर और जुडीशियरी के क्षेत्राधिकार के बारे में कुछ लोगों के मन में भ्रम उत्पन्न हो गया है।" इस पर बहस हो जाय। लेकिन इस प्रकार के संकल्प से संविधान की मर्यादा पर आघात पहुंचता है और कान्स्टीटयूशन के इन्टरप्रेट करने का काम हम करते हैं जो काम केवल सुप्रीम कोर्ट ही कर सकता है। कांस्टीटयूशन में यह अधिकार दिया हुआ है और हम भी कान्स्टीटयूशन के अनुसार ही इस सदन में बैठे हुए हैं। अतः हम इस पर बहस नहीं कर सकते।

श्री रूपनारायणसिंह—

श्रीमन्, यह संकल्प जो इस समय सदन में प्रस्तुत है वह हमारी प्रक्रिया नियमावली....

श्री अध्यक्ष--

वे सारी चीजें अब खत्म हो गयीं ।

श्री नेकराम वर्मा--

माननीय नवलकिशोर जी ने संकल्प में "सर्वथा प्रतिकूल" शब्दों का प्रयोग किया है । इसका डेफिनिट यह अर्थ निकलता है कि सुप्रीम कोर्ट की ओपोनियन कान्स्टीट्यूशन मेकर्स की ओपीनियन की भावना के प्रतिकूल है ।

श्री उग्रसेन--

यह तो गलत है । माननीय अजीजहीर जो इस समय सौभाग्य से आ गये ह, उनकी राय इस बारे में जान ली जाय ।

श्री अध्यक्ष--

इस कामले मे इतनी उग्रता दिखलाने की आवश्दकता नहीं । तमाम दुनियां की संसदों में यह तरीका बरता जाता है कि जब किसी अदालत के द्वारा कोई निर्वाचन किसी कानून का इस प्रकार से हो जिसको संसद समझता है कि नहीं होना चाहिये, हमारा मन्तव्य उस निर्वाचन से भिन्न था, अदालत ने दूसरा अर्थ लगाया जो हम नहीं लगाना चाहते थे, तो उसके लिए एकमात्र यही रास्ता है कि हम कहें कि जो कानून हमने बनाया, उसका निर्वाचन अदालत ने ऐसा किया है जो हमारे मन्तव्य के विपरीत है । हमारा मन्तव्य दूसरा था अतः उसमें इस प्रकार का संशोधन किया जावे । यह एक तर्कसिद्ध सर्वसम्मत सिद्धान्त है । उस सिद्धान्त के विचार से जो प्रश्न आप उठा रहे हं वह प्रश्न नहीं उठता । माननीय काशीनाथ इस प्रस्ताव से स्वयं भी सहमत हैं । आपने हमें लिखकर संशोधन दिया है, उसमें आप इससे सहमत थे कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय से उत्पन्न भ्रान्तियों के निवारणार्थ यदि आवश्यक समझा जाय तो संविधान में उचित संशोधन हो । जो मुख्य भावना इस प्रस्ताव की है, वह यही है । अब यह कि हम इसको क्यों चाहते हैं । इसलिये चाहते हैं कि हम यह समझते हैं कि जो मन्तव्य हमारा था वह इस सुप्रीम कोर्ट के मत से खंडित हो गया है । इसके बारे में जो पहली ४ पंक्तियां हैं वे प्रस्तावना मात्र है कि क्यों हम यह प्रार्थना कर रहे हैं, क्यों हम यह प्रस्ताव करते हैं कि संविधान में संशोधन हो ? उसका कारण यह है कि हम यह समझते हैं कि जो संविधान का वास्तविक मन्तव्य था वह इस मत से खंडित होता है । अतः माननीय काशीनाथ जी ने जो प्रश्न उठाया है उसको मैं अस्वीकार करता हूं ।

श्री काशीनाथ मिश्र--

यह बात नहीं है, श्रीमन् । मैं आपकी व्यवस्था को बिलकुल खंडित नहीं कर रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष--

इस पर बहस करने की जरूरत नहीं है । आपने एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया था, अब वह खत्म हो गया ।

श्री काशीनाथ मिश्र--

मैं एक दूसरा व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष--

आपने पहले एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया था, यह नहीं हो सकता कि बीच-बीच में आप एक-एक करके व्यवस्था का प्रश्न उठाते रहें ।

श्री दीपनारायणसिंह--

आप इसका उत्तर दे दें कि अनुच्छेद २११ की तहत में यह कहां तक है ।

श्री अध्यक्ष—

माननीय दीपनारायण जी, आप बैठ जायं।

श्री नवलकिशोर—

अध्यक्ष महोदय, आज जो विषय सदन के सम्मुख है, जैसा कि माननीया मुख्य मंत्री ने कहा और उन्होंने अपील की कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण और गम्भीर विषय है। केवल इस सदन को ही नहीं, बल्कि तमाम संसद और जनतंत्र प्रणाली जो भी है उनके लिये बहुत महत्वपूर्ण है और इसलिये गम्भीरता के साथ सोचने की बात है। सबसे पहली बात यह कही गयी—मैं भी उन लोगों में हूं जो इस बात को मानते हैं कि जनतंत्र को कामयाबी के साथ चलाने के लिये आवश्यक है कि जुडिशियरी की जो स्वतंत्र कार्यशैली है उसको पूर्ण रूप से मान्यता प्राप्त होनी चाहिये। परन्तु इसके साथ ही साथ.....

श्री चन्द्रबलीसिंह—

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है, श्रीमन्।

श्री अध्यक्ष—

जी नहीं, अब कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठ सकता।

श्री चन्द्रबलीसिंह—

क्यों नहीं व्यवस्था का प्रश्न उठ सकता?

श्री अध्यक्ष—

श्री चन्द्रबली जी, आप बार-बार सदन के कार्य में बाधा डाल रहे हैं। आप बैठ जायं, अगर आप नहीं बैठते हैं तो सदन छोड़ दें।

श्री चन्द्रबलीसिंह—

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—

वह खत्म हो गया, अब आप व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठा सकते।

श्री उग्रसेन—

आप कृपया बतलायें कि किस नियम के अनुसार आप कह रहे हैं कि श्री चन्द्रबलीसिंह अब व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठा सकते।

श्री अध्यक्ष—

इसलिये कि जब यह पेश हुआ उसी समय आपको इसे उठाना था।

श्री उग्रसेन—

उसी क्रम में तो व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं। हमारा अधिकार है व्यवस्था का प्रश्न उठाने का, चाहे एक-एक करके उठायें या जिस तरह से उठावें।

श्री अध्यक्ष—

आप इस तरह से व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठा सकते हैं।

श्री उग्रसेन—

फिर ये सारी किताबें जो छप कर माननीय सदस्यों को मिली हैं वे काहे के लिये हैं? क्या वे बेच कर तम्बाकू खाने के लिये हैं?

श्री अध्यक्ष—

श्री उग्रसेन जी, इस तरह की बातचीत नहीं होनी चाहिये, आप कृपया बैठ जायं।

श्री चन्द्रबलीसिंह—

आपकी इस व्यवस्था के विरोध में मैं सदन का त्याग कर रहा हूं।

(श्री चन्द्रबली सिंह सदन छोड़ कर चले गये)

श्री नवलकिशोर—

श्रीमन्, मैं यह कह रहा था कि जहां पर यह जरूरी है कि जुडिशियरी को इंडिपेंडेंस मानी जाये, वहां यह भी मानना जरूरी है कि संसद और विधान सभाओं की जो परम्परायें हैं, उनकी जो मान मर्यादायें हैं, उनकी तरफ भी पूर्ण ध्यान देना होगा और उनकी रक्षा करनी पड़ेगी।

मान्यवर, माननीय गजेन्द्र गदकर ने इस सम्बन्ध में जो अपनी सही ओपीनियन दी है और जो विचार उन्होंने प्रकट किये हैं जिनसे मैं पूर्णतया सहमत हूं वह मैं आपकी आज्ञा से स्पेशल रेफ्रेन्स के पृष्ठ १३ से पढ़ना चाहता हूं। उन्होंने कहा है कि "दीज टू.....

श्री काशीनाथ मिश्र—

श्रीमन्, आप इस विषय पर किसी ऐसे आदमी को बुलवायें कि जो अच्छी एडवोकेसी कर सके और केस को अच्छी तरह से पेश कर सके।

श्री उग्रसेन—

वह अंग्रेजी से पढ़ें तो उसका हिन्दी का अनुवाद समझा दें, उस पर आप रोक न लगायें।

श्री अध्यक्ष—

वह अनुवाद कर देंगे। आप बैठें।

श्री नवलकिशोर—

"These two august bodies as well as the Executive which is another important constituent of a democratic State, must function not in antimony nor in a spirit of hostility, but-rationally, harmoniously and in a spirit of understanding within their respective spheres, for such harmonious working of the three constituents of the democratic State alone will help the peaceful development, growth and stabilization of the democratic way of life in this country."

इसका मतलब यह है कि हमारे जो यह ३ अंग हैं एग्जिक्यूटिव, जुडीशियरी और लेजिस्लेचर, इन तीनों को अपने-अपने क्षेत्र में इस प्रकार आपस में सहयोग के साथ मिल कर काम करना चाहिये ताकि देश में जनतन्त्र का ढांचा मजबूती से चल सके। अब जो वाकया हुआ उसकी तफसील में आकर मैं सदन का ज्यादा वक्त न लूंगा, क्योंकि वह सब चीज इस सदन के सामने ही हुई है कि किस तरह से एक इश्तहार निकला और उस पर आपके पास नोच का नोटिस आया; आपने उस मामले को विशेषाधिकार समिति को भेजा, किस तरह से ४ के खिलाफ वह चार्ज था, जिसमें से २ ने आकर सदन में रिप्रीमान्ड को स्वीकार कर लिया। श्री केशवसिंह माननीय अध्यक्ष की आज्ञा के बावजूद नहीं आये और उस पर माननीय मुख्य मंत्री के प्रस्ताव पर उनको ७ दिन की सजा दी गई, परन्तु जब उनको जेल में ६ दिन बीत गये तो किस तरह से हाईकोर्ट में उनकी तरफ से एक हैबियस कारपस एप्लीकेशन मूव की गई और हाई कोर्ट ने उनको बेल पर छोड़ दिया। सदन को इस सब की पूर्ण जानकारी है और उसके आगे की वह सब घटनायें आप के सामने हैं कि किस तरह से प्रेसीडेंट ने आर्टिकिल १४३ के मातहत इस मामले को सुप्रीम कोर्ट की राय के लिये भेजा और उसके बाद जो राय आई वह सभी वाकयात आपके सामने हैं। हम समझते थे कि सुप्रीम कोर्ट की राय आने के बाद स्थिति में कुछ सुधार होगा, लेकिन दुख है कि वह स्थिति बजाय सुधरने के और उलझ गई।

एक बात मैं और कह दूं कि कुछ ऐसी कठिनाइयां हमारे सामने हैं जैसे सुप्रीम कोर्ट ने दो रायें दी हैं; ७ जजेज में से ६ ने एक राय दी है और एक जज ने दूसरी राय दी है। कठिनाई यह है कि एक सुप्रीम कोर्ट से ही दो रायें दी गईं और ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति किस की बात मानें, ६ जजों की मानें या एक जज की मानें जिसमें कि वह समझते हैं कि उनके तर्कों में वेट या वजन ज्यादा है। यह बहुत दिक्कत की बात है कि हम दोनों राय में से कौन सी मानें। एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि यदि वह राय एक भी होती तो भी वह हमारे लिये कोई बाइन्डिंग न होती। जैसा कि मैंने अर्ज किया कि हम इसके लिये कोई पार्टी नहीं थे और हमने कोई रिफ्रेन्स प्रेसीडेंट को नहीं भेजा था। कोई डेटा जिन पर कि रिफ्रेन्स ड्राफ्ट हुआ वह हम से नहीं मांगे गये और जो स्टेटमेंट सीरवाई साहब ने पेश किया उसके पहले और दूसरे पन्ने पर मैं बता दूं कि यह स्पष्ट कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट खुद कहता है कि वह बाइंडिंग नहीं है। हमारे ऐडवोकेट ने स्पष्ट कहा था कि हम जो कोर्ट के सामने पेश हो रहे हैं उससे आप यह न समझें कि हम आपके जूरिसडिक्शन के लिये सबमिट कर रहे हैं बल्कि केवल इसलिये कि जो वाकयात हैं और जो स्टेटमेंट है कि जनरल वारन्ट के द्वारा अवमान के लिये कमिटमेंट का अधिकार केवल विधान सभा को और संसद को इक्सक्लूसिवली है और उसमें कोई अदालत हस्तक्षेप नहीं कर सकती।

"The only object of filing this statement of case, and of appearing before this Honourable Court, is to inform this Honourable Court that the action of the House on which this opinion of this Honourable Court is asked by the President of India were done in exercise of the authority of the House under the legitimate use of its privileges, and also to informally state its case, ..."

उन्होंने यह भी कहा कि अगर आपका खयाल हो कि हम पार्टी बनकर आये हैं तो हमें स्पष्ट आदेश है कि हम इस कोर्ट से अपने को विड्ड्रा कर लें। मैं केवल आपसे यह कह रहा था कि यह स्पष्ट कर दिया गया था कि हम सुप्रीम कोर्ट की इमदाद के लिये वहां गये, वरना हमारी मंशा नहीं थी। यह ओपीनियन कोई फैसला, कोई डिसिशन नहीं है। यह बाइंडिंग नहीं है। इसके अन्दर सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि चूंकि कोई पार्टी हमारे सामने नहीं आयी है, उनके बीच में कोई ईशू नहीं था। इसलिये यह बाइंडिंग नहीं है।

इसके अलावा जो और भी अन्तर्राष्ट्रीय विद्वान हैं उनकी भी यही राय है कि जो ओपीनियन होती है फैडरल कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की वह किसी आदमी के ऊपर बाइंडिंग नहीं होती। इसलिये इसकी मान्यता का कोई प्रश्न नहीं उठता है। इस ओपीनियन की हैसियत एक ला आफिसर की राय की होती है। कैनाडा के एक केस में इसको स्पष्ट दिया है। इसके साथ ही साथ में यह भी अर्ज कर दूं कि इसमें दो बातें थीं जिनमें यह सुप्रीम कोर्ट को रैफर किया गया। आर्टिकिल १४३ (१) में सुप्रीम कोर्ट को यह भी अधिकार है कि वह अपनी ओपीनियन न भी दे। यह भी उन्होंने माना है। मेरी राय में अगर ऐसा होता तो यह होता कि यदि सुप्रीम कोर्ट इसमें अपनी राय न देती। मान्यवर, जो दो ओपिनियन आये हैं, उनके अन्दर जो मुख्य निर्णय हैं वह मैं आपकी आज्ञा से पढ़ देता हूं। इसमें सबसे बड़ा शर्मा का केस है। उस केस में ५ जजेज का बेंच बैठा था सुप्रीम कोर्ट का और उन्होंने यह तय किया कि कमिटमेंट के मामले में अदालत दखल नहीं दे सकती है। आर्टिकिल १९ (१) (ए) भी इसमें लागू नहीं होता, लेकिन औरों के बारे में कोई निर्णय नहीं दिया। शर्मा के केस के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आर्टिकिल १९ (ए) उस पर लागू नहीं होता लेकिन उन्होंने एक इन्फरेन्स निकाला है जिसके अन्दर उनके विचार से आर्टिकिल २१ आ सकता है। २२ (२) भी आ सकता है। तो उनका कहना कि विधान के पार्ट ३ के अन्दर जो फन्डामेंटल राइट्स हैं उनके बारे में यह स्पष्ट नहीं किया है कि आर्टिकिल १९४ (३) में उनके ऊपर है या उनको ओवरराइड (override) करता है मगर इसके बखिलाफ जस्टिस सरकार ने साफ-साफ कहा है :—

"It is then said that even so, that privilege of the Assembly can be excercised only subject to the fundamental rights of a citizen gauranteed by the

[श्री नवलकिशोरी]

Constitution. That takes me to Sharma's Case. As I read the judgment of the majority in that case, they seem to me to hold that the privileges of the House of Commons which were conferred on the Houses of State Legislature by Article 194(3), take precedence over fundamental rights."

जस्टिस सरकार का मत है कि १९४ (३) में जो प्रिविलेज हाउस आफ कामन्स के हैं, वही विधान सभा को दिये गये हैं और वे फन्डामेंटल राइट्स के ऊपर हैं और उसको मानना चाहिये ।

दूसरी खास बात जो उन्होंने कही है वह यह है कि :

"Apart from the fact that there was no controversy about the applicability of Article 22 in the case (G. K. Reddy's case) we ought to point out, with respect, that the comment made by the majority opinion on the earlier decision is partly not accurate..... In other words, the question as to whether Article 22(2) would apply to such a case may have to be considered by the Court if and when it becomes necessary to do so."

तो आर्टीकिल २२ की बात इसमें लाने की कोशिश की गई है ।

तीसरी बात यह कही गई है २१२ (१) के अधीन कोई भी नागरिक उचित कोर्ट के सामने जाकर कह सकता है, कि सदन के अन्दर की प्रोसीडिंग्स अवैध हैं क्योंकि प्रोसीजर जो इस्तेमाल किया गया केवल irrelgular ही नहीं था बल्कि illegal था ।

इसके साथ-साथ चौथी बात जो है वह यह है कि मजोरिटी ने जो निर्णय दिया है उसमें वे कहते हैं कि आर्टिकिल २२६ में हाई कोर्ट को अधिकार है कि जब कोई व्यक्ति न्याय के लिये उनके पास जाय कि मुझको गलत तरीके से पकड़ा गया है तो वह हैबियस कार्पस की एप्लीकेशन दे सकता है । आर्टिकिल १२ की डैफिनिशन में "स्टेट" के अन्दर गवर्नमेंट, पार्लियामेंट आफ इण्डिया और सरकार और प्रत्येक प्रदेश के लेजिस्लेचर आते हैं । आर्टिकिल २२६ में "गवर्नमेंट" शब्द आया है इसलिये उन्होंने कहा कि हम रिट स्वीकार कर सकते हैं सदन के खिलाफ भी, गो कि जस्टिस सरकार ने इसके खिलाफ यह कहा है :—

"I then come to the conclusion that the right to commit for contempt by a general warrant with the consequent deprivation of jurisdiction of the Courts of Law to enquire into that committal is a privilege of the House of Commons. That privilege is, in my view, for the reasons earlier stated, possessed by the Uttar Pradesh Assembly by reason of Article 194(3) of the Constitution."

उन्होंने कहा है क्योंकि तमाम प्रिविलेजेज पावर्स तथा इम्युनिटीज हाउस आफ कामन्स की विधान सभा को मिल गयी हैं इसलिये यह इंटरप्रिटेशन करना कि हैबियस कार्पस एप्लिकेशन को हाई कोर्ट ले सकते हैं तो यह बात नहीं है । हाईकोर्ट का जजमेंट है उसको भी, श्रीमन्, मैं पढ़ूंगा । पांचवी बात का संबंध है उस एक केस से जो आस्ट्रेलिया में रिचार्ड नाम से मशहूर है और उसमें वही एतराज उठाया गया था जो सीतलवाद ने केस में आर्ग्युमेंट के दौरान उठाया था कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के जो प्रिविलेजेज हैं वे इसलिये लागू नहीं होते कि हिन्दुस्तान में एक फेडरल गवर्नमेंट है, स्टेट लेजिस्लेचर है, पार्लियामेंट है । यह भी कहा कि इसका रिटन कांस्टीट्यूशन है । मगर आस्ट्रेलिया की हाईकोर्ट और प्रिवीकौन्सिल ने रिचार्ड के केस में इन सब दलीलों को नहीं माना । प्रिवी कौंसिल ने साफ कहा कि हाईकोर्ट का निर्णय in impeachable है, कि कोर्ट जनरल वारन्ट में दखल नहीं दे सकती। मगर सुप्रीम कोर्ट ने यह कह कर टाल दिया कि आस्ट्रेलिया का कांस्टीट्यूशन यहां से भिन्न है और यह बात संभव है कि आर्टिकिल ३२ और २२६ और उसका कारस्पोंडिंग आर्टिकिल शायद उनके कांस्टीट्यूशन में न हो । इस मामले में मायनारिटी ओपीनियन बहुत साफ है । उनका कहना यह है कि :—

"The similarity in the language of the provisions in the Australian Constitution and our Constitution is striking....in Richard's case (Supra) an

application was made to the Judicial committee for leave to appeal from the judgement of Dixon C. J. but such leave was refused Viscount simonds observing that the judgement of the Australian High Court is unimpeachable. ..It would, therefore, appear that Article 194 (3) conferred in the Assembly the power to commit for contempt and it possessed that power."

उन्होंने यह कहा है कि जो कमिटमेंट है कंटेम्प्ट का यह इंटीग्रल पार्ट नहीं है प्रिविलेज का । यह जो ब्रिटिश पार्लियामेंट को अधिकार रहा है उसके वो, तीन कारण रहे हैं—कोई कोर्ट का एग्रिमेंट हो, कंवेंशन हो, कोई आपसी कमिटमेंट की बात हो । इसलिये वह चीज हिन्दुस्तान की पार्लियामेन्ट को, देश की असेम्बलीज को ट्रान्सफर नहीं हो सकती । इसके ऊपर भी जस्टिस सरकार ने कहा है :

"Now if the privilege of committing by a general warrant is a right enforceable in law which belongs to the House of Commons, it cannot be a matter controlled by the rules of comity of courts. Courts do not reate laws at all, least of all by agreement ; they ascertain them and administer them. For the same reason, courts cannot create a law by concession. A court has no right to concede a question of Law unless the law already exists. I find it impossible to imagine that any parliamentary privilege which creates an enforceable right could be brought into existence by agreement with courts or by a concession made by them."

यह मैंने इसलिये पढ़ा कि दोनों में इतना ज्यादा इख्तिलाफ है । सातवीं बात यह कही गई । १९४(३) का पहला हिस्सा जो है उस पर यह कहा गया कि वह अपनी पावर्स और प्रिविलेजेज को डिफाइन करें तो सीरवाई साहब का उस पर कहना था कि वह कांस्टीटयूशनल ऐक्ट होगा, यह कांस्टीट्यूशनल पावर का प्रयोग होगा । जब ऐसा होगा तो जो एनएक्टमेंट बनेगा वह जो आर्टिकिल १३ है, उसमें जुडीशियल रेन्यू के अन्तर्गत वह नहीं आयेगा । सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह इसको नहीं मानते । मुख्तसर तौर पर ये फाइंडिग्स हैं ।

मैं, इस संबंध में, इनसे दो, चार बातें निकालता हूं । एक तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात की कोशिश की है और उन्होंने यह कहा है कि यह झगड़ा जुडीशियरी और विधायिका का नहीं है बल्कि नागरिकों के फन्डामेन्टल राइट्स का झगड़ा है । अगर वह चीज कोर्ट में आती है तो वह उसको एन्टरटेन करने के लिये मजबूर हैं । मैं समझता हूं कि यह साइड ट्रैक करने की बात है । आपस में न्यायपालिका और विधायिका का जो मतभेद है वह प्योरली जुरिस्डिक्शन का है । लेकिन हमारे जो राइट्स हैं उनके अन्तर्गत हम किसी को कमिट कर दें तो न कोई कोर्ट उसे देख सकती है और उसमें न कोई इंटरफियरेन्स ही कर सकती है । अगर कोर्ट इंटरफियर करती है तो हाउस का कंटेम्प्ट होगा । श्रीमन्, उनका कहना यह है कि यह झगड़ा सिटीजन्स के फन्डामेन्टल राइटस का है जिसका संरक्षण करना अदालतों को और विशेष कर हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को जरूरी है ।

मान्यवर, मैं इसके संबंध में आपकी आज्ञा से आदरणीय सदन के समक्ष दो-तीन बातें कहना चाहता हूं । पहली बात यह है कि विधान सभा की कोई मंशा किसी भी स्टेज पर यह नहीं है कि हम किसी नागरिक के फन्डामेन्टल राइट्स को कम करें । मैं यह भी कहूंगा कि फन्डामेन्टल राइट्स किसने दिये । इसके संबंध में लीगल कमेटी की रिपोर्ट के पैरा ३ को सदन के समक्ष रखना चाहता हूं । वह इस प्रकार है कि "समिति को खेद है कि इस विवाद में नागरिकों के मूल अधिकारों को अनावश्यक रूप से घसीटा गया है । समिति न्यायपालिका की घोषणा को स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि केवल न्यायपालिका ही नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षक है, क्योंकि व्यक्तियों की स्वतंत्रता और स्वाधीनता जनता की प्रजातांत्रिक प्रगति तथा उसकी राजनीतिक परम्पराओं से प्रस्फुटित होती है, न्यायपालिका से नहीं ।" इसका मतलब यह है कि उनका खयाल है कि वे सिटीजन्स के फन्डामेन्टल राइट्स के डिफेन्डर

]श्री नवलकिशोर]

हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है। जो विधायिका जनता द्वारा बनी है उसमें जनता अपने प्रतिनिधियों को चुन कर भेजती है। उसकी इच्छा और जो उसके विचार हैं, उनका यहां प्रतिनिधित्व जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा होता है। इसलिये यह कहना कि हम फन्डामेन्टल राइट्स को कुचल रहे हैं, यह गलत है।

"No representative body can ever play with the rights of citizens i.e. its masters".

मान्यवर, कांस्टीटुयेन्ट असेम्बली ने फन्डामेन्टल राइट्स दिये हैं। वह हर इंडिवीजुअल को हैं। लेकिन जो कानूनी विशेषज्ञ हैं उनका मत है कि जो विधायिका के प्रिविलेजेज हैं वह भी फन्डामेन्टल राइट्स ही हैं। उनको भी फन्डामेन्टल राइट्स ही कहते हैं। मान्यवर, इसके माने यह हुए कि सामूहिक जनता का वह प्रतिनिधित्व करती है। तो जनता के फन्डामेन्टल राइट्स हमारे भी प्रिविलेजेज में आ जाते हैं। अव्वल तो, मान्यवर, इसके संबंध में कोई संघर्ष नहीं है; लेकिन अगर होता भी है तो कलेक्टिव फन्डामेन्टल राइट्स के मुकाबले में इंडिवीजुअल राइट्स की बात चलने वाली नहीं है।

मान्यवर, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जो जुडीशियरी की बात कही जाती है तो जुडीशियरी का काम यह है कि जिस देश में जैसा पोलिटीकल सेट होता है, जैसी राजनीतिक व्यवस्था होती है उसके अनुकूल कानून को चलाये व इन्टरप्रेट करे। मान्यवर, बहुत से देशों में डिक्टेटरशिप है लेकिन वहां पर भी जुडीशियरी काम करती है। देश के स्वतंत्र होने से पहले इसी जुडीशियरी ने हमारे देश के राष्ट्र पिता महात्मा गांधी जी और नेहरू जी को जेल भेजा था। मैं यह नहीं कहता कि उसने कोई गलत काम किया। जो सार्वभौमिक सत्ता जनता के अन्दर है, उसने ही कांस्टीटुयेंट असेम्बली चुनकर देश का विधान बनाया और कुछ अधिकार असेम्बली को दिये गये, पार्लियामेन्ट को दिये, जुडीशियरी को दिये और कुछ अधिकार एक्जीक्यूटिव को दिये गये। लेकिन किसी को अधिकार नहीं है कि कोई एक दूसरे के अधिकारों में हस्तक्षेप करे लिहाजा उनकी यह दलील बहुत ज्यादा उचित नहीं है।

"Even Courts cannot abrogate all sorts of sweeping powers to themselves."

एक बात मैं और कह दूं कि इस मामले में यह भी प्वाइन्ट है कि सुप्रीम कोर्ट जब अपने कंटेम्प्ट के लिये किसी को सजा देती है तब भी फन्डामेन्टल राइट्स के ऊपर आघात होता है। लेकिन वह सर्वोच्च न्यायालय है, इसलिये उसकी अपील नहीं होती है। इसलिये चाहे उसके फैसले के खिलाफ किसी को तकलीफ हो या किसी को कोई शिकायत हो, उसके लिये उसके पास कोई रिमेडी नहीं है। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट फन्डामेन्टल राइट्स की परवाह अपने निर्णयों में नहीं करती है उसी तरह से जब न्यायपालिका के तौर पर संसद या विधान सभा कोई फैसला करती है तो उसकी भी वही हैसियत हो जाती है और वह फाइनल है, क्योंकि पार्लियामेन्ट या विधान सभा इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के ही बराबर है। उनका फैसला इन मामलों में अन्तिम है।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से इस मामले में जो अभी हाईकोर्ट का जजमेन्ट आया है, उसको भी पढ़े देता हूं और बहुत सा नहीं पढ़ूंगा।

श्री राधेश्याम शर्मा—

श्रीमन्, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है मेरे।

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—

श्रीमन्, तनिक भी नहीं समझ में आ रहा है कि वे क्या कह रहे हैं और क्या कहना चाहते हैं, जाने कौन सी भाषा है?

श्री अध्यक्ष—

इसके लिये तो मेरे पास कोई इलाज नहीं है।

एक सदस्य—

आप किसी आगे वाले लाउडस्पीकर पर आ जायें, लाउडस्पीकर भी ठीक नहीं है और विषय भी ऐसा ही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है।

श्री लखीसिंह—

श्रीमन्, २ दिन तक इस सदन में ऐसे ही खून होगा।

(व्यवधान)

श्री नवलकिशोर—

मान्यवर, यह हाई कोर्ट के जजमेन्ट के पेज ४ पर, जिसमें शर्मा जी का केस है, उसके अन्दर जिक्र किया गया है —

"Therefore, under the later part of clause (3) of Article 194, the Legislative Assembly of Bihar has all the powers, privileges and immunities enjoyed by the House of Commons at the commencement of our Constitution. What, then were the powers, privileges and immunities of the House of Commons which are relevant for the purposes of the present petition ?

The later part of Article 194 (3) confers all these powers, privileges and immunities on the House of the Legislature of the States, as Articles 105 (3) does on the Houses of Parliament. It is said that the conditions that prevailed in the dark days of British history, which led to the Houses of Parliament to claim their powers, privileges and immunities, do not now prevail either in the United Kingdom or in our country and that there is, therefore, no reason why we should adopt them in these democratic days. Our Constitution clearly provides that until Parliament or the State legislature,....."

श्री अध्यक्ष—

यह तो बहुत लम्बा है, इसका सारांश ही कह दीजिये।

श्री नवलकिशोर—

अच्छा तो वह आखिर में कहते हैं—

"As the case may be, makes a law defining the powers, privileges and immunities of the House, its members and committees, they shall have all the powers, privileges and immunities of the House of Commons as at the date of the commencement of our Constitution and yet to deny them those powers, privileges and immunities, after finding that the House of Commons had them at the relevant time, will be not to interpret the constitution but to re-make it."

मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर यह कहा जाये कि अधिकार नहीं ह तो यह शर्मा जी के केस में स्पष्ट दिया हुआ है कि हमें अधिकार है। बजाय इसके कि हम संविधान को इन्टरप्रेट करें, उसको क्लियर करें यह उसमें तबदीली करने के समान होगा। खुद उसमें ही यह चीज बहुत स्पष्ट लिखी हुई है कि यह नया विधान बनाना होगा। मैं इसमें ज्यादा नहीं जाना चाहूंगा।

श्री वीरसेन—

श्रीमन्, माईक ठीक से काम नहीं कर रहा है, कुछ समझ में नहीं आता है।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिउा बस्ती)—

श्रीमन्, ठीक है, यहां तो कुछ सुनाई ही नहीं पड़ रहा है।

श्री नवलकिशोर—

मान्यवर, इसमें मुख्य फन्डामेन्टल राइट्स जो हैं, इसमें २–३ आर्टिकिल आते हैं। आर्टिकिल २१ आता है, जिसके अनुसार यह है कि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से डिप्राइव नहीं किया जायगा सिवाय इसके कि प्रोसीजर इस्टब्लिश्ड बाई ला हो। इसी प्रकार से २२(२) के अन्दर यह है कि जिस इन्सान का वारन्ट हो डिटेन्शन का उसको मैजिस्ट्रेट के सामने विद्इन ट्वेन्टी फोर आवर्स पेश किया जाना चाहिये। इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि हाईकोर्ट ने मान लिया है और यह बात शर्मा जी के केस में भी स्पष्ट हो गयी है एक तरीके से कि इनका कोई संघर्ष १९४ (३) से नहीं है। उन्होंने माना है आर्टिकिल २१ के होते हुए भी

"···such deprivation will be in accordance with procedure established by law and the petitioner cannot complain of the breach, actual or threatened. his fundamental right under Article 21".

श्री काशीनाथ मिश्र—

श्रीमन्, मेरा इस समय एक व्यवस्था का प्रश्न है। जो इस समय नवलकिशोर जी पढ़ रहे थे वह उच्च न्यायालय के फैसले से पढ़ रहे थे। इस में अपील करने की मियाद अभी बाकी है और हम लोग अपील करने वाले हैं इसलिये इस पर यहां पर विचार नहीं होना चाहिये, क्योंकि ऐसा करने से यह मामला सबजूडिस हो जाता है—

श्री अध्यक्ष—

इसको आप समझते हैं ? सबजूडिस का मतलब आप समझते हैं ? यह सबजूडिस उस समय होगा जब कि वहां पर अपील बायर होगी और इस पर विचार हो रहा होगा।

श्री काशीनाथ मिश्र—

नहीं श्रीमन्, अभी अपील की मियाद शेष है वह बीती नहीं है। हम अपील करेंगे, यदि बीत जाये तब ही इस पर विचार होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

किसी वकील से आप पूछ लीजिये। मैं ठीक कह रहा हूं। आपने ऐसी बात कह दी। आप विधान सभा में बैठे हुए ऐसी बात कहियेगा तो कैसे इस पर बोलियेगा ?

(व्यवधान)

श्री नवलकिशोर—

मान्यवर, तो मैंने यह कहा है कि आर्टिकिल २१ में डिप्राइवेशन आफ लिबर्टी की बात है। विधान सभा को यह अधिकार है और यह मानना चाहिये कि इस मामले में जो डिप्राईव्ड हुआ है वह सही तरीके से हुआ है और उस तरीके से हुआ है जो तरीका संविधान में दिया गया है।

२२ (२) के बारे में भी यह हाईकोर्ट ने लिखा है कि जब हाउस ऐसा कर दे तो मैजिस्ट्रेट का कोई जूरिस्डक्शन नहीं रहता है। "Art. 22 (2) was not included to apply to a case of detention following Conviction and sentence by the Legislative Assembly." इसके बाद मान्यवर, जो चीज उन्होंने कही हैं वह यह कही है कि यदि इसका हाउस आफ कामन्स का प्रिविलेज मान भी लिया जाये तो वह तमाम प्रिविलेजेज पार्लियामेन्ट में या राज्य विधान सभाओं में पूर्णरूपेण हस्तान्तरित नहीं हैं। और उनका कहना है कि उन विशेषाधिकारों को प्राप्त करने के लिये इंग्लैन्ड में एक बड़ा भारी संघर्ष

हुआ था कई सौ वर्षो तक। इसलिये वह तमाम हिस्ट्री भारतीय संविधान में कारपोरेट नहीं हो सकती। ऐसा सुप्रीम कोर्ट का विचार है। तो इस संबंध में मेरी राय यह है कि उनका यह कहना कि कमिटमेन्ट का अधिकार ब्रिटिश पार्लियामेन्ट के प्रिविलेज का इन्टीग्रल पार्ट नहीं है। यह बात सही नहीं है, क्योंकि स्पष्ट तौर से एक नहीं, कई इस तरह की एग्जाम्पुल्स हैं जहां वहां की कोर्ट्स ने भी इसको माना ह। यदि मेज पार्लियामेन्ट्री प्रैक्टिस को लिया जाय तो उसमें भी बीसों जगह यह दिया है। केवल प्रिविलेज के नेचर के बारे में ही संघर्ष था जिनके लिये कहा गया कि वहां पर डुयेलिज्म (Dualism) हैं।

यह भी कहा गया कि हिन्दुस्तान का रिटेन कांस्टीट्यूशन है जिसमें पावर आफ जुडिशियरी और एक्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर सब बंटी हुई है, निर्धारित हैं। इस संबंध में मेरा आरगुमेन्ट यह है कि एक तो यह कोई नई चीज हिन्दुस्तान में नहीं हुई है। यदि आप देखें तो विक्टोरिया को १८५४ में, यही प्रिविलेजेज एन्ड पावर्स पार्लियामेन्ट के द्वारा दी गई। साउथ आस्ट्रेलिया को १८५५ में, कनाडा को १८७४ में, और आस्ट्रेलिया को १९०१ में दी गई। अगर आप देखें तो आस्ट्रेलियन विधान के अन्दर जो सेक्शन ४९ दिया है वह वही है जो हमारा इस संविधान का १९४ (३) है। इसलिये यह कहना कि यह कोई हिन्दुस्तान में नई चीज है, मैं इसको नहीं मानता हूं। आस्ट्रेलिया भी एक फेडरेशन है। आस्ट्रेलिया के रिटेन कांस्टीट्यूशन में भी वही लिखा हुआ है।

यह भी दलील दी गई कि चूंकि यह पावर्स ट्रांजिटरी हैं इसलिये उसका इस्तेमाल हमेशा के लिये नहीं हो सकता है। इस संबंध में हाईकोर्ट आस्ट्रेलिया और प्रिवी कौंसिल ने भी इस बात को मान लिया है कि ४०, ४५ साल तक अगर वह अधिकार इस्तेमाल नहीं किया गया तब उसको ट्रांजिटरी कैसे मान सकते हैं। उसके विरोध में यह दलील देना कि हिन्दुस्तान का कांस्टीट्यूशन फेडरल है और रिटेन है, उससे असर नहीं पड़ता है। जो प्रिविलेजेज दिये गये हैं वही कनाडा और आस्ट्रेलिया और जो दूसरी डोमिनियन देश हैं उनके कांस्टीट्यूशन में दिये हैं और वे प्रिविलेजेज उनके कांस्टीट्यूशन में ब्रिटिश पार्लियामेन्ट के द्वारा दिये गये हैं और जितने भी प्रिविलेजेज दिये हैं वे वही हैं जो ब्रिटिश कांस्टीट्यूशन में हैं और उन सब को हम भी मानते हैं। मैं उनके कोटेशन नहीं देना चाहता हूं; केवल यह कहूंगा कि हिन्दुस्तान में ७, ८ केसेज हुए हैं। इस सुप्रीम कोर्ट की ओपीनियन को छोड़कर और जो भी केसेज हुए हैं वे मशहूर केसेज हैं। वह इस बात को साफ करते हैं कि ये प्रिविलेजेज हाउस आफ कामन्स के अन्दर एक जमाने से चले आ रहे हैं और कमिट करना उनका एक महत्वपूर्ण भाग था और उन्हीं अधिकारों और प्रिविलेजेज को हिन्दुस्तान की पार्लियामेन्ट और हिन्दुस्तान की विधान सभाओं को दिया गया है। यही नहीं, यह विशेषाधिकार इतने सालों से भली प्रकार काम कर रहे हैं "and have well stood the test of experience and time" इसलिये यह कहना कि यह चीज में नहीं मानता हूं, यहां पर यह लागू नहीं हो सकती। इसलिये मैं यह अर्ज करूंगा कि हमारे हिन्दुस्तान की पार्लियामेन्ट उतनी ही सावरेन है जितनी ब्रिटिश पार्लियामेन्ट सावरेन है। इसके साथ-साथ खुद सुप्रीम कोर्ट ने इसको माना है कि अपने हाउस के अन्दर हमको कमिट करने का अधिकार है। उन्होंने इस बात को साफ किया है और उन्होंने अपने प्रिफेस में स्पष्ट कह दिया है कि जो मेम्बर्स नहीं है उनके मामले में ही तय करने का अधिकार हाईकोर्ट को है। जो हाउस के मेम्बर हैं उनके ऊपर तो स्पीकर को सदन में पूरा अधिकार है और सदन के कायदे के मुताबिक जो भी उनको दंड दिया जायगा उसके लिये उनके पास कोई कानूनी रेमेडी नहीं है। यह मुझको एक अजीब बात मालूम पड़ती है इस माने में कि जो मेम्बर यहां चुनकर आते हैं उनको चुनकर आने से यहां कुछ प्रिविलेजेज हो जाते हैं और फंडामेन्टल राइट से कुछ ज्यादा चीज मिलती है। तो यह कहना उचित नहीं होगा कि हमारे जो मेम्बर्स यहां चुनकर आते हैं मेम्बर बनने के बाद उनके अधिकार सीमित हो जाते हैं या कम हो जाते हैं। तो इसके माने यह हुए कि बजाय इसके कि मेम्बर के अधिकार या विशेषाधिकार बढ़ें, वह कम हो जाते हैं। यह ऐसी बातें हैं कि इसको कोई आदमी मान नहीं सकता। यह कहा जा सकता है कि लेजिस्लेचर

[श्री नवल किशोर]

पावर का मिसयूज कर सकते हैं। तो एक तो विधान सभा चुनकर आती है इसका जीवन ५ साल का होता है। जो कार्य हम करते हैं वह जनता के सामने जाता है और हम हमेशा पब्लिक ओपीनियन के सामने खड़े रहते हैं। इसलिये विधान सभा अगर कोई शक्ति का मिसयूज करती है तो बाहर की पब्लिक ओपीनियन हमारे खिलाफ होती है। दूसरे, अगर विधान सभा लगातार पावर का मिसयूज करती है तो कांस्टीट्यशन में प्रेसीडेन्ट आर्टिकिल ३५ के अन्तर्गत ऐक्शन ले सकता है। मिसयज के डर से यह कहना कि यह अधिकार हम को प्राप्त नहीं है, यह गलत बात है। मैं कोटेशन तो नहीं दूंगा। कई विशेषज्ञों का मत है मिसयूज आफ पावर की बात जितनी कि विधायकों पर लागू होती है उतनी ही न्याय-पालिका पर भी लागू हो सकती है। मिसाल के तौर पर सीरवाई साहब ने कुछ केसेज महाराष्ट्र विधान सभा में दिये थे और कहा था कि एक अन्तर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ ने कहा है कि १४ साल में पार्लियामेन्ट में एक ही केस ऐडमानिशन का हुआ है जब कि कोर्ट के मामले में ३ केसेज कोट करना चाहता हूं। एक तो सुप्रीम कोर्ट में गया था। इसमें बजायंट ने कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट में मेरा विश्वास है, लेकिन सरकार का जो रवैया है कि जजेज को रिटायर होने के बाद ऐम्बैसेडर और गवर्नर बना देती है यह कोई बहुत अच्छा तरीका नहीं है, यद्यपि हमको शिकायत का मौका नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट ने इसको अपनी कंटेम्प्ट माना और इसके लिये उनको कमिट किया गया। एक ऐडवोकेट साहब अपना केस आर्गू कर रहे थे तो नागपुर हाईकोर्ट के जज ने कहा कि अगर आप चाहें तो इस केस को सुप्रीम कोर्ट में ले जा सकते हैं। उसने ट्रांसफर अप्लीकेशन दे दी। उसको भी नागपुर हाईकोर्ट ने अपमान समझा और इसके लिये सजा दे दी गयी १४ दिन की। इसी तरीके से एक केस हुआ बाम्बे में शिवदेसानी का। उसने कुछ कह दिया। जैसे ही उसको पता चला कि उसके खिलाफ कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग चलने वाली हैं उसने माफी मांग ली, लेकिन फिर भी उसको ३ महीने की कैद हो गयी और एक हजार रु० जुर्माना हो गया। उसके बरखिलाफ हमारे यहां बार-बार कहा माननीय अध्यक्ष ने कि अगर केशव सिंह खेद प्रकट कर दें तो जा सकते हैं। इस संबंध में आपकी आज्ञा से मैं कुछ लाइनें जस्टिस सरकार की पढ़ देना चाहता हूं :

"I wish to add that I am not one of those who feel that a Legislative Assembly cannot be trusted with an absolute power of committing for contempt. The Legislature have by the Constitution been expressly entrusted with much more important things. During the fourteen years that the Constitution has been in operation, the Legislatures have not done anything to justify the view that they do not deserve to be trusted with power. I would point out that though Article 211 is not enforceable, the Legislatures have shown an admirable spirit of restraint and have not even once in all these years discussed the conduct of Judges. We must not lose faith in our people, we must not think that the Legislatures would misuse the powers given to them by the Constitution or that safety lay only in judicial correction. Such correction may produce friction and cause more harm than good....."

यही राय विस्काउन्ट साईमान्ड की भी है। उनका कहना है कि कभी भी कोई मिसयूज हमारे यहां नहीं हुआ। लेकिन अगर कोई बात भी हो, अगर गलती कर दी तो आफ्टर आल जजेज भी इनसान हैं और उनमें भी इनसानी कमजोरियां हैं। जो बात लेजिस्लेचर के बारे में कही जा सकती है और वहां डर हो सकता है मिसयूज का तो वह जुडीशयरी के साथ भी हो सकता है। इसलिये मिसयूज के डर से इस तरह की बात कहना कोई उचित बात नहीं होगी। इसलिये इस बात का डर, मैं समझता हूं, अपनी जगह पर बिलकुल बेकार है और गलत बात है।

मान्यवर, सुप्रीमेसी आफ दि कान्सटीट्यूशन की बात कही गयी···

श्री उग्रसेन—

जो सीरवाई साहब ने कहा है उसी को यह कह रहे हैं, उसको तो हमने पढ़ ही लिया।

श्री नवलकिशोर—

यह कहा गया कि हिन्दुस्तान में पार्लियामेन्ट सुप्रीम नहीं है, संविधान सुप्रीम है। यह कोई ईश्यू, मान्यवर, हमारे सामने था भी नहीं। कोई आदमी उसकी सुप्रीमेसी से इन्कार नहीं कर सकता, लेकिन संविधान भी कान्स्टीटुएन्ट असेम्बली की ही देन है। पार्लियामेन्ट को, जिसमें जनता के प्रतिनिधि बैठते हैं, यह भी अधिकार है उनको कि जिस समय वह यह महसूस करें कि यदि किसी आर्टिकल से जनता की भावनाओं का पूर्ण रूपेण प्रतिनिधित्व नहीं होता तो वह उसमें संशोधन भी कर सकती है। १७ बार पार्लियामेन्ट ने संशोधन किया भी है। तो पार्लियामेन्ट को संशोधन करने का अधिकार है और इस वजह से सुप्रीमेसी पार्लियामेन्ट के अन्दर भी आ जाती है।

यह कहा गया कि संशोधन अगर होगा तो उससे जुडिशियरी की स्वतंत्रता में कमी आयेगी। यह ठीक है कि हमें उसकी स्वतंत्रता का हनन नहीं करना चाहिए। मैं इस संबंध में दो तीन बातें कहना चाहूंगा। मान्यवर, जो एम्बेसीज हैं, प्रेसीडेन्ट हैं, गवर्नर्स हैं, राज्य प्रमुख हैं, इनको हमने जुडिशियरी से एग्जेम्ट किया है। तो अगर हाउस के प्रिविलेज को भी हम यह मान लें कि उनको वे नहीं छू सकेंगे तो यह उचित ही होगा और इससे उनकी स्वतंत्रता का हनन नहीं होगा। वकील साहब ने यह फरमाया कि १५–१६ असेम्बलीज हैं, अगर एक दूसरे के अधिकारों में टकराव हो जाय तो उसको कौन तय करेगा। मान्यवर, यही प्रश्न हाईकोर्ट के संबंध में भी उठ सकता है कि १५–१६ स्टेट्स हैं उतनी ही हाई कोर्ट्स हैं, अगर उनके अधिकारों आदि में कभी टकराव हो जाय तो क्या होगा। उनमें भी टकराव हो सकता है। तो सबकी मान्यवर, अपनी अलग-अलग आवश्यकतायें हैं, अलग-अलग परिस्थितियां हैं।

एक प्रश्न, मान्यवर, अब यह है कि क्या संशोधन की आवश्यकता है। मान्यवर, हमें देखना चाहिये कि संविधान बनाने वालों का इन्टेन्शन क्या था। डाक्टर अम्बेदकर साहब की स्पीच को अगर पढ़ा जाय तो उससे यह चीज स्पष्ट हो जायेगी। जिस समय बहस हुई थी उस समय, मान्यवर, उन्होंने सबसे पहले यह कहा था कि अगर केवल फ्रीडम आफ स्पीच और फ्रीडम फ्राम एरेस्ट की ही बात होती तो हाउस आफ कामन्स की एम्युनिटीज को रेफर करने की आवश्यकता नहीं थी। हम उन्हीं दो चीजों का आर्टिकिल में सामवेश कर देते; लेकिन उन्होंने कहा कि मैं उसको रखना उचित नहीं समझता क्योंकि और भी बहुत सी बातें हैं। मिसाल के तौर पर पार्लियामेंट का विशेषाधिकार यह भी है कि वह अपने अवमान के लिए किसी को भी जेल भेज सकती है—फिर क्या अवमान है इसको डिफाइन करना आसान नहीं है, इसलिए उनका यही मत रहा कि अच्छा यही होगा कि हम प्रिविलेजेज को कोडीफाइ न करें और जो हाउस आफ कामन्स के हैं वही रहने दें। उनके भाषण से यह स्पष्ट हो जाता है कि वे उसको कोडीफाइ नहीं करना चाहते थे। यही राय सर अलाडी कृष्णस्वामी अय्यर की भी थी। प्रिविलेजेज के मामले में असेंबली ही मास्टर है, यह सबने माना है। इसके अलावा और जितने भी जजमेंट्स हैं, सबने यही माना है। ब्रिटिश कोर्ट्स के भी ऐसे ही जजमेंट हैं कि क्या कोर्ट को यह उचित होगा कि बोना फाइडी और मेलाफाईडी में जायं—जैसा कि सेक्शन ९ में दिया गया है। बिल आफ राइट्स में "The freedom of speech and debate or proceedings in Parliament ought not to be impeached or questioned in any court or place out of Parliament." कोई डिबेट्स और प्रोसीडिंग्स या स्पीच जो सदन में हो उस पर कोई कोर्ट या कोई भी पार्लियामेंट के बाहर आलोचना नहीं कर सकता है। और यह भी कहा कि क्या स्पीकर, जो कि सत्ता का चिन्ह है, वह भी कोर्ट के दरवाजे खटखटाता फिरे? "Could it be expected that the speaker with his mace should be under the necessity of going before a grand jury to prefer a bill of indictment for the power of self indication and self protection in their own hand"? इसलिए यह आवश्यक है कि सदन के अपने आब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए अपने ही डिफेंस में अपने काम को अदा करने के लिए यह पूर्णरूपेण आवश्यक है कि इस तरह क अधिकार उनके पास रहें।

[श्री नवलकिशोर]

मेरा अपना व्यू है कि जो भाषा १९४ (३) में है यह स्पष्ट भाषा है और जो इन्टर-प्रेटेशन सुप्रीम कोर्ट ने किया है वह तमाम उस भाषा के विपरीत है और जो उसका कन्टेन्शन था, वह उसके विरुद्ध है । मान्यवर, हमारा यह कहना है कि पार्लियोमेंट इस पर सोचे कि इस पर तरमीम किया जाय या नहीं किया जाय । कोडिफिकेशन के बारे में मेरा विचार है कि कोडी-फाई न किया जाय ।

एक बात और है । यह ओपीनियन बाइंडिंग हो या नहीं परन्तु, फिर भी जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके ओपीनियन की हमें इज्जत करनी चाहिए और हम उसके ओपीनियन की इज्जत भी करना चाहते हैं। इसलिए मुझे यह आवश्यक प्रतीत होता है कि विधान में संशोधन किया जाय क्योंकि यह ओपीनियन बाइंडिंग भी न हो तो भी कई कोर्ट्स ऐसा कर सकती हैं कि इससे इशारा पाकर इस बात का फैसला कर सकती हैं कि उन लोगों को हमारे जनरल वारंट के जुडीशियल रिव्यु (review) करने का अधिकार है। तब फिर यह संघर्ष बढ़ेगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह भी माना है कि जो हाउस आफ कामन्स के अधिकार हैं वे ही हमारे भी अधिकार हैं। उन्होंने इस बात को भी माना है कि यहां आर्टिकिल २१ लागू नहीं होता है। उन्होंने यह भी माना है कि यहां आर्टिकिल २२ (२) भी लागू नहीं होता है। आर्टिकिल के अन्तर्गत २१६ में कोर्ट को अपील में बैठने का अधिकार नहीं है। उन्होंने जो बात नहीं मानी है वह यह है कि मैलाफाईडी या बोनाफाईडी को देखने का अधिकार है या नहीं, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं की गई है। ३०० साल से इंग्लैंड में कभी ऐसा प्रश्न कोर्ट्स ने नहीं उठाया ; यही माना है कि वह पार्लियामेन्ट के डिबेट्स या प्रोसीडिंग्स को देख नहीं सकते, इंपीच नहीं कर सकते। य यहां यह अधिकार नहीं रहेगा तब क्या कोई भी डिबेट या प्रोसीडिंग्स सेफ रहेगी ? हाउस की मर्यादा और मान नहीं रहेगी जब तक कि उनकी डिबेट या प्रोसीडिंग्स ही सेफ न रहें ।

बार असोसिएशन ने भी बहुत सी बातें कहीं । उन्होंने भी इस जजमेन्ट की टीका टिप्पणी की है । उन्होंने यह दिखाया है कि मैजारिटी अपनी जगह पर सही है परन्तु माइनारिटी की कोई चर्चा ही नहीं की गई है । गजेन्द्र गडकर साहब ने कहा तो है कि हमारा जो आब्जेक्टिव एप्रोच है उसकी आज परीक्षा है । पर जो उन्होंने अपनी ओपीनियन दी है वह आब्जेक्टिविटी (objectivity) से बहुत दूर है । मान्यवर, जस्टिस सरकार ने यद्यपि इस बात को नहीं कहा पर उनकी राय ज्यादा आबजेक्टिव है । उन्होंने जजों को भी कहा है और विधान सभा को भी। उन्होंने यह कहा और यह बात सही है और मान्यवर, जस्टिस सरकार तो यहां तक गये कि अगर जजेज को यह मालूम हो जाता कि अनस्पीकिंग वारन्ट है और उसके बाद भी बेल (bail) किया होता तो यह नाजायज हस्तक्षेप होता और डायरेक्ट इन्सल्ट होती हाउस की और वह नल एण्ड वायड होता । मान्यवर, मैं यह भी कह दूं कि जो रेफेरेंस हमारे प्रेसीडेंट को गया—मैं इसकी डिटेल में तो जाना नहीं चाहता हूं—लेकिन इतना अवश्य निवेदन करूंगा कि हमको अभी तक यह भी पता नहीं है कि उस रेफरेंस में जो मैटीरियल गया वह कैसे गया, और किसने भेजा। क्योंकि उसमें भी एक गलती है जिससे जस्टिस सरकार की ओपीनियन बहुत साफ नहीं हो पाई । फैक्ट्स और सर्कम-टांसेज की बात उसमें आई है और उससे संकेत होता है कि शायद अनस्पी-किंग वारंट को स्पीकिंग बनाने की चेष्टा की गई है । जस्टिस सरकार का एप्रोच बहुत ही उचित और आबजेक्टिव है। उन्होंने कहा है :—

"Before I conclude, I must say that I feel extremely unhapply that the circumstances should have taken the turn that they did and that the reference to this Court by the President should have been rendered necessary. With a little more tact, restraint and consideration for others, the situation that has arisen could have been avoided. I feel no doubt that Beg and Sahgal JJ., would have dismissed the petition of March 19, 1964, after they had possession of the full facts. I regret that instead of showing that restraint which the occasion called for, particularly as the order of imprisonment challenged was expressly stated to have been passed by a body of the stature

of the Assembly for contempt shown to it, a precipitate action was taken. No doubt, there was not much time for waiting but Keshav Singh could not force the hands of the Court by coming at the last moment. The result of the order of the Hon'ble Judges was to interfere with a perfectly legitimate action of the Assembly in a case where interference was not justifiable and was certainly avoidable. On the other hand, the Assembly could have also avoided the crisis by practising restraint and not starting proceedings against the Judges at once. It might have kept in mind that the Judges had difficult duties to perform, that often they had to act on imperfect materials, and errors were, therefore, possible. It could have realised that when it placed the facts before the Judges, its point of view would have been appreciated and appropriate orders made to undo what had been done in the absence of full materials. Such an action of the Assembly would have enhanced its stature and prestige and helped a harmonious working of the different organs of the state."

जस्टिस सरकार की राय ऐसी है कि जिन्होंने जुडिशरी और असेम्बली को सलाह दी है कि भविष्य में यह चेष्टा होनी चाहिये .....

श्री अध्यक्ष—

दोनों की समालोचना की है ।

श्री नवलकिशोर—

मगर मैजारिटी का प्राब्जैक्टिव एप्रोच नहीं है । मैं मानता हूं कि स्टेट के तीनों आरगन्स-एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लैजिस्लेचर की यह कोशिश होनी चाहिये कि उनके बीच में हारमोनियस वर्किंग हो । मगर जैसा डाक्टर सुशीला नायर ने पार्लियामेंट में कहा था, लैजिस्लेचर जनता की एक्युमुलेटेड विजडम है, इसलिये औरों के मुकाबले में यह सुप्रीम है और मानना चाहिये । चेष्टा इस बात की होनी चाहिये कि चूंकि हमारे सामने ईश्यूज बहुत गम्भीर हैं, हमें जुडिशरी की स्वाधीनता और मर्यादा को भी रखना है । साथ ही साथ, सीरवाई साहब ने बहुत अच्छा कहा कि "रेसपैक्ट आफ दि कोर्ट शुड नाट मेक अस फारगैट आवर ओन सेल्फ-रेसपेक्ट ।" हम उनकी इज्जत करते हैं मगर अपने स्वाभिमान को नहीं खोना चाहते हैं । हम चाहते हैं कि हमारे लैजिस्लेचर की पावर्स, प्रिविलेजेज और इम्यूनिटीज में हस्तक्षेप न किया जाय ।

इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव को पेश करता हूं और आशा करता हूं कि सदन इसे स्वीकार करेगा ।

(श्री काशीनाथ मिश्र के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

मैं यह जानना चाहता हूं कि जहां सुप्रीम कोर्ट के मत का सवाल है वह जजमेंट या निर्णय नहीं कहा जा सकता, तो उसके ऊपर तो टीका हो सकती है; लेकिन यह जो हाई कोर्ट का जजमेंट हुआ है, उस पर तो टीका नहीं करियेगा आप ?

श्री काशीनाथ मिश्र—

जो आप उचित समझें वह करूंगा ।

श्री अध्यक्ष—

उसमें बहुत सी बातें ऐसी हैं जिनसे सुप्रीम कोर्ट के मत का विरोध है । तो देखें कि आप किस तरह अदा करते हैं ।

(श्री कमलासिंह यादव के खड़े होने पर)

श्री कमलासिंह जी, आप बाद में बोल लीजियेगा ।

श्री काशीनाथ मिश्र—

अध्यक्ष महोदय, आपने याद दिला दिया, ठीक है । लेकिन मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि अगर किसी सुप्रीम कोर्ट के जज की राय खिलाफ हो तो माननीय नवलकिशोर जी तो उसके बारे में चर्चा करें और अगर किसी जज की राय हमारे पक्ष में हो और उसके बारे में हम न कहें, तो यह उचित नहीं होगा ।

श्री अध्यक्ष—

मैंने तो कहा कि चर्चा होनी चाहिये ।

श्री काशीनाथ मिश्र—

अध्यक्ष महोदय, आज की बहस, जैसा मैं समझता हूं, जुडिशरी की बहस नहीं है । मैं इस प्रस्ताव को दूसरी नजर से देखता हूं और यह मानता हूं कि यह बहस इस बात की है कि एक नागरिक के अधिकारों की रक्षा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट संविधान के अन्दर किस हद तक कर सकता है । जहां तक लैजिस्लेचर के प्रिविलेजेज का सवाल है, माननीय नवलकिशोर जी जानते होंगे कि प्रिविलेजेज का इतिहास इंग्लैंड से १७वीं शताब्दी से शुरू होता है । १७वीं शताब्दी में जुडिशरी इंग्लैंड में किंग के मातहत थी । वहां के जजों के बारे में जो अदालत की हैसियत से बैठते थे और जुडिशरी का काम करते थे, कभी-कभी ऐसा कहा जाता था कि "दे अर दि हैंचमैन आफ दि किंग" ये बादशाह के हैंचमैन हैं। इसके विरोध में हाउस आफ कामन्स बराबर अपने अधिकारों की रक्षा के लिये लड़ता रहा । तब से हाउस के प्रिविलेजेज का इतिहास शुरू होता है। हमारे देश में रिटिन संविधान है जो पद्धति इंग्लिस्तान में नहीं थी । १६८४ में वहां पर स्पीकर पर वारन्ट कर दिया गया और उस पर फाइन किया गया । १६८९ में हाउस आफ कामन्स में जजों को बुलाया गया । अदला-बदली का सवाल चलता रहा । १६८९ में जो घटना जजों को बुलाने की हुई उससे सारे इंग्लिस्तान में बड़ा क्षोभ पैदा हुआ और तब से ३०० वर्ष में कोई ऐसी घटना नहीं हुई । १६८९ में बिल आफ राइट्स में बिलकुल साफ कर दिया गया, उसकी आर्टीकिल ९ में साफ कर दिया गया कि क्या हमारे प्रिविलेजेज हैं, कैसे हम डिबेट्स में, स्पीचेज में और हर तरह से स्वतंत्र हैं । अब हमारे यहां आर्टीकिल १९४ (३) है । अगर इसकी जगह बिल आफ राइट्स के आर्टीकिल ९ को रख दिया जाय तो मामला बिलकुल साफ हो जायगा । १९४ (३) में लिखा है कि हमारे वही अधिकार हैं जो हाउस आफ कामन्स के हैं, जो डिफाइन्ड नहीं हैं ।

मैं समझता हूं कि आज की परिस्थिति को देखते हुए और संविधान पर दृष्टिपात करते हुए १९४ (३) बिलकुल सुपरफ्लुअस है। इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि १९४ (२) में लिखा है कि—

"No member of the Legislature of a State shall be liable to any proceeding in any Court in respect of anything said or any vote given by him in the Legislature."

१९४ (२) १९४ (३) को बिलकुल लिमिट कर देता है, इसकी मातहती में आ जाता है। १९४(२) में साफ डिफाइन कर दिया गया है कि जो हम वोट देंगे या जो बात कहेंगे उसके लिये कोई हम पर कार्यवाही अदालत में नहीं की जायगी, यह अधिकार हमको है । हम किस तरह से अदालत से इम्म्यून हैं इसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूं । १९४ (२) में दो अधिकार दिये गये हैं और १९४ (१) में यह दिया है कि—

"Subject to the provisions of this constitution and the rules and standing orders regulating the procedure of the legislature there shall be freedom of speech in the legislature of every State."

इसका मतलब यह है कि संविधान की मातहती में रहते हुए हमको फ्रीडम आफ स्पीच है । इसी संबंध में हमने एतराज उठाया था—पहले जब माननीय नवलकिशोर जी उठे—कि फ्रीडम आफ

स्पीच हमको है लेकिन संविधान की मातहती में है। हम यहां पर संविधान के खिलाफ जाकर कोई भाषण नहीं कर सकते, यह हमको हक नहीं है। इसी तरह से संविधान की धारा २१२ (२) को भी आप पढ़ें, श्रीमन्। उसमें देखें आपको क्या अधिकार है ? आफिसर्स आफ दि लेजिस्लेचर में आप, अध्यक्ष, और उपाध्यक्ष ये दो डिफाइन हुए हैं हर जगह और उनको इम्यून किया गया है कि वह जो कार्यवाही विदिन दि फोर वाल्स आफ दि हाउस (within the four walls of the House) करेंगे उस पर कोई कार्यवाही अदालत में नहीं होगी। तो जब हर तरह से लिख दिया गया है तब हमको इस तरह का कोई स्वच्छन्द अधिकार नहीं मिलता है कि जो चाहें हम करें।

और जो सबसे अहम् सवाल है श्रीमन्, वह यह है कि यह इतना बवाल उठा क्यों ? केवल इसलिये कि केशव सिंह को आपने दंड दिया और केशव सिंह ने अदालत के दरवाजे को खटखटाया। तो सबसे पहले सवाल यह उठता है कि अगर किसी बाहरी आदमी को, जो कि इस सदन का सदस्य नहीं है उसको, हम कंटेम्प्ट में लेते हैं तो उसको अधिकार अदालत में जाने का है या नहीं। यह हमारा मौलिक प्रश्न है और इस पर सुप्रीम कोर्ट के सात में से ६ जजेज ने यह होल्ड किया कि हर नागरिक को अदालत का दरवाजा खटखटाने का अधिकार है, अदालत उस पर चाहे जो भी फैसला करे। लेकिन ऐसा कोई भी अधिकार कहीं पर भी नहीं है कि जब आप किसी को दंड देते हैं तो वह अदालत में न जाय।

दूसरी बात—रिप्रिमान्ड के सिलसिले में केशव सिंह बुलाये गये और सारी प्रोसीडिंग्स चलीं। उससे हम सहमत हैं। मैं समझता हूं कि सदन को अपनी व्यवस्था चलाने के लिये किसी को रिप्रिमांड करने का अधिकार है, उसके लिये जो भी नियम बनाया गया है वह ठीक है। यहां पर केशव सिंह आये, उन्होंने कुछ ऐसा व्यवहार किया जो आदरणीय सदन के सदस्यों की दृष्टि से मुनासिब नहीं था और उस पर तुरन्त उनको सात दिन की सजा दे दी गई। मैं कहता हूं कि उस वक्त कोई सदस्य ऐसे यहां पर होते जो कि कहते कि इनको फांसी दे दो और फांसी का भी प्रस्ताव पास हो सकता था तो उस हाउस को आप सोचें कि बिना किसी को डिफेंस करने का राइट दिये हुए यह सजा दे देना कहां तक उचित होता ? राइट टु बी डिफेंडेड हर एक को मिला हुआ है। अब एक जुर्म में तो वह यहां आये हुये थे जिसमें उनको रिप्रिमांड करने की बात थी। दूसरा जुर्म उन्होंने आपके सामने कर दिया। हो सकता है कि आप यह कहें कि रूल्स आफ प्रोसीजर की धारा ७४ के अन्तर्गत ऐसा आप कर सकते हैं क्योंकि उसमें लिखा है कि अगर कोई माननीय सदस्य हाउस के सामने कन्टेम्प्ट करे तो तुरन्त हाउस को उसे दंड देने का अधिकार है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह धारा ७४ संविधान के अनुच्छेद २२ (२) के खिलाफ है जिसको कि विधान सभा की नियमावली में से फाड़कर फेंक देना चाहिये क्योंकि १३ (१) के अन्तर्गत कोई भी कानून कायदा ऐसा नहीं बन सकता जो हमारे मौलिक अधिकारों का हनन करे। जो ४४ रूल्स आफ प्रोसीजर की धारा है वह अनुच्छेद २२(२) के खिलाफ है और जो आदेश विधान सभा ने दिया वह आदेश भी संविधान के अनुच्छेद १३ के अनुसार खत्म हो जाना चाहिये था। इस तरह का आदेश हम नहीं दे सकते थ। इस सवाल के ऊपर सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा। मैं बहुत ही मोटी अक्ल से बहस करूंगा। मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि इस तरह का सवाल केवल केशव सिंह का ही नहीं उठा, सुप्रीम कोर्ट में असेम्बली के कितने बड़े-बड़े सवाल गये—उड़ीसा असेम्बली का केस गया, नफीसुलहसन का केस गया, राजनारायण वर्सेस आत्माराम का केस गया, सुरेन्द्र वर्सस नवलकृष्ण, होमो मिस्त्री वर्सस नफीसुल हसन का केस गया, शर्मा का 'सर्चलाइट' का केस गया, इस तरह से सात आठ केसेज ये असेम्बली के सुप्रीम कोर्ट में गए। लेकिन किसी में यह बवाल पैदा नहीं हुआ। अधिकतर केसेज में अदालत ने कह दिया कि आप पेटीशन में आये, हमने आप की बात सुन ली, लेकिन इस कारण से आपको कोई रिलीफ नहीं दे सकते। किस हालत में रिलीफ दी जायगी वह भी माननीय राजनारायण के केस में मिस्टर जस्टिस मुकर्जी ने कह दिया कि उनको अदालत में आने का अधिकार है और किस हालत में अदालत को रिलीफ देने का अधिकार है।

"If there had been double punishment of the petitioner for the same offence—offence as contemplated by Article 20(2) of the Constitution—then

[श्री काशीनाथ मिश्र]

the petitioner would have been entitled to relief by the court because the privileges, immunities and powers of the house or its speaker could not override the positive prohibitions contained in the Constitution, nor could they make the provisions of Part III—the fundamental rights—Augatory, even though Article 194(3) has not been made specifically subject to the other provisions of the Constitution. To hold otherwise would be to place the Speaker or the Legislature of the state above the Constitution which could never be held."

श्री अध्यक्ष--

जस्टिस सप्रू ने भी कुछ कहा था ।

श्री काशीनाथ मिश्र—

वह भी पढ़ूंगा । जस्टिस मुकर्जी ने कहा कि अगर २० (२) के अन्दर राजनारायण को एक ही अपराध के लिये दो सजाएं मिलें, तो हमारी अदालत का जुरिस्डिक्शन आ जाता है और हम उनको रिलीफ दे सकते हैं क्योंकि अध्यक्ष और लेजिस्लेचर संविधान से परे नहीं हैं और अगर हम दखल नहीं देते हैं तो उससे यह साफ हो जाता है कि लेजिस्लेचर और अध्यक्ष संविधान से परे हैं जबकि हमारे संविधान की मान्यता है कि देश के अन्दर कोई भी हस्ती संविधान से परे नहीं है । संविधान सर्वोपरि है । दूसरी बात जो बार-बार कही जाती है, बिलकुल कानून के अन्दर मैं आना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला मैंने पढ़ा और मुझे ऐसा लगा कि सुप्रीम कोर्ट ने बड़े दबाव के अन्दर पड़कर फैसला लिया है । उन्होंने सही तौर तरीके से और संविधान की मान्यता के अन्दर फैसला नहीं किया । अगर ऐसा करते तो वह लिखते कि लेजिस्लेचर को कोई पिनल जूरिस्डिक्शन नहीं है किसी बाहरी आदमी को सजा देने का ।

श्री अध्यक्ष—

सुप्रीम कोर्ट ने तो यह कहा है.....

श्री काशीनाथ मिश्र—

अनुच्छेद १९३ में पिनल जूरिस्डिक्शन हैं । प्रस्ताव में आपके है कि क्या-क्या मशा थी ? अगर संविधान निर्माताओं की लेजिस्लेचर को पिनल जूरिस्डिक्शन देने की मंशा होती तो अनुच्छेद १९३ में साफ लिख दिया गया होता । १९३ में है कि ५०० रुपया जुर्माना किसी ऐसे व्यक्ति पर जो पागल है या दिवालिया है या संविधान के १९१ अनुच्छेद के अन्तर्गत सदन में बैठने का अधिकारी नहीं है, किया जा सकता है । लेकिन लेजिस्लेचर नहीं करेगा । अगर संविधान बनाने वालों की मंशा होती कि दण्ड देने का भी अधिकार दे दिया जाय तो वह भी लिख दिया गया होता ।

"....He shall be liable in respect of penalty of Rs.5,000.... as a debt due to the state".

इसके अलावा १९४ (३) का अर्थ यह लगाया जाता है कि हाउस आफ कामन्स के जो अधिकार हैं वही अधिकार हमारे भी हैं । मेरा कहना है कि इसका कोई मतलब हमारे संविधान में नहीं होता है । क्यों ? क्योंकि जो बात आप ले रहे हैं वह ३० वर्ष में वहां नहीं हुई । इसके अलावा हाउस आफ कामन्स को यह अधिकार है कि जब कोई बाई-एलेक्शन होता है तो वह खुद चुनाव करता है, एक्सेस टु दि किंग का उनको अधिकार है। हमारे यहां पावर्स दूसरे ढंग की हैं । अगर हमारे यहां कोई सदस्य मर जाता है, तो आर्टिकिल ३२४ और ३२९ के अनुसार बाई एलेक्शन कमीशन कराता है । इंग्लैंड में अगर किसी का चुनाव इर्रेगुलर हो जाय तो उसको भी देखने का अधिकार और प्रिविलेज हाउस आफ कामन्स को है, जब कि हमारे यहां नहीं है । इसलिये यह कहना कि हाउस आफ कामन्स की सब प्रिविलेजेज हमारी है, यह वाक्य बिलकुल

बे मतलब और बे बुनियाद है क्योंकि सारी मान्यतायें और विशेषाधिकार जो हाउस आफ कामन्स को हैं, वह हमारे नहीं हो सकते । उनके यहां किंग है जब कि हमारे यहां कोई किंग नहीं है ।

अनुच्छेद ३६८ में, संविधान में संशोधन करने का तरीका भी दिया हुआ है और कांस्टीट्एंट असेम्बली में इस पर बहस होते हुए डाक्टर अम्बेदकर तथा अन्य लोगों ने कहा था कि किन किन हालतों में संविधान बदला जाय। हमने संविधान के प्रिएम्बिल में जस्टिस सावरेंटी और इक्वेलिटी और लिबर्टी को सर्वोपरि माना है और उसी के तहत में संविधान में परिवर्तन हो सकता है, मौलिक अधिकारों और प्रिविलेजेज के लिये नहीं । पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर के मेम्बरों का स्टेटस जन साधारण से ऊपर हो जाय इसके लिये हम संविधान में परिवर्तन नहीं कर सकते । परिवर्तन केवल जस्टिस, इक्वेलिटो, लिबर्टी और सावरेंटी के म तहत करेंगे । अमेरिका के एक जस्टिस का मत पढ़ना चाहता हूं, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो संविधान बनाने वाले हैं, उन पर किस तरह का रिस्ट्रेंट होना चाहिये और संविधान में कैसे संशोधन होना चाहिये । एवर्शन बनाम बोर्ड आफ एजूकेशन में फैसला देते वक्त उन्होंने लिखा है—

"The great purpose of the Constitution, said Justice Jackson, does not depend on the approval or convenience of those....(Eversion Vs Board of Education, 330, USI, 28). The Constitution must always remain above the reach of those who find such restraints inconvenient. Of what avail are the w itten constitutions and the fundamental rights if their limitations and restraints on power may be set at naught for amendments by the very agencies which are appointed to guard, defend and enforce them?"

संविधान की रक्षा का भार, उनकी मर्यादाओं को संचालित करने का भार जिन कंधों पर हो वही लोग अपने पर नियंत्रण न रखने के लिये अगर संविधान में परिवर्तन करना चाहें, तो लिखित संविधान की कोई मर्यादा ही नहीं रह जायगी । संविधान लिखा क्यों जाता है ? क्या जिन्होंने संविधान लिखा वे बेवकूफ थे ? संविधान लिखा इसीलिये जाता है कि जिनके हाथ में सत्ता है वह नियंत्रित रूप से देश का काम चलायें; और जब इस मकसद से संविधान लिखा गया कि अपने को नियंत्रण में रखना है तो माननीय नवलकिशोर जी स्वयं अनियंत्रित होने के लिये, स्वच्छन्द होने के लिये क्यों चाहते हैं कि संविधान में परिवर्तन किया जाय ?

श्री अध्यक्ष—

वह तो आपके लिये भी चाहते हैं ।

श्री काशीनाथ मिश्र—

श्रीमन्, अब एक और मौलिक बात मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। जैसा कि माननीया सुचेता जी ने कहा और माननीय नवल किशोर जी ने कहा कि लेजिस्लेचर के सदस्य, पार्लियामेंट और विधान सभा के सदस्य न्याय और इंसाफ के साथ, स्वच्छंता के वातवारण में काम करें, इसके लिये जरूरी है कि हमको अधिकार मिलें। जिन वाक्यों का इसमें प्रयोग किया गया है उनसे ऐसा लगता है कि माना हम ही न्याय के पुतले हैं, हम जो काम करेंगे वह सही करेंगे। लेकिन न्याय की मान्यता यह नहीं है, नेचुरल जस्टिस की यह मान्यता नहीं है, फिर माननीय नवल किशोर जी की मान्यता कहां चलेगी ? इसमें यह साफ लिखा हुआ है:—

"To the argument that the Legislature can be trusted to exercise its privileges judiciously and the exercise of its privileges need not be subject to judicial scrutiny, a complete answer is to be found in the opinion of Justice Frank Furter in Joint Anti-Fascist Ref. Comm. *Vs.* MeGrath (341 U. S. 123, 171) : 'Man being what he is cannot safely be trusted with complete immunity from outward responsibility in depriving others of their rights. At least such is the conviction underlying our Bill of Rights." Such is also the conviction underlying our Constitution which believes that to trust constitutional institutions is good but have constitutional limitations

[श्री काशीनाथ मिश्र]

is better ; and that the protection of the citizen against all kinds of men in public affairs, none of whom can be trusted with unlimited power over others, lies not in their forbearance but in the limitations on their power."

वे लोग जो असेम्बली या पार्लियामेंट के मेम्बर हो गये हैं वे क्यों अपने लिये अनलिमिटेड अधिकार ले लें ? यह मैं समझता हूं कि किसी भी कायदे कानून और संविधान की मर्यादाओं के विरुद्ध है। चाहे वह कोई भी हो, हर आदमी पर कुछ न कुछ नियंत्रण रहना ही चाहिये, तभी हमारी इस स्वतंत्रता की रक्षा हो सकती है। हम मेम्बर बन कर कुछ अपने को बड़ा समझने लगें, यह चीज गलत है। माननीय केशव सिंह का क्या अपराध था ? यह आज जो फैसला हुआ है यही फैसला लखनऊ की बेंच से भी होता। केवल इतनी बात थी, लेकिन उसके लिये इतना बवाल मचा दिया गया और सारे हिन्दुस्तान को यह दिखा दिया गया कि हम अक्ल में भी कुछ कम हैं।

श्री अध्यक्ष—

देखिये, ऐसी कोई बात न हो जिससे सदन के निर्णय पर कोई आक्षेप आ जाय।

श्री काशीनाथ मिश्र—

हम तो अपने प्रति आक्षेप कर रहे हैं, आपके प्रति नहीं।

श्री नवलकिशोर—

इस देश में एक कालिदास भी ऐसे हुए हैं जो जिस शाख पर बैठते थे उसी को काटते थे।

श्री काशीनाथ मिश्र—

अब जस्टिस सप्रू के फैसले की कुछ लाइनों को आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। जस्टिस सप्रू ने गिनाया है कि हमारे प्रिविलेज क्या-क्या हैं :

(*a*) Freedom from arrest.

(*b*) Freedom of speech.

(*c*) The right of access to the Crown.

(*d*) The right of having the most favourable construction placed upo n its proceedings.

The second group comprised the following :

(*a*) The right to regulate its own proceedings.

(*b*) The right to exclude strangers.

(*e*) The right to prohibit publication of its debates.

(*d*) The right to provide for the due composition of its own body.

(*e*) The right to enforce observance of its privileges by fine, imprisonment or expulsion.

यह राइट संविधान की धारा ३२४,३२९ में दिये गये हैं। इसके बारे में श्री सप्रू आगे कहते हैं कि विधान सभाओं को क्या अधिकार हैं, क्या प्रिविलेज हैं—

"It is further contended that some of the privileges of the House of Commons can have no meaning with reference to the Indian Constitution, our being a republican one. There are others again which have either become obsolete or meaningless in Britain or which Parliament has given up itself."

अब बहुत से ऐसे प्रिविलेजेज हैं जिनके कुछ मानी ही नहीं होते। इंगलैन्ड की पार्लियामेंट ने उनको बिलकुल ही छोड़ दिया है—जैसे जजेज को बुलाना। जो काम इंग्लैन्ड की पार्लियामेंट १६८९ में ही छोड़ चुकी है वह हमारे यहां की विधान सभा १९६४ में भी अपनाये हुए है। यानी ३०० वर्ष उनसे आज भी पीछे हैं।

"For example, it is pointed out that the right to provide for the due composition of its enactments in Britain which give authority to Courts or Court of law to adjudicate on disputed questions of law."

जब इलेक्शन के सम्बन्ध में कोई गड़बड़ी होती है तब हम इलेक्शन कमीशन के सामने ही जाते हैं। वहां कोर्ट आफ ला से उसका फैसला होता है। हमें उसका अधिकार नहीं है। इसके आगे और कहा गया है—

"In our own Constitution Articles 324 and 329 deal with election matters. Now, on this basis it is urged that the only rights which had not been the subject matter of definition in previous or subsequent Articles by the Constitution are the rights to regulate its own proceedings and the right to enforce observance of its privileges by fine, imprisonment or expulsion."

इसमें कोई प्रश्न उठता है तो वह एक्सपल्शन का है, पनिश्मेंट का है और इस प्रकार का प्रश्न केवल अनुच्छेद २१२ (२) के अन्तर्गत उठ सकता है। माननीया सुचेता जी ने एक बड़ा ही मौलिक प्रश्न उठाया है और सदन के सदस्य होने के नाते। मैं भी चाहता हूं कि सदन का काम सुचारूरूप से बिना किसी दिक्कत व दखलअन्दाजी के चले। इसके लिये आप २१२ (२) को पढ़ें, इसमें अनलिमिटेड अधिकार आपको दिये गये हैं। अगर आप किसी माननीय सदस्य को हटाते हैं, तो जहां तक हमारी कान्सटीट्यूशनल मर्यादायें हैं, किसी माननीय सदस्य को आप एक महीने के लिये या ७ दिन के लिये निलम्बित कर देते हैं जब कि हाउस आफ कामन्स में ऐसा नहीं होता। वहां कुछ और मर्यादायें हैं। अगर हमारे कान्स्टीट्यूशन को सही तरीके से इंटरप्रेट किया जाय तो आप किसी सदस्य को दिन भर के लिये निकाल सकते हैं जब कि आप यहां ७ दिन के लिये और एक महीने के लिये निकालते हैं। अगर हाउस को चलाने के लिये किसी को निकालना आवश्यक हो तो इसमें मुझे कोई ऐतराज नहीं है लेकिन उनको दिन भर के लिये निकाला जाय ताकि वे सदन से चले जायं। हमने अपने यहां संविधान की कुछ मर्यादायें रखी हैं। आज तो हालत यह है कि अगर कोई सदस्य नहीं निकलता है तो आप उसे पुलिस से हटवा देते हैं। ७ दिन और १ महीने का निलम्बन, कान्स्टीट्यूशन की धारा को पढ़ें तो वह पिनल जुरिस्डिक्शन में आ जाता है। यदि एक सदस्य को आप सदन से एक सप्ताह या एक महीने के लिये निलम्बित करते हैं तो उस क्षेत्र के करीब ९० हजार मतदाताओं के मौलिक अधिकारों को आप एक सप्ताह या एक महीने के लिये स्थगित कर देते हैं, जो संविधान की मर्यादाओं और पीपुल्स रेप्रेजेन्टेशन ऐक्ट के मन्तव्य और उद्देश्य के विपरीत है। इन शब्दों के साथ में आपसे चाहता हूं कि जहां तक संविधान में कोई तब्दीली करने या बदलने की बात होती है तो कैसे हो, किस तरीके से हो, अगर संविधान में कुछ बदलना है तो आप आर्टिकल १९४ (३) को हटा दें। इसके अलावा और कोई दूसरी तब्दीली नहीं होनी चाहिये। इस इश्यू की सफाई के लिये अगर आपको हिन्दुस्तान के संविधान में कोई आमूल परिवर्तन करना है तो आर्टिकल १९४ (१) (२) को भले ही रहने दें, लेकिन आर्टिकल १९४ (३) को हटा दें जिसका कोई मतलब नहीं है कि हमारे प्रीविलेजेज वही हैं जो कि हाउस आफ कामन्स के हैं। इस सम्बन्ध में आप सर्चलाइट केस को ले लें जो पटना हाईकोर्ट में हुआ, शर्मा या होमी मिस्त्री के केस को ले लें, कई स्ट्रीक्चर्स सुप्रीम कोर्ट ने पास किये हैं कि अगर आप कोई प्रीविलेज चाहते हैं तो उसके लिये आवश्यक है कि कोई कानून बनाया जाय। लेकिन आज तक इस तरह का कोई कानून नहीं बनाया गया है।

अगर लेजिस्लेचर के स्टैंड को मान लिया जाय तो जो हमारा कान्स्टीट्यूशन आजकल का है, उसमें जो सबसे मौलिक बात है, उसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जस्टिस फ्रैंकफर्ट ने कहा है—

"Justice Frank Furter used to say that a good test of the significance of judgment is to contemplate the consequences of its opposite. Let us consider the consequences which would have stemmed from the Supreme Court's acceptance of the contention advanced by the State Legislature."

[श्री काशीनाथ मिश्र]

जैसे आपने माननीय केशव सिंह को सदन के सामने न्याय के लिये बुलाया, तो न्याय का जो सबसे बड़ा मौलिक पहलू है वह यह है कि न्यायालय के दिमाग में यह बात आ जानी चाहिये कि उनके फैसले का असर, जो विरोधी हैं उन पर क्या पड़ता है, दूसरे लोगों पर क्या पड़ता है। और उसको दृष्टि में रखते हुए लेजिस्लेचर का आज यह स्टैंड है कि हम सुप्रीम हैं। अगर लेजिस्लेचर के इस स्टैंड को मान लिया जाय कि हम सुप्रीम हैं तो हमारे यहां २ सदन हैं। एक विधान सभा का और दूसरा विधान परिषद् का; तो दोनों ही सर्वोच्च हो जायेंगे और पार्लियामेंट तीसरी होगी और राज्य सभा चौथी हो जायगी। चारों सुप्रीम हो जायेंगे। काम कैसे होगा? और रोज सदस्यों में झगड़ा होगा। आप बहुमत में हैं और मान लीजिये कि कौंसिल में हमारे दल के सदस्य श्री प्रभुनारायण सिंह ने कोई बात वहां कह दी और आप ने प्रिविलेज का सवाल उठा दिया और उनको सजा हो जायगी। इस तरह से इन चारों संस्थाओं में आपस में झगड़े होने लगेंगे और संसद से भी होने लगेंगे और कोई मर्यादा ही न रह जायगी। आप चाहा करें कि दखलन्दाजी न हो, लेकिन वह होने लगेगी। कोई आदमी अगर वकील की हैसियत से रिप्रिजेन्ट करे जैसे कि सालोमन ने .....

श्री अध्यक्ष—

उसको आप न लायें, उसके ऊपर कोई बात न हो क्योंकि उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यहां तो आप केवल कानूनी दृष्टि से जो आप के अधिकार हैं उनके बारे में कहें।

श्री काशीनाथ मिश्र—

आप के यहां नवल किशोर जी जैसे जो सदस्य बैठे हैं उनका वादविवाद किस तरह से संचालित होता है। अगर किसी वकील को कोई करे और रिड्रेस के लिये अदालत का दरवाजा खटखटाये, इसी पर सारा झंझट खड़ा करें तो इस तरह से संविधान नहीं चल सकता।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि किसी तरह से भी अगर आप चाहते हैं कि ला एन्ड आर्डर चले और आप के काम में एफिशेन्सी आये तो आप को कुछ सिद्धांत निश्चित करना होगा। इतना बड़ा सवाल यहां उठाया गया और माननीय केशरीप्रसाद पांडेय ने कहा कि आपने एडवोकेट जनरल को राय देने के लिये नहीं बुलाया जब कि यह इतना बड़ा सवाल था। महाराष्ट्र विधान सभा की यह कार्यवाही है, वहां पर इस तरह से बहस नहीं हुई....

श्री अध्यक्ष—

वह विषय तो उठा और समाप्त हो गया, अब आप उसका जिक्र न करें।

श्री काशीनाथ मिश्र—

जब हम एडवोकेट जनरल को इतनी बड़ी तनख्वाह देते हैं तो उनका कर्तव्य क्या है? जब इतना अहम सवाल उठा तो उनको हमारी मर्यादा की रक्षा के लिये स्वयं आना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

आप जिस प्रस्ताव पर बोल रहे हैं कृपया उसी तक सीमित रहें।

श्री काशीनाथ मिश्र—

यह श्री बी० के० चौधरी का है श्री कन्हैया लाल मिश्र के बारे में। किस तरह से संविधान की मर्यादा रहेगी यह सवाल है। हमें न्यायपालिका की रक्षा करने और मर्यादा के अन्दर काम करने का हक है। उनके बारे में वह कहते हैं कि :

"From the copy of Judgment of justice B. K. Chowdhary. Election Petition 334 of 1962 :

The above exhibits are the result of an experiment made in the office of the Advocate General in the presence of Brij Behari Sahai (R. W. 21)

who is the Principal of Kulbhaskar Degree College, Allahabad. These impressions in Ex. R 14/1 to PR 14/21 were made in his presence with the Rubber stamp seal which to his best knowledge was provided by Ram Nath Misra (R. W. 1).....''

श्री अध्यक्ष—

यह बात असंगत है, आप इस को न उठायें। वह एडवोकेट जनरल के सम्बन्ध में जो आप पढ़ रहे हैं, वह आप न पढ़ें।

श्री काशीनाथ मिश्र—

श्रीमन्, सवाल यह है कि एडवोकेट जनरल महोदय के विषय में उन्होंने लिखा है और वह चाहते हैं कि लेजिस्लेचर के द्वारा संविधान की मर्यादा की रक्षा हो, वह चलती रहे, हमको वे समय-समय पर संवैधानिक राय देते रहें, पर ऐसा नहीं होता है। अगर वे हमारे प्रदेश में रामरतन गुप्ता की रक्षा करते हैं तब यहां पर न्याय और संविधान की मर्यादा कैसे रह सकती है ?

श्री अध्यक्ष—

यही एक वजह हो सकती है कि उनको न बुलाया जाय।

श्री काशीनाथ मिश्र—

ठीक है। आप न बुलावें; लेकिन उन्हें आना चाहिए।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)—

श्रीमन्, वे के० एल० मिश्र हैं और ये श्री के० एन० मिश्र हैं। (हंसी)

श्री काशीनाथ मिश्र—

आपने जो एडवोकेट जनरल की.....

श्री अध्यक्ष—

यह बात असंगत है। इसको छोड़िये, बहस मत कीजिये।

श्री काशीनाथ मिश्र—

श्रीमन्, मैं बहस नहीं कर रहा हूं, पर यह आश्चर्य है कि उनकी जो राय हो उसे हम उत्तर प्रदेश के विधायकों को न बतायें। तो इस तरह से मैं समझता हूं कि जो भावनायें हमारे माननीय नवलकिशोर जी ने इस प्रस्ताव को रखते हुए व्यक्त की हैं, आज हिन्दुस्तान के जो सड़े हुए दिमाग हैं जो इस समाज को कुंठित करके रखना चाहते हैं, प्रगति से रोकना चाहते हैं, उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। एक बात कही गयी है और वह बात साफ है, उनकी लीपा-पोती करने के लिये आप इस तरह से बहस चलायें और अपने एडवोकेट जनरल को ताक पर रख दें, यह उचित नहीं है। आप और एडवोकेट जनरल संविधान की मान्यताओं और न्याय, प्रशासन में कैसा हो, उन सारी चीजों को आप धूमिल करना चाहते हैं।

श्रीमन्, इन शब्दों क साथ मैं कहना चाहता हूं कि हमारे संविधान में कौन-कौन लोग इम्यून हैं अदालत से ? किन-किन लोगों की बात नहीं जायगी। हमारे संविधान की धारा २१२ का निर्देश है। धारा ३६४ में इन्टर्नेशनल प्रश्न....

श्री अध्यक्ष—

उससे कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री काशीनाथ मिश्र—

नहीं, श्रीमन् है। ३६१ या ३६३ से सम्बन्ध है। धारा ३६१ में साफ दिया है कि—

"प्रोटेक्शन आफ प्रेसीडेन्ट ऐंड गवर्नर्स एन्ड राज प्रमुख"

अगर प्रोटेक्शन इसमें लेजिस्लेचर को होता है कि लेजिस्लेचर की बात नहीं उठायी जायगी साफ-साफ तो इस धारा की हेडिंग में दिया होता कि प्रोटेक्शन आफ लेजिस्लेचर एटसेटरा। यह सब लिखा जाता, लेकिन यह बात इसके अन्दर नहीं है। धारा ३६३ की हेडिंग में दिया हुआ है कि कौन-कौन-सी बातें ऐसी हैं, हमारी कौन-कौन सी चीजें हैं, जिनकी अदालत में चर्चा नहीं उठेगी। इसमें दिया हुआ है कि:—

Bar to interference by courts in disputes arising out of certain treaties, agreements, etc.

"363(i). Notwithstanding anything in this Constitution but subject to the provisions of Article 143, neither the Supreme Court nor any other Court shall have jurisdiction in any dispute arising out of any provision of a treaty, agreement, covenant, engagement, sanad or other similar instrument which was entered into or executed before the commencement of this Constitution by any Ruler or an Indian State and to which the Government of the Dominion of India or any of its predecessor Governments was a party and which has or has been, continued in operation after such commencement...."

जब इन चीजों को गिनवाया गया तो अगर हमारे फ्रेमर्स आफ कान्स्टीट्यूशन लेजिस्लेचर्स या और किसी का भी जिक्र करते और इसको भी इम्यून कर दिया जाता, लेकिन हमारे कान्स्टीट्यशन फ्रेमर्स की साफ मंशा थी कि इन बातों का अदालत में तजकिरा हो सकेगा। इतने साफ निर्देश हैं संविधान के, पता नहीं कैसे इस तरह का मसला पैदा हो गया। इसको देखने से पता चलता है कि हमारे देश में अक्ल की कमी हो गयी है। संविधान में साफ है कि कोर्ट का कार्य हम नहीं करेंगे। अदालत से हमको इम्यून नहीं रखा गया है और यह प्राविजन नहीं किया गया है संविधान में कि कोर्ट में हमारी चर्चा ही नहीं होगी। कई माननीय जजों ने भी यही कहा है और संविधान की जिन धाराओं का जिक्र मैंने यहां किया उनमें साफ इस बात का निर्देश है कि संविधान के खिलाफ अगर हम कोई कार्यवाही करेंगे तो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन आ जाता है।

बहुत सी बातें स्पीकिंग, नान स्पीकिंग और जनरल वारंट के सम्बन्ध में कही गयीं। आर्टिकल ३२ तथा २२६ में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आफ रिकार्ड्स हैं और उनको अधिकार है कि फौरन ही सजा दे दें क्योंकि उनका कंटेम्प्ट हुआ है; लेकिन इस प्रकार का कोर्ट आफ रिकार्ड का अधिकार लेजिस्लेचर को प्राप्त नहीं है। संविधान की किसी धारा में यह नहीं माना गया है कि लेजिस्लेचर को देन एंड देयर सजा देने का अधिकार हो। २२६ के मातहत हाई कोर्ट को अधिकार है कि उत्तर प्रदेश की टेरीटरी के अन्दर किसी भी अथारिटी को रिट कांट्रेडिक्शन का निर्देश दे सकती है। वसु की कमेंटरी में 'अथारिटी' को साफ कर दिया है "अथारिटी मीन्स स्टेट लेजिस्लेचर ऐंड गवर्नमेंट" केशव सिंह ने रिट दायर किया जिसकी वजह से आपके ऊपर आदेश आया। हाई कोर्ट ने आपको आदेश दे कर बुरा नहीं किया, बल्कि आर्टिकल २२६ के मातहत काम किया। यह "अथारिटी" की बात कही जा रही थी, लेकिन डाक्टर अम्बेडकर ने उसे संविधान में रखवाया जो आर्टिकिल २२६ के रूप में संविधान में विद्यमान है और इसके जरिये हाई कोर्ट को इतने विस्तृत अधिकार दे दिये गये हैं कि वह लेजिस्लेचर को, स्पीकर को, गवर्नमेंट को, किसी भी अथारिटी को रिट आफ मेंडमस जारी कर सकती है और जारी करने के लिये कोई भी कार्यवाही उसके खिलाफ नहीं की जा सकती। तो जब ये अधिकार हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल

३२ और २२६ के मातहत हैं तो ये सारी बातें हमारे पक्ष में हैं और उस हालत में यह सवाल नहीं उठता, लेकिन यह बदकिस्मती है कि यह सवाल सुप्रीम कोर्ट में गया। जिस प्रकार का इस प्रस्ताव का ड्राफ्ट है उस पर मुझे एतराज है।

श्री अध्यक्ष—

काशीनाथ जी, हम सब प्रोसीडिंग्स पार्लियामेन्ट को भेज देंगे। आप जो कुछ प्रस्ताव का रूप रखना चाहें वह बतला दीजिए।

श्री काशीनाथ मिश्र—

आपने जो कहा है कि सदन का निश्चित मत है कि अनुच्छेद १४३(१) के अधीन....

श्री अध्यक्ष—

आपका संशोधन तो यह है कि "कुछ लोगों ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद १४३ (१) के अधीन रिफ्रेन्स (१) सन् १९६४ में जो मत उच्चतम न्यायालय के ७ में से ६ न्यायधीशों ने व्यक्त किया है उससे विधान मण्डलों और न्यायपालिका के क्षेत्राधिकार के विषय में भ्रम पैदा हो गया है। अतः उच्चतम न्यायालय की राय से यदि आवश्यक समझा जाय तो संविधान में उचित संशोधन करने के लिए कार्यवाही की जाय।"

श्री काशीनाथ मिश्र—

श्रीमन्, अगर यह जोड़ दिया जाता है तो जो भी हमारी बहस चल रही है वह संविधान के मातहत हो जायगी। पहले वाक्य के होते हुए यह हमारी बहस संविधान के प्रतिकूल जा रही है क्योंकि यह वाक्य १९४ (३) की स्पष्ट भाषा और भावना के विपरीत प्रतीत होता है और साथ ही संविधान की मान्यता के प्रतिकूल मालूम होता है। १९४ (३) को इन्टरप्रेट करने का राइट कांस्टीट्यूशन के आर्टिकिल १४७ में हमको नहीं है। श्रीमन्, मैं आपकी व्यवस्था पर बहस नहीं करता, आप अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि कांस्टीट्यूशन की जितनी धाराएं हैं उन सबका अपने मन से भाष्य करने का जैसा हमें अधिकार है वैसा आपको भी है। लेकिन जिन धाराओं के बारे में झगड़ा खड़ा हो जायगा और सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर जो राय दे देगी वह फाइनल होगी और बाइंडिंग होगी और सभी को मान्य होगी। फिर दूसरे अर्थ नहीं लगाए जायंगे।

श्री अध्यक्ष—

वह तो हमने स्वीकार कर लिया है।

श्री काशीनाथ मिश्र—

इसलिए श्रीमन्, मैं चाहूंगा कि प्रस्ताव की जो पहली पंक्ति है वह संविधान के विपरीत है, उसे हटाकर मैंने जो संशोधन दिया है उसको स्वीकार करके बहस चलाइए। मैं इसकी जरूरत नहीं समझता और मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं और समझता हूं कि सारी कार्यवाही जो यहां हो रही है वह संविधान की धाराओं के विपरीत हो रही है।

श्री बृजभूषणशरण (जिला देहरादून)—

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय काशीनाथ जी मिश्र जैसे कुशल वक्ता के बाद बोलने में मुझे बड़ा संकोच हो रहा है। मान्यवर, उन्होंने अभी यह भी कहा कि भारतवर्ष में कुछ अक्ल की कमी होती जा रही है। मुझे तो इसमें संदेह मालूम होता है। माननीय मिश्रा जी ने इतने खराब केस को बड़ी अच्छी तरह से आर्गू किया है और मैं मुश्किल समझ रहा हूं कि उनकी बातों का ज 'ाब कैसे दिया जाय। अभी जब आपने कुछ इशारा किया और माननीय राजनारायण जी का केस जिसका वह जिक्र कर रहे थे तो आपने कहा कि जो माननीय सप्रू जज ने लिखा है उसे पढ़ दिया जाय। उन्होंने कितनी कुशलता से उसे पढ़ा जो उन्होंने लिखा है।

[श्री बृज भूषणशरण]

मुझे तो यह महसूस होता है कि इस देश में और प्रदेश में अक्ल की कमी नहीं होती जा रही बल्कि बढ़ोत्तरी है। उन्होंने यह वाक्य पढ़ा और कहा कि माननीय सप्रू जज ने भी यह तय कर दिया है कि इंडियन कांस्टीट्यूशन रिपब्लिकन है और ये सब चीजें मीनिंगलेस हैं। वह इस प्रकार है कि—

"It is further contended that some of the Privileges of the House of Commons can have no meaning with reference to the Indian Constitution, our being a republican one."

यह बताना उन्होंने छोड़ दिया कि यह माननीय सप्रू जज ने नहीं लिखा है बल्कि यह उनके सामने कंटेंड किया गया था। यह दलील रखी गई थी और उसके बाद सप्रू जज ने क्या कहा है? वह अगले पैराग्राफ २७ में है—

"I am unable to accept the argument as representing a correct approach to the various articles of the Constitution. It must not be overlooked that Part III occurs in a later part of the Constitution than Article 20(A). The fact that a particular right has been classified as "fundamental" cannot make it paramount over an Article in a part of the same Constitution."

ऐसी चतुराई से अपने केस को जो कोई केस ही नहीं है, उसको आर्गू किया गया और फिर कहते हैं इस देश में अक्ल की कमी है। मान्यवर, काशीनाथ जी ने बड़ी चतुरता से एक बात कही कि हाई कोर्ट को धारा २२६ के अधीन संविधान निर्माताओं ने बड़ी अनलिमिटेड पावर दी है और उन्होंने बीच-बीच में आर्टिकिल ३२ तथा कई और आर्टिकिल्स का भी जिक्र किया है। मेरे खयाल से उनका मतलब ३२ आर्टिकिल से ही रहा होगा। तो ३२ में तो सुप्रीम कोर्ट को मूव करने का अधिकार दिया गया है और २२६ में हाई कोर्ट को पावर है फण्डामेंटल राइट्स के इन्फोर्समेंट के लिए। अब इन दो धाराओं को यदि आप मिलाकर देखें तो आपको समझ में आ जायगा कि हाई कोर्ट को अधिकार कितने दिए गए हैं या सुप्रीम कोर्ट को कितने अधिकार दिए गए हैं। मान्यवर, मैं आपका ध्यान इसीलिए आकर्षित करना चाहता हूं कि आर्टिकिल ३२ को देख लिया जाए, उसमें यह लिखा है—

"The right to move the Supreme Court by appropriate proceedings for the enforcement of the rights conferred by this Part is guaranteed."

यानी हर आदमी का यह अधिकार सुरक्षित है कि वह सुप्रीम कोर्ट को अपने उन राइट्स को इन्फोर्स करने के लिए जो Chapter III में दिए हुए हैं, उसके लिए उन्हें अधिकार सुरक्षित किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने का उनको अधिकार सुरक्षित है। इसमें आगे लिखा है—

"The Supreme Court shall have power to issue directions or orders or writs, including writs in the nature of habeas corpus, mandamus, prohibition, quo warranto and certiorari, whichever may be appropriate for the enforcement of any of the rights conferred by this Part."

जैसा कि एक नागरिक को अधिकार है कि वह सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, उसी तरह से सुप्रीम कोर्ट को पूरा अधिकार दिया हुआ है कि है बि । । कारपस, मेनडामस, प्रा हवीशन, को-वारन्टो ऐंड सर ायोरारी के नेचर के रिट्स और आर्डर जारी करके उन अधिकारों का संरक्षण कर सके जो पार्ट ३ के म तहत दिए गए हैं। मैं मान्यवर, इसलिए इसे पढ़कर सुनाना चाहता हूं कि जो चीज गारेन्टोड की गयी है और जिसका हवाला दिया गया है उसके मुकाबले में जब तक आप इसे रखकर नहीं देखेंगे तब तक २२६ और ३२ धारा का अन्तर भी समझ में नहीं आएगा। तो यह रिट्स और आर्डर किसके खिलाफ जारी करने का अधिकार उनको दिया गया है, इसमें नहीं नियन्त्रित किया है सुप्रीम कोर्ट को। लेकिन आर्टिकिल २२६ बिलकुल इसके विपरीत है और उसमें एक लिमिटेशन बांधा गया है ।

श्री अध्यक्ष—

हां, उसमें एक सीमा बांधी गई है।

श्री बृजभूषणशरण—

जो हां, सीमा बांधी गई है हाई कोर्ट के अधिकारों की और उस आर्टिकिल को भी अगर आप मेहरबानी करके इसी सन्दर्भ में देख लें तो बहुत ही बात साफ हो जायगी। २२६ यह है—

"Notwithstanding anything in Article 32 **"यानी ३२ की उपेक्षा किए बिना"** every High Court shall have power, throughout the territoriesin relation to which it exercises jurisdiction, to issue to any person or authority, including in appropriate cases any Government, within those territories directions, orders or writs, including writs in the nature of habeas corpus, mandamus, prohibition, quo-warranto and certiorari or any of them for the enforcement of any of the rights conferred by Part III and for any other purpose."

अब मान्यवर, मिश्रा जी ने इसमें भी बड़ी सफाई से एक बात कह दी—अथारिटी डिफाइन्ड है बसु की कमेन्ट्री में। फिर कहते हैं कि साहब इस देश और प्रदेश में अक्ल की बड़ी कमी है। जब कमेन्ट्री में अथारिटी डिफाइन हो सकती है या फिर जिस तरह से शब्द 'स्टेट' का प्रयोग किया गया है तो फिर इस आ ुमेंट के सामने कोई दूसरी आरगुमेंट कैसे चल सकती है ? कमेन्ट्री को अदालत में पढ़कर नहीं सुना सकते हैं। यहां पर तो जिसका जी चाहे वह चीज पढ़ सकता है और कह सकता है। अगर कहीं पर अथारिटी को डिफाइन किया गया होता जैसा कि काशीनाथ जी कहते हैं तो फिर सुप्रीम कोर्ट को कलाबाजी खाने की जरूरत नहीं थी। २२६ में हाई कोर्ट को अख्तियार कहां हैं कि वह लेजिस्लेचर के खिलाफ इश्यू कर सकता है? उसमें लफ्ज यह है कि "एनी परसन आर अथारिटी इन्क्लूडिंग इन एप्रोप्रिएट केसेज एनी गवर्नमेंट"। आर्टिकिल १२ में स्टेट डिफाइन है। तो जहां पर स्टेट आयेगा, उसमें लफ्ज गवर्नमेंट कहा जायगा और क्या उसमें लेजिस्लेचर भी शामिल होगा ? इस प्रकार से इसके ऊपर पर्दा डालकर २२६ में उन्होंने बजाय गवर्नमेंट के 'स्टेट' शब्द को इन्ट्रोड्यूस किया है। सुप्रीम कोर्ट ने शायद इसको जान-बूझकर इस्तेमाल किया है....

श्री काशीनाथ मिश्र—

यह सब कानून में दिया है।

श्री अध्यक्ष—

सवाल यह है कि २२६ में यह दिया है कि "परसन आर अथारिटी इन्क्लूडिंग इन एप्रोप्रिएट केसेज एनी गवर्नमेंट" इन शब्दों का प्रयोग किया है। अथारिटी के अन्दर गवर्नमेंट निहित नहीं है। गव र्मेंट स्पेशली मेनशन करने का कारण यह है कि गवर्नमेंट अथारिटी शब्द में अन्तर्विष्ट नहीं है। तो वह उसी चीज को दिखा रहे हैं।

श्री काशीनाथ मिश्र—

जनरल क्लाजेज ऐक्ट में यह सब दिया है।

श्री अध्यक्ष—

मैंने भी देखा है 'अथारिटी' शब्द उसमें डिफाइन्ड है। वह अलग-अलग 'लोकल अथारिटी' और 'अथारिटी अन्डर सेन्ट्रल गवर्नमेंट' इस तरह की अथारिटी उसमें डिफाइ ड है, लेकिन यह शब्द "अथारिटी" जो यहां पर इस्तेमाल हुआ है वह न लोकल अथारिटी के कानून के माने में है न वह अथारिटी जो सेन्ट्रल गवर्नमेंट के कानून के अधीन है।

श्री बृजभूषणशरण——

मान्यवर, अभी काशीनाथ जी ने कहा कि मैं तो वकील नहीं हूं। मैं समझता हूं कि आप वकीलों से भी ज्यादा वकील हैं जो इस तरह की बात कर सकते हैं। अभी उन्होंने यह बात कह डाली, जो अपने किस्म की एक नई चीज है। आपने फरमाया कि जनरल क्लाजेज ऐक्ट में यह डिफाइन्ड है। जनरल क्लाजेज ऐक्ट यदि सेन्टर का है तो वह उन्हीं पर लगेगा जो रेगुलेशन्स, रूल्स और बाईलाज सेन्टर के हैं। अगर वह यू० पी० का जनरल क्लाजेज ऐक्ट है तो वह यू० पी० के रूल्स और रेगुलेशन्स पर लगेगा। वह कांस्टीट्यूशन पर नहीं लगेगा। कांस्टीट्यूशन तो बहुत बड़ी चीज है। मैं अर्ज करूंगा कि अथारिटी को लेजिस्लेचर तक नहीं ले जा सकते और अगर ले जाते हैं तो उच्चतम न्यायालय को 'स्टेट' शब्द तलाश करने की जरूरत क्यों पड़ती। लिहाजा उन्होंने कोशिश करके 'स्टेट' लफ्ज इन्ट्रोड्यूस किया। आर्टिकिल १२ में "स्टेट" दिया है। उसके पीछे उन्होंने लेजिस्लेचर को भी शामिल कर लिया और एप्रोप्रिएट लेजिस्लेचर के खिलाफ भी उनको इश्यू करने का अधिकार हो गया। मुझे श्रीमन्, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के प्रति बड़ा आदर है और मैं एक शब्द भी उस फैसले के खिलाफ नहीं कहना चाहता हूं क्योंकि मैं तो अदालत में प्रैक्टिस करता रहता हूं। मगर कभी-कभी हमें मजबूरी के कारण कहना पड़ता है कि "दि लरनेड सेशन जज हैज इग्नोर्ड सच ऐंड सच ओपीनियन"। हमें कहना पड़ता है कि मैजिस्ट्रेट और सेशन जज ने यह गलती की। लेकिन उससे हमारा आदर कम नहीं होता। हमारा कर्तव्य हमें विवश करता है कि हम यह बतलायें कि यह बात गलत है। इस तरीके से शुरू-शुरू में भ्रान्ति पैदा की जा रही थी कि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के बाद हम क्यों डिस्कशन कर रहे हैं। लेकिन रोज आप देखते हैं कि अखबारों में आर्टिकिल निकलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने यह किया और लेजिस्लेचर ने यह किया। साथ ही हमारे फैसले भी ऐसे सैक्रोसैंक्ट नहीं हैं कि उनको हम फिर डिस्कस नहीं कर सकते। अपमान हम कर भी नहीं रहे हैं और जब तक आर्टिकिल २११ है, कर भी नहीं सकते हैं। अगर हम कोई बात कहें भी तो स्पीकर साहब हमें इजाजत नहीं देंगे। मगर इतना तो बता देने का अधिकार है कि सुप्रीम कोर्ट ने किस सफाई के साथ अपने अख्तियारात अपने लिए रख लिए हैं और हाईकोर्ट के लिए रख दिए हैं। "अथारिटी" और "परसन" में तो लेजिस्लेचर को ला नहीं सके और 'स्टेट' में ला कर के गवर्नमेंट और स्टेट लेजिस्लेचर को इकट्ठा कर दिया।

विस्तार में न जाकर अब मैं केवल यह कहूंगा कि हमारे इतने बड़े वृहत् देश का उच्चतम न्यायालय, "स्टेट" लफ्ज २२६ में आ गया, यह कैसे कह सकता है? जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, जब सुप्रीम कोर्ट की ओपीनियन आयी तो मैंने अपना दूसरा नया चश्मा बनवाया दो बातें पढ़ने के लिए कि कहीं पुराने चश्मे ने काम करना बन्द कर दिया हो....

श्री उग्रसेन——

चार चश्मे लगाओगे तो भी नहीं दिखाई पड़ेगा।

श्री बृजभूषणशरण——

उग्रसेन जी, अच्छा तो यही होता कि अगर अच्छी चीज को डिस्कस करते वक्त कोई बेवकूफी की बात भी कहे तो सुन लो। मैं तो सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि रिट इश्यू करने के बारे में अनुच्छेद २२६ है औ मुझे कहीं देख कर बतला दें कि २२६ में "स्टेट" शब्द कहां है जिसके लिए आर्टिकिल १२ में डेफिनीशन है।

एक दूसरी बात यह मालूम पड़ रही है जिसको कि सरसरी तरीके से नवलकिशोर जी ने भी कहा और मैं उसको बार-बार पढ़ रहा हूं, जगह-जगह पर सुप्रीम कोर्ट की ओपीनियन काली-पीली कर रखी है मार्क करके, लेकिन मेरी समझ में एक चीज नहीं आ रही है। आप खुद पढ़ें, और पढ़े होंगे। मैंने तो बहुत पढ़ा कि कहीं मुझ से चूक हो गयी कि इसमें यह है कि एम० एस० शर्मा के केस में आर्टिकिल २१ अप्लाई करता है। एक लफ्ज भी मुझे इसमें नहीं मिलता जिसमें यह आर्टिकिल एम० एस० शर्मा के केस में अप्लाई करता हो। इसमें सिर्फ इतना जिक्र

बकर है कि उन्होंने यह बात कही है कि केशवसिंह ने कोशिश ही नहीं की प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट करने की इसलिए २२ का सवाल नहीं उठता। काशीनाथजी ने कहा कि उस दिन रेज्योल्यूशन पास कर देते फांसी की सजा देने का। वह हम कैसे कर देते ? हमें कांस्टीट्यूशन में १९४ (३) में अधिकार दिए हुए हैं और २०८ में अधिकार दिए हुए हैं कि हम नियम बनावें। नियमों में साफ-साफ दिया हुआ है कि हम क्या-क्या सजाएं दे सकते हैं। वह सब को मालूम है। जो हमारे रूल्स हैं वह अदालत और जनता को मालूम हैं, ऐसा प्रिज्यूम कर लिया जाता है, यह समझा जाता है कि सब कोई उन्हें समझें। अगर उसमें जेल में डिटेंशन की बात है तो वह भी उसी वक्त तक है जब तक कि सत्रावसान हो। तो हमारे रूल्स साफ हैं और ऐसे हैं जिनमें कहीं भी ऐम्बीगुइटी का सवाल नहीं उठता। इसलिए हम फांसी की सजा कैसे दे सकते थे ?

अभी माननीय उपसेन जी ने कहा था कि आपकी बेवकूफी की बातों को सुन कर देश में तमाम हलचल मच गयी। मेरा तो रिज्योल्यूशन ही दूसरा था, बात दूसरी थी, उसको तो तोड़-मरोड़ कर सुप्रीम कोर्ट के सामने रख दिया गया, जिसको जैसा सूट किया उसने उसको उसी तरह से रेफर कर दिया। हमारे महामहिम राष्ट्रपति इन सब डिटेल्स को जानते नहीं थे, उप-सचिव और सचिव ने जिस तरह से उनके सामने रख दिया उन्होंने वैसा कर दिया। हमारी तो शिकायत ही दूसरी थी और वह आज भी है, बार-बार मैंने कहा है, आज फिर निवेदन कर रहा हूं कि आर्टिकिल १९४ को आप जरा देखें तो।

"194. (1) Subject to the provisions of this Constitution and to the rules and standing orders regulating the procedure of the Legislature there shall be freedom of speech in the Legislature of every State.

(2) No member of the Legislature of a State shall be liable to any proceedings in any court in respect of anything said or any vote given by him in the Legislature or any committee thereof."

इसमें आप देखें कि दूसरा क्लाज फुलस्टाप के बाद शुरू हुआ है, पहले से उसका लिंक नहीं है। यह माना है कि फ्रीडम आफ स्पीच लेजिस्लेचर को होगी और दूसरे क्लाज में यह भी है कि कोई सदस्य किसी भी प्रोसीडिंग्स के लिये कोर्ट में लाएबिल नहीं होगा। मान्यवर, 'लाएबिल टु प्रोसीडिंग्स' 'एन्ड, लाएबिल टु पनिशमेंट' में कुछ फर्क है। संविधान में यह स्पष्ट है कि लाएबिल टु प्रोसीडिंग्स नहीं होगा। फिर पता नहीं कैसे स्पीकर साहब के खिलाफ और श्रीमती कृपालानी के खिलाफ नोटिस जारी कर दिया गया। अगर नोटिस जारी करने का अधिकार उनको है तो फिर स्पीकर साहब को वहां जाकर कुछ कहना पड़ेगा और फिर संविधान में जो यह लाएबिल टु प्रोसीडिंग्स नहीं होगा लिखा है इसका क्या मतलब है। फिर तो यह लाएबिल टु प्रोसीडिंग्स हो गया जब उन्होंने नोटिस जारी कर दिया। अगर उनको नोटिस जारी करने का अधिकार है तो फिर यह चीज लाएबिल टु प्रोसीडिंग्स हो गयी, और संविधान में यह अधिकार उनको है नहीं। फिर सोचने की बात यह भी है कि किसी ने माननीय केशवसिंह को कोई लट्ठ तो मारा नहीं था .....

(व्यवधान)

श्री चन्द्रबलीसिंह—

केशवसिंह ने किसको लट्ठ मारा था ?

श्री बृजभूषणशरण—

आपका तो चेहरा उतरा हुआ है, कुछ दिन बाहर रहकर आप आये हैं.... (व्यवधान) अच्छा बैठिये, मेरे से गलती हो गयी।

मान्यवर, मैं यह निवेदन कर रहा था कि केशवसिंह ने किया क्या था।

श्री उग्रसेन—

केशवसिंह को २२६ के अन्दर पेश करने का पूरा अधिकार है ।

श्री बृजभूषणशरण—

मान्यवर, मैं यह अर्ज कर रहा था कि केशवसिंह ने क्या किया था ? जैसी कि अंग्रेजी में कहावत है—"इट डज नाट लाई वैल इन देयर माउथ्स टु से सच थिंग्स" . . .

श्री चन्द्रबलीसिंह—

मान्यवर, इन्होंने गाली दी है । वह इनसे वापस दिलवायें ।

श्री बृजभूषणशरण—

मान्यवर, मैंने कोई गाली नहीं दी । मैंने केवल इतना कहा है कि यह आपके मुख से शोभा नहीं देता । जब कि हाई कोर्ट का भी फैसला हो गया है तो हमें अपील में बैठने का भी कोई अधिकार नहीं है ।

श्री अध्यक्ष—

मैं समझता हूं कि जो तजवीज दी है इन्होंने उसे आप पढ़ दें तो सारी बहस समाप्त हो जायेगी ।

श्री बृजभूषणशरण—

अच्छा मान्यवर, मैं यह निवेदन कर रहा था कि हाईकोर्ट के जजेज को बेंच ने जिसको तय किया है इसमें भ्रम की जरूरत नहीं । उन्होंने कह दिया है कि लेजिस्लेचर सोल जज है अपने प्रिविलेज में ।

श्री अध्यक्ष—

आप पृष्ठ ७ पर आखिरी पैरा पढ़ दें तो समाप्त हो जाय ।

श्री बृजभूषणशरण—

अच्छा मान्यवर, मैं वही पढ़े देता हूं—

"The petitioner is not entitled to challenge the commitment either on the ground of violation of the principles of natural justice or on the ground that the facts found by the Legislative Assembly do not amount to its contempt. Once we come to the conclusion that the Legislative Assembly has the power and jurisdiction to commit for its contempt and to impose the sentence passed on the petitioner, we cannot go into the question of the correctness, propriety or legality of the commitment."

श्री अध्यक्ष—

आगे भी पढ़कर समाप्त कर दें ।

श्री बृजभूषणशरण—

"This Court cannot, in a petition under Article 226 of the Constitution, sit in appeal over the decision of the Legislative Assembly committing the petitioner for its contempt. The Legislative Assembly is the master of its own procedure and is the sole judge of the question whether its contempt has been committed or not."

तो मान्यवर, हाईकोर्ट का यह निर्णय हो चुका है कि लेजिस्लेटिव असेम्बली सोल जज है, लेजिस्लेटिव असेम्बली महान है । अगर यह सब बातें सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक दे खें

तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से खुद कान्ट्रा-डिक्ट कर रही हैं। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अगर गल्ती कर सकता है तो वह इतनी हो कि वह गलतफहमी में हुक्म कर सकता है। हम यह मानने के लिये तैयार नहीं कि सुप्रीम कोर्ट किसी दबाव में फैसला कर सकता है। वही बात हम उन्हीं की प्रोपोनियन के मुताबिक कर रहे हैं। आर्टिकल २१ में साफ है। हमारे प्रिविलेजेज का कहीं इनमें जिक्र नहीं जिनका हमारे उच्चतम न्यायालय ने जिक्र कर दिया है। हमारा बयान हलफी दाखिल करके और नोटिस जारी करके तो हम लायबिलटु प्रोसीडिंग्स हो गये हैं। ऐसी सूरत में पूछा जा सकता है कि क्या प्रोपोजीशन है, आपका हाईकोर्ट क्या करता उसका? तो जो इंगलैन्ड में होता रहा है वही करेक्ट प्रोसीजर था। यह पेटीशन दायर की गई और हैबियस कार्पस की रिट मांगी गई, आखिर हैबियस कार्पस के मानी क्या हैं? हैबियस कार्पस के मानी हैं "प्रोड्यस दि बाडो", यानी जिस आदमी के खिलाफ शिकायत है उसके शरीर को पेश करो। तो हाईकोर्ट को यह करना चाहिए था कि एक आर्डर वह जारी करते सुपरिन्टेन्डेन्ट जेल के नाम कि इस आदमी ने यह पेटीशन दायर की है, इसको हमारे सामने फलां तारीख को पेश किया जाय और जितने इससे संबंधित कागजात हैं वह पेश किये जायं जिसकी वजह से इसे डिटेन किया गया है...

(इस समय २ बजकर ४२ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल, पीठासीन हुये।)

श्री उग्रसेन---

उन्होंने तो गवर्नमेंट प्लीडर को मौका दिया। उन्होंने लिखित दरख्वास्त दी कि दो घंटे का मौका दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष---

माननीय उग्रसेन जी आप बोलने दीजिये।

श्री उग्रसेन---

श्रीमन्, मैं कुछ कहूंगा तो वह तो बाद में हल्ला करेंगे, आप पहले हल्ला करने लगेंगे। (व्यवधान) हां, हम तो विराज रहे हैं। लेकिन हमने मुकदमा लड़ा, हमने जमानत दी, हम उनसे ज्यादा जानकारी इसकी रखते हैं, (व्यवधान) उनके वकील ने मौका लिया दो घंटे का। टाइम पर नहीं आये।

श्री उपाध्यक्ष---

देखिए, आप उनको बोलने क्यों नहीं देते हैं? आप बैठ जाइये।

श्री बृजभूषणशरण---

मैं आपके द्वारा माननीय उग्रसेन जी से यह बहुत नम्रता से निवेदन करना चाहता हूं कि मैं आपको इस बात का भी जवाब देता। ऐसी बात नहीं है कि मैं कोई बात छोड़ देता। (व्यवधान) अगर माननीय उग्रसेन जी अभी इस बात का जवाब चाहते हैं तो अभी इसी सिलसिले में उसका भी जिक्र मैं किये देता हूं। हाईकोर्ट ने कुछ अपने रूल्स बना रखे हैं। जैसे लेजिस्लेचर को संविधान के मातहत अपने नियम बनाने के अधिकार हैं वैसे ही हाईकोर्ट को भी अपना प्रोसीजर रेगुलेट करने के लिये नियम बनाने का अधिकार है और उन्होंने रूल्स बनाये हैं। उन रूल्स के मातहत एक नियम यह है कि जिस रिट पेटीशन में गवर्नमेंट या लेजिस्लेचर पार्टी होगी, लेजिस्लेचर का तो कोई जिक्र नहीं है, गवर्नमेंट का है कि जिसमें गवर्नमेंट पार्टी होगी वह एन्टरटेन नहीं किया जायगा उस वक्त तक जब तक कि स्टैंडिंग कौंसिल को प्रोवियस नोटिस नहीं दे दी जायगी।

श्री उग्रसेन---

गवर्नमेंट एडवोकेट को नोटिस दी गई।

श्री बृजभूषणशरण—

गवर्नमेंट एडवोकेट और स्टैंडिंग कौंसिल में जमीन आसमान का फर्क है। (व्यवधान) जगह-जगह यह लिखा हुआ है...।

श्री उग्रसेन—

आपसे मैं पूछता हूं कि अगर उनको अधिकार न होता तो दस्तखत करके जिम्मेदारी क्यों लेते ? उन्होंने कोर्ट में दस्तखत करके जिम्मेदारी ली।

श्री उपाध्यक्ष—

आप सुन तो लीजिये।

श्री उग्रसेन—

हम क्या सुनें ?

श्री उपाध्यक्ष—

अगर नहीं सुनना चाहते तो बाहर जाइये या कान बन्द कर लीजिये।

श्री बृजभूषणशरण—

मैं माननीय उग्रसेन जी से बहुत ही नम्रता से निवेदन करना चाहूंगा कि कृपा कर वह सुनने की कोशिश करें। मैं उन्हें समझाऊंगा।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय उग्रसेन जी, आप उनकी यह अपील तो मान लीजिये !

श्री बृजभूषणशरण—

जगह-जगह हाईकोर्ट के आर्डर में और आपकी तमाम बहस में और सुप्रीम कोर्ट की ओपीनियन में भी इस बात का जिक्र है कि गवर्नमेंट एडवोकेट को नोटिस दे दिया गया था। हम भी मानते हैं और गवर्नमेंट एडवोकेट को नोटिस दिया जाना किस परिस्थिति में हुआ है। मैं यह भी बता देना चाहता हूं यह पेटीशन जिस वक्त दायर की गई उस वक्त ४९१ सी० आर० पी० सी० के मातहत अप्लीकेशन थी और ४९१ सी० आर० पी० सी० के मातहत अप्लीकेशन होने की वजह से इसको क्रिमिनल मामला मान लिया गया और इसकी नोटिस गवर्नमेंट एडवोकेट को दे दी गई। गवर्नमेंट एडवोकेट क्रिमिनल मामलों में नोटिस लेता है।

श्री उग्रसेन—

आर्टिकल २२६ बाद में....

श्री उपाध्यक्ष—

देखिये, वह सब बतला रहे हैं। बीच-बीच में इस तरह से इंटरप्ट मत कीजिये। जब आपका टाइम बोलने का आये तो सब कह लीजियेगा।

श्री उग्रसेन—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। यह बहस संकल्प के मातहत हो रही है, या किस तरह श्री केशवसिंह पकड़े गये, कैसे लाये गये, क्या प्रक्रिया हुई, उस पर हो रही है ?

श्री उपाध्यक्ष—

यह तो जूरिस्डिक्शन कोर्ट का है, कहां क्या है, एडवोकेट को क्या अख्तियार है, उसी सिलसिले में माननीय शरण जी बता रहे हैं।

श्री उग्रसेन—

यह आपने कहां से नई खोज कर दी कि एडवोकेट को क्या अख्तियार थे ?

श्री उपाध्यक्ष—

वह बता रहे हैं कि एडवोकेट को अख्तियार ही नहीं था ।

श्री उग्रसेन—

बहस यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारी बात को गलत ट्रीट किया ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठ जायं ।

श्री ब्रजभूषणशरण—

मान्यवर, अफसोस है कि इतने गम्भीर सवाल पर खुद ही सवाल किया जाय और जब जवाब दिया जाय तो कहें कि बेकार है । मैं बता रहा हूं कि स्टैंडिंग कौंसिल को नोटिस नहीं दिया गया और गवर्नमेंट एडवोकेट को अख्तियार नहीं था कि स्पीकर और असेम्बली और चीफ मिनिस्टर को रिप्रेजेन्ट करता । उसने नोटिस क्यों लिया, यह उसने गलती की, जिसके लिए सरकार को उसके खिलाफ ऐक्शन लेना चाहिए । मगर इससे हाईकोर्ट का जुरिस्डिक्शन नहीं सुधर जाता । सुप्रीम कोर्ट में भ्रम क्यों उत्पन्न हुआ ? जगह-जगह उन्होंने कहा कि हाउस आफ कामन्स को ३०० साल की लड़ाई के बाद यह अधिकार मिले ।

माननीय काशीनाथ जी ने कहा कि वहां यह कहा जाता था कि जजेज राजा के तरफदार हैं, इसलिए दोनों सदनों में लड़ाई होती थी । मेरी राय में उस हिस्ट्री को पेश करने की जरूरत नहीं थी । मैं एक मोटी-सी बात कहता हूं कि पी० सी० एस० में पास होने के बाद पहले आदमी थर्ड क्लास मैजिस्ट्रेट होता है, फिर सेकेन्ड क्लास और तब फर्स्ट क्लास होता है । अगर माननीय न्याय मन्त्री किसी नागरिक को फर्स्ट क्लास आनरेरी मैजिस्ट्रेट सीधे बना देते हैं, और जब वह उन अधिकारों का उपयोग करेगा तो क्या यह बहस की जायगी कि इस मैजिस्ट्रेट को यह अधिकार ही नहीं हो सकते क्योंकि फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट होने के लिये उसने उस प्रोसेस को पूरा नहीं किया । उस वक्त सिर्फ यह दलील काफी होगी कि गवर्नमेंट ने सी० आर० पी० सी० की धारा ४ के मातहत यह अख्तियारात उस पर कन्फर कर दिये । देखना यह है कि पीपुल्स को जिनमें सार्वभौम सत्ता है अधिकार था कि नहीं अपना संविधान बनाने का । अगर हमारी जनता सावरेन है, जैसा कि माना गया है, और उन्होंने विधान बनाया तो फिर यह कहना कि इंग्लैन्ड की तो इतनी लम्बी हिस्ट्री थी, जब उनको यह अधिकार मिले, मेरी राय में यह बिलकुल इर्रेलोवेंट हैं क्योंकि संविधान के जरिये से पीपुल्स ने यह अधिकार पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर पर कन्फर कर दिया कि हमारे अधिकार वही होंगे जो हाउस आफ कामन्स के २६ जनवरी, १९५० को थे । इसलिए इंग्लैन्ड की हिस्ट्री में जाने की सुप्रीम कोर्ट को कोई आवश्यकता नहीं थी । अनुच्छेद १९४ में साफ लिखा है कि "प्रन्टिल सो डिफाइन्ड" हमारे वही अधिकार और प्रिविलेजेज होंगे जो हाउस आफ कामन्स के संविधान के कमेन्समेंट के समय थे । अब यह असरटेन करने की बात थी कि यह अधिकार २६ जनवरी को हाउस आफ कामन्स को था कि नहीं । अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेज इस तमाम अनुसंधान के बाद यह कहते कि यह पावर और प्रिविलेज टु कमिट फौर कन्टेम्प्ट हाउस आफ कामन्स को २६ जनवरी को नहीं थी, तो बात खत्म हो जाती और वह पावर ठीक की जा सकती थी । मगर जजेज ने अपनी राय दी है कि हाउस आफ कामन्स में यह पावर थी २६ जनवरी को और यही फैसला हाई कोर्ट के जजेज ने किया है कि हाउस आफ कामन्स को यह पावर्स थीं । इसलिये लेजिस्लेचर को भी इप्सो फक्टो वह पावर्स मिल गई । जब अनुच्छेद १९४ में वह पावर्स दी गई हैं, तो हमें उस इतिहास में जाने की जरूरत ही नहीं है, यह हाईकोर्ट ने कहा है । इसलिए उस दलील की जरूरत नहीं है । आज तो बात इतनी है कि अब हाईकोर्ट ने मान लिया है कि जो हाउस आफ कामन्स की पावर्स और प्रिविलेजेज थीं, वह संविधान ने लेजिस्लेटिव असेम्बली और पार्लियामेंट पर कन्फर कर दी हैं । तो अब हमें यह

[श्री ब्रजभूषण शरण]

देखने का अधिकार नहीं है कि उनकी हिस्ट्री क्या थी और कैसे यह पावर्स मिलीं ? 'सर्च लाइट' केस में तथा अन्य केसेज में यह तय हो चुका है और इंग्लिश केसेज इस बारे में तमाम हैं कि यह पावर्स हैं और किसी लेजिस्लेटिव बाडी को यह पावर्स इनहेरेंट होना चाहिए क्योंकि अगर यह मान लिया जाय कि यह पावर्स उनका नहीं हैं तो वह फंक्शन नहीं कर सकती ।

एक चीज और खासतौर से प्वाइंट आउट करना चाहता हूं जिसका जिक्र सुप्रीम कोर्ट ओपीनियन में भी है और जिस पर यहां पर भी बहस की गई तथा हाईकोर्ट के जजमेंट में भी जिक्र है और वह पावर हमको कंसीड की गई जो मेरी राय में हमें है ही नहीं। उन्होंने अपनी बहस में कहा है कि अनुच्छेद १९३ में हमारी पावर्स कन्फाइंड हैं, इसलिये १९४ (३) को संविधान से निकाल दिया जाय । मेरी समझ में एक बात नहीं आई कि हाईकोर्ट ने १९३ में वह पावर्स कहां से पढ़ लीं ? मैं १९३ आपकी आज्ञा से पढ़ना चाहता हूं ।

"If a person sits or votes as a member of a Legislative Assembly or the Legislative Council of a State before he has complied with the requirements of Article 188 and when he knows that he is not qualified..... or that he is prohibited from so doing..... he shall be liable in respect of each day.....he so sits or votes to a penalty of Rs.500 to be recovered as debt due to the State."

वह मनुष्य जो यह जानता हो कि सदन का सदस्य नहीं हूं, जो जानता हो कि सदस्य होने का अधिकार ही नहीं है या किसी कानून के अधीन उसे यहां बैठने का अधिकार न हो और वह यहां की कार्यवाही में हिस्सा ले तो ५०० रुपया पैनालटी देगा और वह डेट की तरह से वसूल किया जायगा । मैं नहीं समझता कि इसमें कहां पढ़ लिया गया कि लेजिस्लेटिव असेम्बली को उस पैनाल्टी को लगाने का अख्तियार होगा । सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह पैनेल पावर्स है और दूसरी कुछ पैनेल पावर्स नहीं हैं । मेरी राय में इसमें तो पैनेल पावर्स असेम्बली की हैं ही नहीं, क्योंकि इसमें साफ लिखा है कि ही इज लायबेल टु पे फाइव हंडरेड रुपीज । अब हर जगह यह जिक्र होता है, किसी कानून की किसी धारा को पढ़ कर देख लीजिये, इसी तरह की बातें मिलेंगी कि अगर कोई आदमी किसी का मर्डर करता है तो उसको इस तरह की सजा मिलेगी । अब उस सजा को वह देगा जिसको उस सजा को देने का अधिकार होगा । इसलिये मैं इस बात को मनाने के लिये तैयार नहीं हूं कि हमें कभी इस प्रकार का अधिकार धारा १९३ में मिला हुआ था । वहां तो केवल पैनेल्टी प्रेस्क्राइब की गयी है । अब सवाल यह आता है कि इस पैनाल्टी को कौन लगायेगा । हो सकता है इसके लिये हमें कोई रूल्स बनाने पड़ें या हो सकता है कोई कानून बनाना पड़े कि किस को ऐसा जुरमाना करने का अधिकार हो । जब तक ऐसा कानून नहीं बन जाता, तब तक हमें १९३ में कोई पैनल पावर्स नहीं हैं । जो पैनल पावर्स हैं वे दफा १९४ में हैं लेकिन इसमें भी ऐसा नहीं है कि स्पीकर महोदय ऐसी पैनाल्टी लगा देंगे । इस अधिकार के लिये हमें कुछ करना होगा । कहीं उसको ढूंढ़ना होगा । अगर कहीं पैदा हो भी सकता है तो हाउस आफ कामन्स के अख्तियारात जो हम १९४ (३) के मातहत दिये गये हैं, उनके अनुसार ही पैदा हो सकता है । अकेले १९३ में कोई अधिकार हमें नहीं हैं । उसके साथ अगर १९४ (३) जुड़ जाय तब तो ऐसे अधिकार हमें हो सकते हैं, नहीं तो ५०० रुपया जुरमाना करने के लिये कोर्ट के सामने जाना पड़ेगा । लेकिन हाउस आफ कामन्स को फाइन करने का अधिकार नहीं दिया गया है, इसलिये हमें जुरमाना करने का अधिकार नहीं है । इसलिये जहां तक हिस्ट्री का ताल्लुक है, हिस्ट्री को लाने की कोई आवश्यकता नहीं थी ।

अब यह चीज रह जाती है कि फंडामेंटल राइट्स के तहत में वह कहां तक आता है । यह चीज बिलकुल साफ है कि फंडामेंटल राइट्स पब्लिक को कन्फर किये गये हैं और उस पब्लिक में, पीपुल में, हम भी हैं । पीपुल हमारे ही द्वारा तो अपनी बिल को एक्सप्रेस करते हैं । हम यहां उनके कारिन्दे की हैसियत से काम करते हैं और हमने अपने ऊपर खुद ही रेस्ट्रिक्शंस लगाये हैं और उसमें यह रखा गया है कि अगर कोई कन्टेम्प्ट करेगा तो उसको सजा दी जायगी । जब कोई व्यक्ति किसी अदालत का कन्टेम्प्ट करता है तो वहां फंडामेन्टल राइट्स का सवाल पैदा नहीं होता ।

जब कोई आदमी कसूर करना शुरू कर देता है तो फिर आदमी अपने आपको दूसरे के कलचेज में डाल देता है। अगर फिर भी किसी को राइट बना रहे तो फिर तो हर चोर यह कह देगा और बच जायगा कि मेरा फंडामेंटल राइट है। वह साफ कह देगा कि किसी को मेरी लिबर्टी छीनने का अधिकार नहीं है। इसलिये जो लिबर्टी संविधान में दी गयी है वह रीजनेबिल रेस्ट्रिक्शन्स के साथ दी गयी है। इसके लिये उसमें साफ लिखा है कि किसी आदमी की लिबर्टी नहीं छीनी जायगी बिना ड्यू प्रोसेस आफ ला के। इसका जिक्र सुप्रीम कोर्ट ने भी किया है और इस हाईकोर्ट के जजमेंट में भी उसका जिक्र है और बड़े साफ तरीके से उसमें लिखा है कि 'व्हाट इज ड्यू प्रोसेस आफ ला' यानी कानून के मातहत किस तरह से लिबर्टी छिन जायगी। इस बात को बहुत विस्तार से बतलाया गया है कि आर्टिकिल २०८ के अन्तर्गत यह अख्तियार दिया गया है कि वह नियम बनाये और जब २०८ के अन्तर्गत नियम बन जाता है तो उनका फोर्स ला का होता है। अगर उसके मातहत किसी की लिबर्टी छीन ली जाय तो भी वे कोई कम्पलेंट नहीं कर सकते हैं। इस बारे में माननीय न्यायाधीशों ने भी लिखा है कि उन्हें यह अधिकार नहीं है कि वे कंटेम्प्ट के झगड़े को देखें। ड्यू प्रोसेस आफ ला के अनुसार नियम आर्टिकिल २०८ के मातहत बन जायें तो कोई कसूरवार आदमी अपने फंडामेंटल राइट्स को क्लेम नहीं कर सकता। कोई फंडामेंटल राइट्स को क्लेम तभी कर सकता है जबकि कोई आदमी अदालत के सामने जाय और कहे कि हमें तो बिना वजह ही बन्द कर रखा है, चाहे उसे लेजिस्लेचर ने ही बन्द कर रखा है, तो सुपरिन्टेन्डेन्ट जेल से कहा जायगा कि उसे कोर्ट के सामने जल्दी ही प्रोड्यूस किया जाय। अगर जांच से मालूम हुआ कि बिना वजह ही उसे बन्द किया गया था तो उसे छोड़ दिया जायगा। लेकिन जब ड्यू प्रोसेस आफ ला का फोर्स हो और फिर आप किसी आदमी की लिबर्टी को छीन लें तो फिर फंडामेंटल राइट्स का सवाल नहीं उठता है।

श्री उपाध्यक्ष—

अदालतों के लिये भी यही है।

श्री बृजभूषणशरण—

जी हां, कोर्ट के लिये भी यही होता है कि जिस वक्त कोई कंटेम्प्ट होता है तो एक प्रोसीज्योर के मातहत उसे बन्द कर दिया जाता है। हमारे उच्चतम न्यायालय ने भी बड़ी मेहनत की है और मालूम नहीं क्यों उन्होंने हाउस आफ कामन्स की हिस्ट्री मांगी है कि हाउस आफ कामन्स को कोर्ट किस तरह से ट्रीट किया गया। हालांकि यह उससे को-हैरेंट नहीं है कि हाउस आफ कामन्स कोर्ट है या नहीं है, लेकिन जो अधिकार हाउस आफ कामन्स को २६ जनवरी, १९५० को था वह हमें मिला। चाहे कोर्ट मानें, चाहे लेजिस्लेचर मानें, चाहे हाईकोर्ट आफ पार्लियामेंट मानें, ये सारे अधिकार हमें प्राप्त हो गये।

एक बात यह कही जाती है कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तो न्याय करने के लिये हैं और हमारा न्याय का क्षेत्र नहीं है। न्यायाधीशों ने भी इसका जिक्र किया है कि इससे उनका भी कोई खास मतलब नहीं था। उनको तो इस बात को देखना था कि श्री केशवसिंह का मामला राष्ट्रपति के रेफरेंस से बाहर बल्र्ड ओपीनियन के सामने खड़ा हो जायगा। क्योंकि हमारे यहां भी जुडिशियरी और लेजिस्लेचर रिजिडली सेपरेट नहीं हैं। उन्होंने तो न्याय करने के लिये एक लक्ष्य निर्धारित कर लिया और उनको एक विन्दु पर पहुंचना था जिस पर पहुंचने के लिये उनको एक रास्ता चाहिये था। रिचर्ड के केस को आप देखें और ज्यादा केसेज में मैं आपको नहीं ले जाना चाहता। लेकिन रिचर्ड का केस जो आस्ट्रेलियन लेजिस्लेचर का है, अगर उसका रेफरेंस मैं न दूं तो मैं इस डिबेट के साथ न्याय नहीं करूंगा। हमारे संविधान में जिस तरह से अनुच्छेद १९४ (३) है उसी तरह का अनुच्छेद आस्ट्रेलिया के संविधान में, हू बहू फुल स्टाप और कामा के साथ दिया हुआ है। वहां भी हाउस के वही प्रीविलेजेज हैं जो हाउस आफ कामन्स के हैं। रिचर्ड वाला कंटेम्प्ट का केस जब हाउस में रखा गया तो हाईकोर्ट का अधिकार नहीं होना चाहिये। तो हाईकोर्ट ने तय कर दिया कि हमें अधिकार नहीं है। उस केस को जब वकील ग्रिवी-

[श्री बृजभूषणशरण]
काउन्सिल में ले गया तो प्रिवी-कौंसिल ने बगैर दूसरे पक्ष को सुने ही फैसला दे दिया कि इसके अन्दर अदालत इंटरफियर नहीं कर सकती है।

उससे बचने के लिए हमारे सुप्रीम कोर्ट ने क्या लिखा? बड़ा ताज्जुब होता है और बहुत अफसोस होता है। उन्होंने लिखा कि यह सही है कि १९४ (३) के अनुसार पावर है वही पावर आस्ट्रेलियन पार्लियामेंट में भी है और यह भी सही है कि जो फैसला रिचर्ड के केस में हुआ वैसा ही केस यह भी है लेकिन वह कहते हैं कि उनके यहां के कांस्टीट्यूशन में इस तरह के प्राविजन नहीं थे जैसे हमारे यहां हैं। यह भी कोई बात हुई, शब्दों का इन्टरप्रिटेशन हो गया, प्राविजन्स का हो गया और इसी कानटेक्स्ट में हो गया बाकी यह कहना कि 'दि' की जगह 'ए' है और कामा की जगह विराम है और यह अर्थ नहीं निकलता, यह क्या बात है? वैसे बात वही है कि 'समरथ को नहिं दोष गोसाईं'। कौन उन्हें कह सकता है कि वह गलत है। लेकिन कहा जाता है कि टीका न की जाय। जब वर्ल्ड ओपीनियन के सामने एक चीज आई है तो उसकी टीका तो होगी ही।

बार-बार कहा जाता है कि आप किस तरह से सुप्रीमेसी क्लेम करते हैं और सुप्रीम तो कांस्टीट्यूशन है, संविधान ही सावरेन है लेकिन कोई किताब तो सावरेन नहीं हो सकती, वह तो कोई लिविंगबोइंग ही होगा जिस के कि आर्डर यूनिवर्सली ओबे किए जायंगे, वह पार्लियामेन्ट हो सकती है, सुप्रीम कोर्ट हो सकता है लेकिन वह कोई किताब तो नहीं हो सकती। फिर यह किताब वह डाकूमेन्ट है जिसे नशन ने लिखा है, जिसके मुताबिक राष्ट्र का काम होगा लेकिन फिर भी यह किताब सावरेन नहीं हो सकती। मैं निवेदन कर रहा था कि बार-बार कहा जाता है कि हाउस आफ कामन्स से तुलना करते हैं। उनको अधिकार है कि उनके बनाए हुए कानून को हाईकोर्ट नाजायज नहीं कह सकता इसलिए हाउस आफ कामन्स सावरेन है, लेकिन हमारी भारतीय संसद् सावरेन कैसे है जब कि उसके कानून रोज काट दिए जाते हैं। एक दलील मैं छोटी-सी दूंगा वहां इंग्लैंड में ३ कांस्टीट्यूएन्ट हैं, हाउस आफ कामन्स, हाउस आफ लार्ड्स और किन्ग। और इसी तरह हमारे यहां भी प्रेसीडेंट, कौंसिल आफ स्टेट और लोक सभा, ३ चीजें हैं। आप उनके अधिकारों की तुलना करें तो आपको मालूम होगा कि वहां पर हाउस आफ लार्ड्स एक स्थायी बाडी है, अगर हाउस आफ कामन्स चाहे कि उसको अपने वोट से हटा दे तो वह ऐसा नहीं कर सकता, वह अपने हकूक को खुद ही एग्जिक्यूट करते हैं, एक लार्ड के बाद उसका लड़का लार्ड आटोमेटिकली हो जाता है। हाउस आफ कामन्स को अधिकार नहीं है कि वह सुप्रीम हो लेकिन हमारी पार्लियामेन्ट को इस संविधान को भी बदलने का अधिकार है और अपर हाउस को खत्म करने का भी अधिकार है। उनके यहां किंग को इम्पीच नहीं किया जा सकता, हमारे यहां राष्ट्रपति को पार्लियामेन्ट रिमूव कर सकती है, उनका इम्पीचमेन्ट कर सकती है। उनके यहां जुडीशियरी एक परमानेन्ट बाडी है, वह निर्णय दे सकती है। हाउस आफ कामन्स एक लार्ड को हटा नहीं सकती, निकाल नहीं सकती। हमारी लोक सभा सुप्रीम कोर्ट के जजों का इम्पीचमन्ट भी कर सकती है और प्रेसीडेंट तक को हटाने की सिफारिश कर सकती है, हमारी पार्लियामन्ट यह रिजोल्यशन पास कर सकती है कि संविधान का फलां अनुच्छेद संशोधित किया जाय या बदला जाय या निकाला जाय। उनके यहां हाउस आफ कामन्स, हाउस आफ लार्ड्स को टच नहीं रह सकता। मैं केवल इसी वजह से अधिक डिटेल में नहीं गया क्योंकि हमारे यहां अभी यह नई चीजें तरह-तरह की चल रही हैं। केशवसिंह को जेल में भेजा जाय या न भेजा जाय, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम जनता के प्रतिनिधि हैं और उसी हैसियत से यहां पर आए हैं। जैसी उसकी मंशा होगी उसी को हमें मानना होगा। २-४ आदमी अगर यहां पर बैठकर शोर-शराबा मचाते हैं या हल्ला-गुल्ला मचाते हैं तो यह जनता की मंशा नहीं हो सकती है। मैं इस पक्ष में नहीं हूं कि संविधान में संशोधन किया जाय। पर अगर हम किसी वजह से मजबूर हैं, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने कोई बात कह दी, तो हमें उसके बदलने में कोई एतराज नहीं है लेकिन जहां तक मेरी व्यक्तिगत राय का ताल्लुक है मैं समझता हूं कि डा० अम्बेदकर की

स्पीच जो इस सम्बन्ध में है, उसमें साफ लिखा गया है कि हमारे अधिकार क्या हैं। लेकिन अगर किसी तरह का कोई क्लाउड अर्थात् शंकाएं आ गयी हैं, तो उनको दूर करना पड़ेगा।

एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि कहा जाता है कि हम ट्रेन्ड नहीं हैं, जुडिशियरी फंक्शन्स में। उसकी ओर थोड़ा-सा जिक्र माननीय नवल किशोर जी ने किया है कि जो लोग ट्रेन्ड हैं, जुडिशियल आफिशियल्स, उनके लिए कानून बनाना पड़ गया कि इतने-इतने से ज्यादा कन्टेम्ट की सजा नहीं दी जा सकती है। हर बात में माफी मांगने के बावजूद भी आपने ३ साल की सजा कर दी और हम सबको कहा जाता है कि हम ट्रेन्ड नहीं हैं। हमने आज तक किसी को इस १७ साल में सजा नहीं दी। केशवसिंह के सम्बन्ध में भी एक्सट्रीम डिसगस्ट में यह रेजोल्यूशन पेश किया गया। माननीय सदस्यों को विदित होगा कि आखिरी वक्त में भी माननीय अध्यक्ष ने कहा कि अगर वह रिग्रेट जाहिर करते हैं तो सदन उन्हें माफ कर देगा। पर उन्होंने माफी मांगना स्वीकार नहीं किया। एक मालिक और नौकर का क्या झगड़ा हो सकता है। सिटीजन्स हमारे सावरेन हैं। अगर हम सिटीजन्स की हिफाजत और उनके अधिकारों की रक्षा नहीं करेंगे तो हमें यहां पर रहने का अधिकार नहीं है। वे हमें यहां पर चुनकर नहीं भेजेंगे। मान्यवर, फिर मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर जुडिशियल डेस्पोटिज्म को आप कम करना चाहते हैं, क्लाउड्स को हटाना चाहते हैं, तो कोई न कोई तरीका अख्तियार करना पड़ेगा इस पार्लियामेन्ट को। आज केशवसिंह का मामला है, कल को यह रिट भी आ सकती है कि मैं सबसे ज्यादा सीनियर हूं और श्री चौधरी को क्यों कमान्डर बना दिया गया है। मीनह्वाइल स्टे हो जायगा। उसके बाद यह भी हो सकता है कि कोई-कोई सिपाही यह कहे कि मैं तो कल से भर्ती हुआ हूं और मुझे ४५ रुपए मिलते हैं और जो १०–१० साल से पड़े हुए हैं वे क्यों मोर्चे पर नहीं जाते हैं। तो यह डेस्पोटिज्म बनाना है।

वह कहते हैं कि कांस्टीट्यूशन सुप्रीम है। संविधान को इन्टरप्रेट करने का अधिकार उन्हीं को है। यह न कहकर कि हम सावरेन हैं उस अधिकार को राउन्ड एबाउट वे में लेना चाहते हैं। वेद सुप्रीम है और ब्राह्मण के अलावा कोई वेद समझने वाला नहीं है। यही उनका तरीका है। मैं बहुत आभारी हूं माननीय दोस्तों का कि उन्होंने मेरी बातों को सुना।

श्री चन्द्रबलीसिंह––

मैं समझता हूं कि बहस के सिलसिले में दो पक्ष बना लीजिए, एक विरोध में और दूसरा पक्ष में।

श्री उपाध्यक्ष––

यहां कोई पार्टी नहीं है, न ह्विप है।

श्री हरीशकुमार गंगवार––

कुछ समय निश्चित कर दें तो अच्छा होगा।

श्री उपाध्यक्ष––

यह ऐसा विषय है कि जब कोई आध घंटे अथवा एक घंटे से अधिक लेता है तभी वह ठीक से एक्सप्लेन कर सकता है।

श्री राधेश्याम शर्मा––

मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं शरण साहब से ....

श्री उपाध्यक्ष––

उन्होंने अपनी राय दी है। गवर्नमेन्ट की तरफ से नहीं कहा है। स्पष्टीकरण की कोई जरूरत नहीं है।

श्री कुमार करुणा कृष्ण नायर (जिला बस्ती)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस संकल्प के विरोध में खड़ा हुआ हूं। मुझे बोध है कि इस संकल्प का विरोध करने वाले अल्पमत में हैं लेकिन इस सदन में अध्यक्ष महोदय ने हाल में जो एक पैम्फलेट दिया है उसको पढ़ने से मुझे ज्ञात होता है कि अल्पमत का बोट भी इस सदन में बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें यह लिखा हुआ है कि ७ जजेज साहबान जो सुप्रीम कोर्ट के बैठे थे उनमें से केवल एक का मत दूसरों के मत से भिन्न रहा है और उसी एक मत आधार पर वह पैम्फलेट बना है। तो अल्पमत का बहुत महत्व इस सदन में मालूम होता है। इस लिए मुझे कुछ धैर्य मिलता है।

साथ ही साथ एक बात का और मुझे अनुभव है, उसमें भी धैर्य होता है। वह यह नहीं कि शासन के तीनों अंगों से अर्थात् जुडिशियरी, एक्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर से मेरा थोड़ा. थोड़ा परिचय है, और इस वास्ते भी नहीं कि कुछ दिन मैं जज रहा, कुछ दिन एक्जीक्यूटिव में रहा और अब चन्द हफ्तों से लेजिस्लेचर में भी हूं और तीन, चार वर्ष शासन के विरोध में मुल्जिम भी रहा, बल्कि इस वास्ते वह धैर्य है कि मेरा इस सदन का सीधा-सीधा सम्बन्ध ५ हफ्ते का है और इस सदन में जो कुछ मार्च, ६४ में हुआ उससे अलग मैं ही एक सदस्य हूं और आज जो समस्या आपके सामने है उसमें सबसे बड़ी आवश्यकता इस बात की है कि आपस में हमारा चाहे कितना विरोध हो लेकिन सिद्धान्तों के सम्बन्ध में मन में अन्तर न हो और आपके अन्तःकरण में अन्तर नहीं होना चाहिये और इस कारण मैं समझता हूं कि और सदस्यों से मैं ज्यादा निष्पक्ष राय रख सकता हूं।

आज जो संकल्प आपके सामने है उसके बारे में सबसे पहिले मुझे यह कहना है कि हर संकल्प एक परिस्थिति में लाया जाता है। वह परिस्थिति कौन-सी होती है? एक घटना हुई। उस घटना के निवारण के लिए मौजूदा सिस्टम में या कानून में कोई उपाय नहीं है। ऐसी स्थिति में एक नया उपाय ढूंढा जाय तो उसी परिस्थिति में एक संकल्प अथवा मोशन लाया जाता है। आज देख लें कि कौन सी सिचुएशन है? कौन सी परिस्थिति है जिसमें यह मोशान लाया गया है। इसके बाद यह सवाल उठता है कि जिस परिस्थिति में यह लाया गया है वह सही है या नहीं, उसकी जरूरत है या नहीं, और उसके अलावा और उपाय है या नहीं और अगर यह लाया जायगा तो इसका क्या असर होगा? इस पर मैं बाद में राय जाहिर करूंगा।

श्रीमन्, परिस्थिति के बारे में सबको इसका इतिहास मालूम है। मैं ३-४ मिनट में उसका विवरण दे देना चाहता हूं। एक श्री केशवसिंह गोरखपुर के रहने वाले हैं। उन्होंने एक पैम्फलेट छपवाया जिस पर उनके तथा चन्द आदमियों के नाम थे। वह बांटा गया। वह सदन में लाये गये और ४ मार्च, ६४ को वे सदन में आये। उनका रेप्रोमेंड हुआ था इस बात पर कि उन्होंने सदन का कन्टेम्प्ट किया था और माननीय नरसिंहनारायण जी जो इस आदरणीय सदन के सदस्य हैं उनके विशेषाधिकार की अवहेलना की थी। उसके बाद वे सदन से चले गये। बाद को सदन में एक निश्चय और हुआ था कि जिस समय उनको रेप्रिमेंड दिया जा रहा था उस समय उनका कंडमनेशन अवहेलना रूपक था। उन्होंने एक चिट्ठी भी अध्यक्ष महोदय को लिखी थी, उसमें कुछ शब्द ऐसे थे जो अवमान रूपक थे। उसके ऊपर स्पीकर ने उनका वारन्ट इश्यू किया कि उनको सात दिन के लिए लखनऊ जेल में बन्द किया जाय?

श्री उपाध्यक्ष—

बराबर वह उसी दिन यहां पर थे।

श्री कुमार करुणा कृष्ण नायर—

श्रीमन्, मुझे यह मालूम नहीं था क्योंकि जजमेंट के पढ़ने से मालूम हुआ कि उनका वारन्ट इश्यू हुआ था और वह गिरफ्तार किये गये थे और लखनऊ जेल में बन्द किये गये थे।

उपाध्यक्ष---

गिरफ्तारी पहले केस में की गई थी और वे यहां लाए गए थे। रेप्रीमेंड के बाद यहां उन्होंने सदन का अवमान किया, उसमें दूसरी बार उनको सजा हुई। यहीं उनको सजा दी गई और वे यहीं मौजूद थे।

श्री कुमार करुणा कृष्ण नायर---

उपाध्यक्ष जी, एक शंका का समाधान करना चाहता हूं कि ४ मार्च को वे यहां आए और १९ मार्च को वे जेल में रहे।

श्री उपाध्यक्ष---

आपको मालूम नहीं है।

श्री कुमार करुणा कृष्ण नायर---

श्रीमन्, जजमेंट में ४ मार्च लिखा था इसीलिए गलती हो गई और उसी से भ्रम हुआ। १९ मार्च को हाई कोर्ट में रिट पेटीशन दायर हुई। जो तजवीज दी गई उसमें ४ मार्च लिखा था जिससे मैं समझा कि उनके जाने के बाद वारन्ट इश्यू हुआ। १९ तारीख को हाईकोर्ट में रिट दायर हुई थी और श्री सालोमन वकील ने दायर की थी और जज साहबान के सामने रखी गई और उसी दिन आर्डर हुआ और उनकी जमानत की गई। वह खबर शायद इस सदन के दो सदस्यों ने २० मार्च को अध्यक्ष महोदय को दी थी। तत्पश्चात् २१ मार्च को सदन में यह निश्चय हुआ था कि दोनों जज साहबान और श्री सालोमन के खिलाफ वारन्ट ईश्यू किए जायं ताकि उनको कस्टडी में यहां लाया जाय और यह भी आदेश हुआ था कि श्री केशवसिंह को फिर से बन्द किया जाय। उनको सदन में हाजिर किया जाय। इस पर २३ मार्च को दोनों जज साहबान ने हाईकोर्ट इलाहाबाद में एक पेटीशन दी इसमें ३ फरीकैन रहे, ३ रेसपान्डेन्ट रहे। उसके ऊपर २८ जजों की एक फुल बेंच बैठी और उसने उस पर विचार करके अपना निर्णय दिया। उसके बाद २५ तारीख को भी सालोमन साहब ने इसी तरह की एक दरख्वास्त दी जिसमें ७ रेसपान्डेन्ट थे। और जो रिज्यूलेशन ३१ मार्च को पास हुआ था....

श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)---

यहां पर यह विवाद का प्रश्न नहीं है।

श्री कुमार करुणा कृष्ण नायर---

मैं चाहता हूं कि लोगों की स्मृति ताजी हो जाए। उसके बाद इस सदन में एक निश्चय लिया गया है कि जज साहबान और सालोमन साहब के लिए जो हुक्म हुआ उनको कस्टडी में रखा जाय, उसको दुरुस्त किया जाए और उनके ऊपर नोटिस दे दी जाए कि उनके खिलाफ कन्टेम्प्ट आफ हाउस की कार्यवाही क्यों न की जाए और वह वापस हुआ। उसके बाद प्रेसीडेंट ने यह केस अपने अधिकारों के अन्तर्गत सुप्रीम कोर्ट को इस पर अपनी राय जाहिर करने के लिए भेज दिया। सुप्रीम कोर्ट के सामने ५ सवाल रखे गए थे। वह सवाल इस सम्बन्ध में पढ़ना उचित होगा। पहला सवाल है---

"Whether, on the facts and circumstances of the case it wa competent for the Lucknow Bench of the High Court of Uttar Pradesh, consisting of the Hon'ble Mr. Justice N. U. Beg and the Hon'ble Mr. Justice G. D. Sahgal, to entertain and deal with the petition of Mr. Keshav Singh challenging the legality of the sentence of imprisonment imposed upon him by the Legislative Assembly of Uttar Pradesh for its contempt and for infringement of its privileges and to pass orders releasing Mr. Keshav Singh on bail pending the disposal of his said petition."

[श्री कुमार करुणा कृष्ण नायर]

सवाल एक ही है, लेकिन उसके अन्दर २ सवाल हैं कि वह दरख्वास्त ले सकते थे या नहीं और दूसरे यह है कि वह जमानत ले सकते थे या नहीं। तथा दूसरा सवाल यह था कि—

"Weather, on the facts and circumstances of the case, Mr. Keshav Singh by causing the petition to be presented on his behalf to the High Court of Uttar Pradesh as aforesaid, Mr. B. Solomon, Advocate, by presenting the said petition and the said two Hon'ble Judges by entertaining and dealing with th said petition and ordering the release of Shri Keshav Singh on bail pending dispoals of the said petition committed contempt of the Legislative Assembly of Uttar Pradesh."

यह भी एक सवाल है, लेकिन उसके अन्दर भी ४ अन्य सवाल हैं। इसके अतिरिक्त ३ सवाल और हैं। इन ५ सवालों के बारे में ७ जजों की बेंच का फैसला हुआ था। आज आपके सामने जो संकल्प है और उसमें जो विवरण है कि अनुच्छेद १४३ के अधीन रेफरेंस नं० १, १९६४ में जो मत उच्चतम न्यायालय के बहुमत से न्यायाधीशों ने व्यक्त किया है, उसके बारे में मैं अक्षरशः तो नहीं कहना चाहता लेकिन इस सन्टेंस से व्यक्त नहीं हुआ है। ५ सवालों का जवाब ७ जजों ने एक ही दिया है, उसकी जो राय सवालों के ऊपर रही है वह एक ही है। केवल एक ने जो रीजन दिया है वह अलग है उन्होंने अपना रीजन अलग दिया है न कि राय अलग दी है। इस संकल्प को पढ़ने के लिए इस पर विचार करने के लिए जो हम बैठे हैं, आखिर आप और हम संकल्प के निवारणार्थ ही तो संकल्प ला रहे हैं। उस सन्टेन्स के अन्दर साफ तौर से लिख दिया जाय। इसके पढ़ने से यह मालूम होता है कि उच्चतम न्यायालय में इन सवालों के ऊपर राय भिन्न रही है। जब कि वास्तव में ऐसा नहीं है। पांचों सवालों के ऊपर सातों ने एक ही निर्णय दिया फर्क यह है कि सिर्फ १ जज साहब ने उस पर अपना अलग रीजन दिया। इससे यह मालूम पड़ता है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक मेजारिटी बेंच का फैसला नहीं था बल्कि सर्वसम्मति से यह फैसला था। इससे मालूम होता है कि आज परिस्थिति क्या है। उन लोगों ने इस सदन में जो भी कार्यवाही की गई थी वह सब असाधु मान ली गयी। जजों के खिलाफ जो भी कार्यवाही की गयी वह भी असाधु मान ली गयी। जजों ने जो कार्यवाही की थी वह साधु मान ली गयी। सालोमन ने जो किया था वह भी साधु मान लिया गया और वही केशवसिंह के बारे में है। अब इस सदन में यह संकल्प किसलिए आ रहा है। इस संकल्प से यह मालूम होता है कि उस राय से आप लोग सहमत नहीं हैं। तो यह आवश्यक था कि संकल्प में इसका संकेत करते-करते कि इसमें किन-किन सवालों से आप सहमत नहीं हैं। क्या यह आवश्यक नहीं था?

पहला सवाल यह था कि जजों ने जो पेटीशन इन्टरटेन की थी उसके लिए उनको अधिकार था या नहीं। दूसरे उनको जमानत लेने का अधिकार था या नहीं? क्या इस संकल्प के पीछे यह मत है कि उनको जमानत लेने का अधिकार नहीं था। मैं समझता हूं कि शायद वही मत होगा नहीं तो इस संकल्प की आवश्यकता ही नहीं होती। दूसरे सवाल में जो बात है वह ऐसी है जिसके बारे में भिन्न राय नहीं हो सकती है।

"Whether, on the facts and circumstances of the case, Mr. Keshav Singh by causing the petition to be presented on his behalf to the High Court of Uttar Pradesh as aforesaid. Mr. Solomon, Advocate by presenting the said p tition and the said two Hon'ble Judges by entertaining and dealing with the said petition and ordering the release of Shri Keshav Singh on bail pending disposal of the said petition committed contempt of the Legislative Assembly, of U. P."

मैं यह नहीं समझ सकता कि संकल्पकर्ताओं की यह राय रही होगी। केशवसिंह का जो कन्डक्ट रहा है, उन्होंने जो कन्टेम्प्ट किया है उसको इस में नहीं रखा। इसी तरह सालोमन की जो राय थी और सालोमन ने जो अपनी राय दी है उसमें कोई कन्टेम्पट नहीं है। और जजों के बारे में भी जो उन्होंने रिलीज किया था वह भी इसमें नहीं है। अगर इन संकल्पकर्ताओं

का यह मत है कि वह सब गलत है तो साफ कह दिया जाय कि यह सब गलत है और यदि नहीं कहते हैं तो यह भी एक खामी है। जिस मत के आधार पर संकल्प लाया गया है उसका व्यक्त करना जरूरी है।

"Whether on the facts and circumstances of the case, it was competent for the Legislative Assembly of Uttar Pradesh to direct the production of the said two Hon'ble Judges and Mr. B. Solomon, Advocate, before it in custody or to call for their explanation for its contempt."

मैंने इस संकल्प के मूवर के मुंह से या समर्थक के मुंह से इस सवाल के बारे में नहीं सुना। मैं संकल्पकर्ता और उनके समर्थक से पूछना चाहता हूं कि क्या उनकी यह राय है कि जजों ने कंटेम्प्ट किया है और आपने जो आर्डर दिया था कि जजों को गिरफ्तार करके यहां लाया जाय तो उसका भी आप समर्थन कर रहे हैं या नहीं? नहीं करते हैं। इसको व्यक्त करना भी जरूरी है। बल्कि मैं तो यह समझता हूं कि आपका वह निश्चय आपने खुद गलत समझा है। वह निश्चय केवल जगत के सामने ही नहीं गलत था बल्कि आपने अपने सामने भी उसको गलत माना है। वह वारन्ट आपने विदड्रा किया था। उन सवालों को बाबत आप असन्तुष्ट नहीं है। अब चौथा सवाल रह जाता है।

"(4) Whether, on the facts and circumstances of the case, it was competent for the Full Bench of the High Court of Uttar Pradesh to entertain and deal with the petitions of the said two Hon'ble Judges and Mr. B. Solomon, Advocate, and to pass interim orders restraining the Speaker of the Legislative Assembly of Uttar Pradesh and other respondents to the said petitions from implementing the aforesaid direction of the said Legislative Assembly."

इसके बारे में भी मैं संकल्पकर्त्ताओं की राय इन्वाइट करता हूं कि क्या उनकी यह राय है कि जो २८ जजों ने अपनी राय दी उन्होंने भी कंटेम्प्ट किया है? उन्होंने भी गलत काम किया है? यदि किया है तो फिर क्या यह उचित नहीं था कि उन २८ के खिलाफ भी कार्यवाही करते। वह आपने नहीं किया और आज भी उनके बारे में कोई राय नहीं है। अगर यह संकल्प सही है तो उसके बारे में अपनी राय पेश की जाय।

(इस समय ३ बजकर ४० मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

"(5) Whether a Judge of a High Court who entertains or deals with a petition challenging any order or decision of a Legislature imposing any penalty on the petitioner or issuing any process against the petitioner for its contempt or for infringement of its privileges and immunities or who passes any order on such petition commits contempt of the said Legislature and whether the said Legislature is competent to take proceedings against such Judge in the exercise and enforcement of its powers, privileges and immunities."

इस सवाल का सातों जजेज ने एक क्वालिफाइड जबाब दिया कि यह तो जनरल है। इस जनरल सवाल का हम जबाब नहीं दे सकते हैं, मगर मौजूदा हालत में जो जजेज ने किया वह सही है। तो इसके बारे में आपकी राय तो व्यक्त होनी ही चाहिये?

श्री अध्यक्ष—

नायर साहब, इसमें तो अनुच्छेद १९४ (३) के अधीन कुछ सिद्धान्त उन्होंने प्रतिपादित किये हैं और कहा है कि १९४ (३) का यह मंतव्य है। इस वक्त हम सुप्रीम कोर्ट के ५ प्वाइन्ट्स पर अपील नहीं कर रहे हैं और न विचार कर रहे हैं। इस वक्त हम कह रहे हैं कि १९४ (३) के अन्तर्गत जो विशेषाधिकार, शक्तियां और उन्मुक्तियां हमें प्राप्त हैं वह किस प्रकार की हैं? इतना ही प्रश्न है।

श्री कुमार करुणा कृष्ण नायर—

मैं आगे इसी प्रिजम्पशन पर चलने वाला था, मगर संकल्प के रूप से और संकल्प के शब्दों में मुझे भ्रान्ति हो रही थी कि इसके अन्दर भ्रान्ति पैदा करने वाले इतने शब्द कैसे आ गये ?

श्री अध्यक्ष—

इसको आप शुरू से पढ़ लीजिये। "इस सदन का यह निश्चित मत है कि अनुच्छेद १४३ (१) के अधीन रेफरेंस नं० १, सन् १९६४ में जो मत उच्चतम न्यायालय के बहुमत न्यायाधीशों ने व्यक्त किया है वह संविधान के अनुच्छेद १९४ (३) की स्पष्ट भाषा और भावना के विपरीत प्रतीत होता है....."तो १९४ (३) तक ही इसको कनफाइन करें।

श्री कुमार करुणा कृष्ण नायर—

मैं यह लेकर चलता हूं कि बाकी बातें छोड़ दी गयीं। जजेज के खिलाफ हमने जो काम किया है उसको यह सदन आज मानता है कि गलत है.....

श्री अध्यक्ष—

वह विशेषाधिकार समिति के समक्ष सब बातें हैं।

श्री कुमार करुणा कृष्ण नायर—

वह भी प्रश्न रहा सुप्रीम कोर्ट के सामने.....

श्री अध्यक्ष—

उसके संबंध में इस समय विचार नहीं है।

श्री काशीनाथ मिश्र—

जब २८ जजेज ने फैसला किया तब आपका प्रस्ताव बदला है। पहले तो सदन का और ही विचार था।

श्री कुमार करुणा कृष्ण नायर—

मैं इसी प्रिजम्पशन पर चलता हूं कि आज इस संकल्प के लिये एक ही आधार है। जो राय १९४ (३) के बारे में सुप्रीम कोर्ट के जजों ने दी है उससे बाहर सीमा नहीं है। आपकी राय यह है कि जो प्रिविलेजेज उस आर्टिकिल के अन्दर विधान सभा को दिये गये थे उनके अन्दर जजों को यह दरख्वास्त नहीं लेनी चाहिये थी। यही मैं समझ लूं या और भी कुछ है ? इस संकल्प का कोई और मतलब हो तो मुझे बता दिया जाय। मैं इसी प्रिजम्पशन पर चलता हूं।

तो सबसे पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि कांस्टीट्यूशन का इंटरप्रिटेशन एक लीगल फंक्शन है। उसको हमेशा कोर्ट्स करते हैं। मगर इसका मतलब यह नहीं है कि हम या पब्लिक को उस इंटरप्रिटेशन की आलोचना करने का अधिकार नहीं है। अधिकार है और इस इंस्टेंस में वह फैसला एक फैसला ही नहीं है, एक राय है। मगर हम आलोचना कर सकते हैं तो किस स्तर पर करेंगे ? कानून के स्तर पर करेंगे या जैसा कि मोशन आया है उसके स्तर पर करेंगे, जैसा कि उन्होंने किया है ? मैं समझता हूं कि यह गलत है। रीजन और कानून के स्तर पर इसको देखना है और उसमें यह भी हमको भूलना है कि हम इसमें फरीक हैं। यह दुर्भाग्य है कि हम इसमें फरीक हैं और हम आज इसका फैसला करने के लिये बैठे हैं। हर कानून में यह है कि जिस काज में जज इंटेरेस्टेड हो उसमें वह फैसला नहीं कर सकता है। फौजदारी में दफा ५५६ है जिसमें यह है कि जिस केस में जज इन्टेरेस्टेड होगा उससे वह खुद फैसला नहीं कर सकता। लेकिन आज यह हमारा दुर्भाग्य है कि हम इस केस में इन्टरेस्टेड हैं

और हम ही फैसला कर रहे हैं। इस पर बिचार करते समय हमें अपने दिमाग से यह निकालना होगा कि हम इसमें फरीक रहे हैं। हम इस पर जो भी फैसला लेंगे उसका प्रभाव सारे देश पर पड़ेगा। (व्यवधान) हमें शान्ति के साथ और अपने इन्टेरेस्ट को छोड़ कर इस पर विचार करना है, मेरा मतलब तो सिर्फ इतना है। नियम के और रीजन के स्तर पर इसकी आलोचना करना है।

१९४ (३) में यह लिखा हुआ है कि हमारे विशेषाधिकार, उन्मुक्तियां तथा शक्तियां वही होंगी जो २६ जनवरी, १९५० तक हाउस आफ कामन्स की रही हैं और यह तब तक रहेगी जब तक कि हम कोई दूसरा कानून न बना लें। इसमें हमें यह भी ख्याल रखना चाहिये कि १९४ (३) में इसी लेजिस्लेचर को यह भी अधिकार दिया हुआ है कि हम अपने प्रीविलेजेज को कोडीफाइ करें। जब आपको जरूरत हो आप यह कर सकते हैं, यह रेमिडी आपके हाथों में है। आर्टिकिल १०५ में इसी तरह का प्राविजन पार्लियामेन्ट के लिये भी है। दुर्भाग्य यह है कि अभी तक किसी भी लेजिस्लेचर ने प्रीविलेजेज को कोडीफाइ नहीं किया है....

श्री होतीलाल अग्रवाल (जिला इटावा)--

यह भी एक प्रीविलेज है। (हंसी)

श्री कुमार करुणा कृष्ण नायर—

ठीक है, होगा। तो यह जो डिफिनीशन है कि हमारे प्रीविलेजेज वही होंगे जो हाउस आफ कामन्स के होंगे, इसी के अन्दर भावी संघर्ष के लिये बीज बोया गया है। हाउस आफ कामन्स के प्रीविलेजेज कोडीफाइ नहीं हैं और उनके सभी हमारे ऊपर लागू भी नहीं हैं। बहुत से लागू नहीं हैं। इसके अन्दर झगड़े का बीज बोया गया है। सबसे पहले इसको हटाना है। इसमें यह नुक्स है, एक फेलेसी है। यह उसी प्रकार से है कि जैसे राम कृष्ण से पूछा जाय कि तुम किसके लड़के हो, वह कहे राम प्रसाद के, और राम प्रसाद से पूछा जाय कि तुम किसके लड़के हो, तो वह कहे कि राम प्रसाद के बाप का। तो हाउस आफ कामन्स के प्रीविलेजेज कहीं डिफाइन नहीं हैं। आस्ट्रेलिया का रिचर्ड का केस है जो एक पार्लियामेन्टरी प्रीविलेज है, उसको ढूंढा जाता है। निश्चित बात तो यह है कि उनको डिफाइन होना चाहिये, पहले उनको आपको दुरुस्त करना है। जब तक आप उसको दुरुस्त नहीं करेंगे, यह संघर्ष चलता रहेगा।

अब प्रश्न यह है कि हम जो काम करते हैं उसकी आलोचना जज नहीं कर सकते, यही हाउस आफ कामन्स की प्रैक्टिस है। पहिले उसके बारे में तो देख लीजिये कि यह कहां तक सही है। यही मत पार्लियामेन्ट का है और यही सुप्रीम कोर्ट ने कोट किया है। उसमें इंगलिश जजेज की भी राय कोट की है। उससे जाहिर है कि जहां पर वनारेन्ट में ग्राउन्ड्स आफ कमिटमेन्ट लिखा हुआ है उस वक्त उसमें जुडिशियल एक्जामिनेश होता है। तो आपका यह मत कि जो यहां पर प्रिविलेज के सिलसिले में जो भी कन्टैम्प्ट के लिये प्रोसीडिंग्स इनीश्येट की जावेंगी, उसका जुडिशियल एक्जामिनेशन हो सकता। यह हाउस आफ कामन्स की प्रैक्टिस के विरुद्ध है। आप नहीं कह सकते कि हाउस आफ कामन्स की प्रैक्टिस यह है। जैसे वारेन्ट आफ कांटेम्पट में जो ग्राउन्ड्स स्पेसीफाईड हैं उसका जुडिशियल एक्जामिनेशन नहीं हो सकता है। यह जुडिशियल का प्रैक्टिस नहीं। वहां पर एक्जामिनेशन होता है। और प्रैक्टिस यही है कि जनरल वारेन्ट या नान-स्पीकिंग वारेन्ट जो हैं उनके बारे में जजेज इन्टरफियर नहीं करते हैं मगर उसके बारे में भी निश्चित राय नहीं है। इसके लिये मैं दो सेन्टेन्सेज कोट करता हूं....

श्री अध्यक्ष—

जबानी ही बता दीजिये।

श्री कुमार करुणा कृष्ण नायर—

पेज ३० पर लिखा हुआ है कि—

"It appears that in the case it was urged before the Court that if the warrant issued appeared to be on the face of it unjustified, illegal, or extravagant, the Court would be entitled to entertain the petition for a writ of habeas corpus and grant relief to the petitioner. Lord Ellenborough dealt with this argument and expressed the opinion that if a commitment appeared to be for a contempt of the House of Commons generally, he would neither in the case of that Court, nor of any other of the Superior Courts, inquire further; but if it did not profess to commit for a contempt, but for some matter appearing on the return, which could by no reasonable intendment be considered as a contempt of the Court, committing, but a ground of commitment palpably and evidently arbitrary, unjust, and contrary to every principle of positive law, or national justice, in such a case the Court must look at it and act upon it as justice may require from whatever Court it may profess to have proceeded. It is thus clear that even while recognising that it would be inappropriate or improper to examine a general warrant issued by the House of Commons, Lord Ellenborough made it clear that this convention would be subject to the exception that wherever it appeared from the return or otherwise that the commitment was palpably unjust, the Court would not be powerless to give relief to the party."

श्री अध्यक्ष—

How could you discover that it is palpably wrong ?

श्री कुमार करुणा कृष्ण नायर—

यह पोजीशन थी वहां। आपने जो वारन्ट जजेज के खिलाफ जारी किया उसे विदड्रा नहीं किया था, तो बतलाइये कि जजेज को राइट होता है या नहीं कि रिलीफ मांगें। आप कहेंगे कि जजेज को राइट नहीं होता। तब क्या परिस्थिति हो जाती है ? आपने खुद उसे सही समझ कर वापस किया, वह दूसरी बात है। अगर सदन ने नहीं वापस किया और जजेज ने रिलीफ मांगा तो क्या सिचुएशन होगी, यह देखना है। अगर नान-स्पीकिन्ग वारन्ट आपने भेज दिया है, तो ऐसी हालत में सुप्रीम कोर्ट के जजों ने प्रिविलेजेज को एसर्टन करने की कोशिश की। उनकी राय यह रही कि हमारा संविधान रिटेन है और हाउस आफ कामन्स के प्रिविलेजेज हु बहू हम नहीं ले सकते हैं। आर्टीकिल १९ के लिये सबजैक्ट नहीं है। मगर उन्होंने माना कि आर्टीकिल ३२ के लिये सबजैक्ट होना चाहिये। आर्टीकिल ३२ कंट्रोल करता है।

एक सज्जन ने कहा कि आर्टीकिल ३२ की अथारिटी में लेजिस्लेचर नहीं आता। इस प्रश्न को हमने स्टडी नहीं किया। मैं ज्यादा तो नहीं कह सकता मगर मेरा ख्याल है कि अथारिटी का मतलब है कि जिसे कानून किसी काम के लिये अथाराइज करता है। चाहे वह कानून संविधान का हो या स्टेट लेजिस्लेचर का हो। अगर लेजिस्लेचर को कोई अथारिटी है, कानून के अन्दर कोई काम वह करता है, तो वह अथारिटी जरूर होती है जब तक उसके लिये कोई दूसरा अथराइज्ड न हो। मैं इसके बारे में कोई डिसीशन या राय नहीं ढूंढ सकता हूं मगर अथारिटी का मतलब यही है कि जिसे कानून के अन्दर अथाराइज किया गया है।

श्री अध्यक्ष—

एक मुश्किल यह है कि आगे कहा है कि गवर्नमेन्ट। 'अथारिटी' शब्द लेजिस्लेचर और गवर्नमेन्ट को इनक्लूड करता है या नहीं—डिफीकल्टी हो जाती है।

श्री कुमार करुणा कृष्ण नायर—

आर्टिकिल ३२ उसको कन्ट्रोल करता है। आर्टिकिल २११ भी इसको कन्ट्रोल करता है। आपने जो वारन्ट जारी किया, जो एक्जेम्पशन जजेज को आर्टिकिल २११ में मिला हुआ है, वह उसके खिलाफ है। क्या सदन की राय यह रहेगी कि आर्टिकिल २११ के वायलेशन में जजेज को गिरफ्तार करके यहां ला सकते हैं और उनके खिलाफ कोई कार्यवाही की जा सकती है ? इसके लिए सरन साहब ने कहा है कि पावर प्रोसीडिंग्स इज डिफरेंट फ्राम पावर टु इम्पोज पैनाल्टी। यह एक नया प्रापोजीशन है। अगर आप को पैनल्टी इम्पोज करने का राइट नहीं है और आपने प्रोसीडिंग्स इंस्ट्रीटीटूट की थी और वे आये ही नहीं, तो करेंगे ही क्या ? अगर आप को ऐक्शन लेने की अथारिटी नहीं हैं तो प्रोसीडिंग्स इगनोर किये जावें। वह कन्टेम्प को इन-वाइट करता है।

एक सवाल यह रहता है कि आज इस प्रस्ताव या संकल्प की जरूरत है या नहीं। मेरी राय में इसकी आवश्यकता नहीं। इस सदन को अधिकार है १९४ (३) में कि आपने प्रिविलेज को स्पैसीफाई करे, कोडीफाई करें। उस रास्ते को छोड़ कर आप दूसरे से आग्रह करें उन से प्रार्थना करें, कि आगर आप उचित समझें तो कर लिया जाय। यह तो मुझे ऐसा मालूम होता है कि पिछले जमाने में असेसर ट्रायल तब होता था तो उनकी राय पूछी जाती थी वे पुराने और रईस लोग होते थे और उनमें लखनऊ की तहजीब के लोग भी थे तो वे कहते थे कि जो हुजूर की राय हो। तो इस सदन की कोई राय है ? १९४ (३) में आपको अधिकार दिया है, उसे छोड़ कर आप भिक्षा के लिये क्यों जाते हैं ? अगर आपका कटेंशन यह है कि हाउस आफ कामन्स के प्रिविलेज आपके भी है तो फिर संविधान के अमेन्डमेंट की जरूरत ही क्या पड़ी ? अगर आपको शंका है तो आप अपने प्रिविलेज को कोडीफाई कर लीजिये। इसीलिये यह संकल्प अनावश्यक है।

एक सदस्य—

स्टेट के बाहर क्या होगा ? . . . .

श्री कुमार करुण कृष्ण नायर—

अभी बताता हूं। आज केरल में गवर्नर रूल है और उससे पहले २९ लेजिस्लेटर्स बन्द किये गये केरल के शासन के हुकुम से, बाद को सेन्ट्रल गवर्नमेंट के हुकुम से बन्द किये गये। मान लीजिये कि दूसरा चुनाव होता है और लेफ्ट कम्युनिस्ट का मैजारिटी हो जाती है और उनकी गवर्नमेंट बनती है। सेन्ट्रल गवर्नमेंट के अधिकारियों के खिलाफ और होम मिनिस्टर के खिलाफ नन्दा जी के खिलाफ वे वारन्ट आफ कन्टैम्ट जारी करते हैं कि तुमने २९ लेजिस्लेटर्स को सदन की कार्यवाही में भाग लेने से रोक रखा है, तो नन्दा जी को कोई रैमिडी रहेगी या नहीं ? उन्हें जुडिशल एक्जामिनेशन का अधिकार आप देंगे या नहीं ? जिनका भूरि पक्ष ही वह चाहें जो कर सकता है, यह भी नहीं है। दिल्ली में भी बहुत से लोग कहते है कि हम आन्दोलन करेंगे देश भर में इसके खिलाफ। मैं समझता हूं कि यह संकल्प पास करना देश के लिये और भावी के लिये, बहुत खराब मिसाल होगी। आप यह न समझिये कि कांग्रेस का ही शासन हमेशा रहेगा। नक्शा बदल सकता है और दूसरे का शासन हो सकता। यह अच्छी बात है कि आज सब दलों ने अपने सदस्यों को छूट दी है कि आजादी से अपनी राय जाहिर कर सकें। अगर कोई लैजिस्लेचर किसी स्पीकर को बुला ले तो आपके पास जुडिशल एक्जामिनेशन के अलावा कोई रैमेडी है ? जुडीशल रैमेडी से आप ऊबते क्यों हैं ? एक सज्जन ने कहा कि जुडीशरी इज डैस्पाटिज्म, आज सबसे पहले हमने यह सुना है। जुडीश्यरी योग्यताओं के आधार पर चुनी जाती है, यह नहीं है कि कोई उनको मतदान करते हैं। उनकी पढ़ाई-लिखाई भी होती है यह और नहीं है कि अंगूठा लगा कर जज हो जाय। उसमें एक सीढ़ी है, पहले मुंसिफ फिर जज, हाई कोर्ट जज और सुप्रीम कोर्ट जज। जो आदमी एक की राय से तृप्त नहीं है तो वह ऊपर जा सकता है। सबसे

[श्री कुमार करुणा कृष्ण नागर]

बड़ी बात यह है कि हिन्दुस्तान भर के लिये एक सुप्रीम कोर्ट है जो संविधान को इंटरप्रेट करती है। आप लोगों का इंटरप्रिटेशन एक दूसरे से कंट्रोल्ड नहीं है। जुडिशरी को डेस्पाटिज्म कहना फर्जी चीज है। यह नहीं हो सकता है। मगर लेजिस्लेचर का हो सकता है, क्योंकि इसके अन्दर जो आदमी आवेंगे उनके अन्दर जुडिशल एटोट्यूड नहीं भी हो सकता है। जजेज के अन्दर भावना होती है कि दूसरे की बात को सुनें और किसकी बात गलत है, तब सोच लें। उसके बाद वह शिकायत करें तो उसे दूसरा आदमी दुरुस्त कर सकता है। आपने जो अमेंन्डमेन्ट इसमें किया, अगर आपने खुद सोचकर दूसरे दिन इसको दुरुस्त न किया होता तो उसकी दुरुस्तगी कैसे होती? जूडिशियल डेस्पोटिज्म नहीं होगा मगर दूसरा डेस्पोटिज्म यह हो सकता है जिसके लिये कि आपने कदम आज बढ़ाया है, स्टेट लेजिस्लेचर्स के अन्दर एक किस्म का डेस्पोटिज्म हो सकता है कि जो मैं कहता हूं उसकी कोई आलोचना नहीं कर सकता है। कानून के अन्दर ऐसा गर्व करने का कोई अधिकार आपको नहीं है। जो आप रोज-रोज कानून पास करते हैं जिसमें दोनों हाउसेज ....

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)—

अध्यक्ष महोदय, सुप्रीम कोर्ट का जज यह चाहेगा कि मुंसिफ के खिलाफ कोई वर्डिक्ट दे सके?

श्री अध्यक्ष—

नहीं, आप बीच में न बोलिये। सारी बहस जो हो रही है वह यह हो रही है कि कहां तक आपको विशेषाधिकार मिलना चाहिए। आपका कहना यह है कि आप लोग पढ़-लिखे इतने नहीं हैं जितने कि वह हैं, इसलिए आपको कोई विशेषाधिकार नहीं मिलने चाहिए।

श्री राजेन्द्रसिंह (जिला एटा)—

माननीय मिश्रा जी वैसे नाइन्थ तक पढ़े हुए हैं।

श्री अध्यक्ष—

जो बहस हो रही है उसका तो ट्रेन्ड यही है।

श्री उग्रसेन—

मेरी बाअदब गुजारिश यह है कि आपका भाष्य ठीक नहीं है।

श्री कुमार करुणा कृष्ण नायर—

तो इस गर्व के लिये कि आप जो काम इस सदन में करते हैं वह सही है, संविधान के अन्दर कोई आधार नहीं है। जो बिल यहां पर आता है, परिषद में जाता है, बहस होती है, उसके बाद गवर्नर की एसेंट होती है, वह न्यायालय मे गलत माना जाता है, तब तो आप कूदते नहीं हैं। तब आप यह नहीं कहते कि हम तो पढ़े लिखे बहुत हैं, हम देश की जनता के नुमाइन्दे हैं, हमने जो किया उसको गलत कैसे मान लिया? कोई नहीं कहता। आपको एसा गर्व उस मामले में नहीं है, उससे बड़ा भारी गर्व प्रिविलेजेज के मामले में क्लेम करेंगे कि जूडिशियल एग्जामिनेशन नहीं होने देंगे, ऐसी स्थिति अगर आप लायेंगे तो वह दुख की बात होगी। प्रैस्टिज या प्रतिष्ठा दो किस्म की होती है। एक तो होती है बल की, दूसरी होती है गुण की। आप गुण की प्रतिष्ठा चाहते हैं या बल की प्रतिष्ठा चाहते हैं? आप यह प्रतिष्ठा चाहते हैं कि जो हम कहते हैं उसके खिलाफ कोई कुछ न कहें या आप यह चाहते हैं कि जो हम कहते हैं उसको सब लोग देख लें, जो हमारी गलती है वह हमको प्वाइन्ट आउट कर दें? यह प्रतिष्ठा चाहेंगे या मालिक और नौकर की प्रतिष्ठा चाहेंगे कि जो हम कहें नौकर को उसे मान लेना चाहिये? मैं समझता हूं कि यह प्रतिष्ठा नहीं है। ऐसा आपको करना नहीं चाहिये। न्यायालय में जो फैसला होता है, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होता है उसके ऊपर फेयरक्रिटि-

सिज्म, जो कन्टैम्प्ट की हद तक नहीं पहुंचता, हो सकता है। आप यह क्लेम करते हैं कि जो आप करें उसके खिलाफ कोई कुछ न कहे, कुछ न करे, मैं समझता हूं कि यह बड़े भारी दुर्भाग्य की बात होगी। इस गर्व को करने वाले हम लोग अपनी गलती तो खुद ही तस्लीम कर चुके हैं। हमने खुद आज मान लिया है कि जजेज के खिलाफ जो वारन्ट इश्यू किया था वह गलत है। इस बात को हम लोग छोड़ देते हैं (व्यवधान) अभी-अभी माननीय अध्यक्ष जी से मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि वह प्रश्न ही नहीं है अब।

श्री अध्यक्ष—

नहीं, वह प्रश्न सदन के सामने नहीं है। प्रिविलेज कमेटी के सामने तो है।

श्री कुमार करुणा कृष्ण नायर—

तो उस प्रश्न को छोड़ते हुए जो मौजूदा प्रश्न है उसको आगे कैसे ले जायेंगे? जो स्थिति है उसमें हम ऐसा संकल्प लायें और ऐसी बातें उसमें छोड़ दें तो मैं समझता हूं कि यह भी हमारी सत्यता का प्रमाण नहीं होगा। आपने ऐसे वारन्ट ईश्यू कर दिये और यह भी डिसाइड किया था कि जो आदमी दरख्वास्त ले जाता है वह भी कन्टेम्प्ट करता है, जो वकील पेश करता है, वह भी कन्टेम्प्ट करता है, जो जज लेता है वह भी कन्टेम्प्ट करता है, जिसके लिये कि हाउस आफ कामन्स में भी कोई मिसाल नहीं है, हाउस आफ कामन्स में ऐसी मिसाल तो थी जिसने आर्डर किया उन जजेज को पनिश करने की और वह भी ढाई सौ वर्ष पहले की बात थी, उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा सब-अथारिटीज ने निन्दा प्रकट की है और इधर ढाई सौ वर्ष के अन्दर वहां भी कोई काम उन्होंने ऐसा नहीं किया कि जिस जज ने आर्डर किया हो उसके ऊपर इस तरह का ऐक्शन लिया हो।

श्री अध्यक्ष—

यह सवाल नहीं है।

श्री जे० पी० मिश्र—

लेजिस्लेचर ने क्या किया, वह भी बता दें।

श्री अध्यक्ष—

१९४ (३) के अन्तर्गत हमारे विशेषाधिकार क्या होने चाहिए इस, पर वाद-विवाद हो।

श्री कुमार करुणा कृष्ण नायर—

जो सदन इतना सेंसिटिव है और गर्व करता है कि वह जो कहें, उसकी कोई आलोचना न करें.....

श्री अध्यक्ष—

यह तो रिपीटीशन हो रहा है।

श्री कुमार करुणा कृष्ण नायर—

सीरवाई साहब ने जो बहस सुप्रीम कोर्ट में की वही बहस पैम्फलेट में है, वही महाराष्ट्र कौंसिल में है और वही सब जगह है। आलिवर गोल्ड स्मिथ ने "विलेज स्कूल मास्टर" में कहा है "ईविन दो वैन्क्विश्ड ही कैन आरगू स्टिल" तो जब रिपीटीशन बहस में होगा, उसका जबाब भी रिपीटीशन में होगा। हम अगर गलती करते हैं और आवेश में गलती करते हैं ऐसी हालत में अगर जूडिशियल इग्जामिनेशन का राइट नहीं देते तो गलती होगी। इसलिये जनतंत्र में लोगों की आस्था रहे, संविधान दिये गये अधिकारों की रक्षा हो सके तथा विधान सभा पर

[श्री कुमार करुण कृष्ण नागर]

जनता का विश्वास बना रहे, इसको ध्यान में रखते हुए मेरी राय में किसी जगह भी यह संकल्प ठीक नहीं बैठता। आप प्रिविलेजेज को कोडीफाई कर लीजिए, लेकिन यह संकल्प किसी तरह से उसके लिये रेमडी नहीं है। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

*श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

श्रीमन्, मैं माननीय नायर साहब को इस बात के लिये दोष नहीं देता हूं कि वे जुडिशियरी और जुडिशियरी के लोगों का व्यक्तित्व, लेजिस्लेचर और उसके सदस्यों से ऊपर समझते हैं क्योंकि उन्होंने स्वीकार किया है कि उनकी जिन्दगी जूडिशियरी और ब्योरोक्रेसी में बीती है और लेजिस्लेटर अभी एक हफ्ते से ही हुए हैं, अतः पार्टीजन ऐटीट्यूड होना स्वाभाविक है। मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं क्योंकि यह प्रस्ताव बिलकुल निर्दोष है क्योंकि इसमें न तो सुप्रीम कोर्ट व हाईकोर्ट के अधिकारों पर आघात करने की मांग है, न सदन के विशेषाधिकार, जो संविधान द्वारा प्रदत्त हैं, उससे अधिक की मांग है और न संविधान को संशोधित करने की मांग की गई है। इस संकल्प में केवल यह मांग की गई है कि उच्चतम न्यायालय के जो विचार हैं, उससे यदि कुछ भ्रम पैदा हो गया है हमारे अधिकारों के बारे में, जो संविधान द्वारा इस सदन को प्रदत्त हैं, तो इसका स्पष्टीकरण कर दिया जाय।

श्रीमन्, मेरी कुछ मान्यताएं हैं, जो मैं पहले कह देना चाहता हूं। सबसे पहली तो यह है कि प्रेसीडेन्ट ने जो आर्टिकिल १४३ (१) के अन्तर्गत सुप्रीम कोर्ट को रिफरेंस किया और उसने जो अपनी राय दी है, वह न ला है, न तो उसका कोई बाइंडिंग फोर्स है और न वह जुडिशल प्रोनाउन्समेंट है। माननीय काशी नाथ जी बहुत चंचल दिखाई दे रहे हैं, मैं उनको बता दूं कि यह ओपिनियन किसी पर बाइंडिंग नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को, ओपिनियन प्रेसीडेन्ट को केवल एक रिपोर्ट मात्र है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट सिफारिश करता है कि प्रेसीडेन्ट महोदय संविधान की इस प्रकार की व्याख्या को स्वीकार कर लें। मेरी यह भी मान्यता है कि संविधान की जो धारा विधान मंडलों के विशेषाधिकार के संबंध में है वह काफी स्पष्ट है और उसमें किसी संशोधन की जरूरत नहीं है। विशेषाधिकार संबंधी जो संविधान की धारायें हैं, वे न तो नागरिक के मौलिक अधिकार और न न्यायालयों के अधिकार पर कोई आघात करती हैं।

अब मैं इन मान्यताओं की व्याख्या करना चाहता हूं। माननीय नायर जी और काशीनाथ जी दोनों इस बात से बड़े घबड़ाये हैं कि इस प्रकार का संकल्प लाने से देश पर असर पड़ेगा और जनता के नागरिक अधिकारों का हनन होगा। इसलिये उनको बड़ा आतंक सा हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय में एक वाक्य लिखा है कि यह संघर्ष जूडीशियरी और असेम्बली का नहीं है, वरन् नागरिक और असेम्बली का है। इसलिये यह कैपिटल प्वाइंट कि नागरिक के अधिकारों का हम अपहरण करने जा रहे हैं और हमारे साथी जो इस संकल्प का विरोध कर रहे हैं, वह भी इस मान्यता को दोहराना चाहते हैं कि फंडामेंटल राइट्स जो दिये हैं, वह पूर्णरूपेण सुरक्षित हैं और १९४ (३) में जो विशेषाधिकार हमें प्राप्त हैं, उससे उनका कोई संघर्ष नहीं है। आप देखें कि अनुच्छेद १९ (१), २०, २१ और २२ मौलिक अधिकारों के रेलीवेंट आर्टिकिल्स हैं जिनके बारे में संघर्ष की बात की जाती है। अनुच्छेद १९(१) में दिया गया है कि प्रत्येक नागरिक को भाषण स्वतंत्रता का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट की राय को देखें और एम० एस० एम० शर्मा के केस को देखें तो उसमें स्पष्ट लिखा है कि आर्टिकिल १९(१) बाइंडिंग नहीं हैं, आर्टिकिल १९४ (३) पर। और इस ओपिनियन के बाद भी केशव सिंह की रिट पेटीशन में जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया है, उसमें स्वीकार किया है कि इसी प्रकार आर्टीकिल २१ और २२ आर्टिकिल १९४ (३) पर बाइंडिंग नहीं है। यदि विवाद के लिये हमारे दोस्त इसको मान लें कि विधान मंडल को यह अधिकार प्राप्त है कि वह अपने कंटेम्प्ट के केस में किसी को कमिट कर सकता है तो

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आर्टिकिल २०, २१ और २२ स्वतः समाप्त हो जाते हैं। आर्टिकिल २० में यह दिया हुआ है कि किसी भी नागरिक का जब तक किसी ला का उल्लंघन न करे तब तक उसका कन्विक्शन नहीं किया जा सकता। यदि इस कांस्टीट्यूशनल ला की मान्यता ले ली जाय कि कन्टेम्प्ट के लिये विधान मंडल को अधिकार है कि किसी को सजा दी जा सकती है, तो उस कांस्टीट्यूशनल ला के उल्लंघन करने में यदि किसी को सजा दी जाती है तो वह फंडामेंटल राइट का उल्लंघन नहीं हुआ। ठीक इसी प्रकार से यदि न्यायालय किसी क्रिमिनल ला के उल्लंघन में किसी को सजा देते हैं, तो वह मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं माना जाता है। आर्टिकिल २१ में लिखा है कि किसी को सजा दी जा सकती है बाई ड्यू प्रासेज आफ ला। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो जजमेंट दिया है, उसमें इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि आर्टिकिल २०८ के अन्तर्गत विधान मंडल को अधिकार है कि अपने रूल्स आफ प्रोसीजर, अपने फंकशन्स और पावर्स के यूटिलाइजेशन के लिये बना सकता है जब तक रूल्स आफ प्रोसीजर अल्ट्रावायर्स डिक्लेयर नहीं होता तब तक वह कांस्टीट्युशन के अन्तर्गत माने जायेंगे। आर्टिकिल २०८ के अन्दर जो विधान मंडल ने अपने प्रिविलेजेज और पावर्स को यूटिलाइज करने के लिये रूल्स आफ प्रोसीजर बनाये हैं, उसके अन्तर्गत किसी को सजा दी जाती है तो आर्टिकिल २१ रूल्स आफ प्रोसीजर के अन्दर हो जाता है और आर्टिकिल २२ में यह लिखा है कि किसी भी व्यक्ति को जिसको डिटेन किया जाता है २४ घंटे के अन्तर्गत मैजिस्ट्रेट के सामने इसलिये पेश किया जाता है कि जब तक उसके खिलाफ जजमेंट न हो जाय तब तक मैजिस्ट्रेट से उसको एक इन्टेरिम बेल मिल जाय। लेकिन, श्रीमन्, जब कन्टेम्प्ट हो गया तो आर्टिकिल २२ वहां वर्क नहीं करेगा। १९, २०, २१, २२ की चर्चा मैंने इसलिये की कि हमारे जो विशेषाधिकार हैं उनके रहते हुए भी वे बिलकुल सुरक्षित हैं। आर्टिकिल १९४ (३) उनसे कान्फ्लिक्ट नहीं करता। क्यों कान्फ्लिक्ट नहीं करता? क्योंकि १९४ (३) में विधान मंडलों को यह अधिकार दिया गया है कि वे कन्टेम्प्ट की दशा में सजा दे सकते हैं। इसी प्रकार से आर्टिकिल १२९ में सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार दिया गया है कि अपने कन्टेम्प्ट में वे किसी को कोई सजा दे सकते हैं और उसकी कोई अपील न होगी। अगर ऐसी बात है तो वहां भी फंडामेंटल राइट का सवाल पैदा हो सकता है। लेकिन अगर वहां कोई सवाल फंडामेंटल राइट का पैदा नहीं होता है तो यहां भी नहीं हो सकता।

श्री काशीनाथ मिश्र—

वहां तो उनके जुडीशियल फंकशन्स हैं, लेकिन हमारे जुडीशियल फंकशन्स नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष—

वे कह रहे हैं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो जजमेंट हुआ है उसमें यह माना है कि हमारा भी अधिकार जुडीशल फंक्शन का है, लेजिस्लेचर को इस जुडीशल फंकशन का अधिकार है। उन्होंने इस बात को माना है। इसलिये अगर १२९ के अधीन सुप्रीम कोर्ट का जुडीशियल फंकशन है तो १९४ (३) में हमको भी यह अधिकार हाईकोर्ट की निगाह में है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रतिपादित किया है।

श्री कृष्णानन्द राय—

श्रीमन्, जब मैं पहले बोल रहा था तो सबसे पहले मैंने यह इम्प्रेस किया था कि सुप्रीम कोर्ट की जो ओपीनियन है वह किसी पार्टी के ऊपर बाइंडिंग नहीं है। यदि आप कांस्टीट्यूशन के आर्टिकिल्स को देखें तो आर्टिकिल १३१ से १३९ तक में यह बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के क्या अधिकार होंगे और उसका क्या जुरिसडिक्शन होगा। उसके बाद आर्टिकिल १४१ में दिया हुआ है .....

श्री अध्यक्ष—

यह ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि इसके बारे में तो स्वयं सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया है कि हमारा मत किसी पर बाइंडिंग नहीं है।

श्री काशीनाथ मिश्र—

श्रीमन्, केरल के एजूकेशन बिल पर जो राय थी वह तो बाइंडिंग थी ।

श्री कृष्णानन्द राय—

वहां जो तर्क दिये गये उनके द्वारा यहां एक भ्रम पदा करने का कोशिश की गयी कि यह सुप्रीम कोर्ट की ओपीनियन बाइंडिंग नहीं है तो फिर कान्स्टीट्यूशन के आर्टिकिल १९४ (३) के बारे में माननीय नवल किशोर जी को यह संकल्प लाने की फिर क्या आवश्यकता हुई । उसके बारे में मेरा कहना यह है कि जितनी आवश्यकता सुप्रीमकोर्ट की ओपीनियन की इस देश को अथवा लीगल वर्ल्ड को थी उतनी ही आवश्यकता इस प्रस्ताव की भी है । मैं एक वाक्य सुप्रीम कोर्ट के मेजोरिटी जजमेंट से सदन के सम्मुख पढ़ देना चाहता हूं और वह इसलिये पढ़ देना चाहता हूं क्योंकि कुछ माननीय सदस्यों को कुछ भ्रम पैदा हो गया है । सुप्रीम कोर्ट नागरिक अधिकारों का रक्षक समझा जाता है और उसका यह मेजोरिटी जजमेंट है । लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदरणीय जज फैसला देते समय समझते थे कि आज तक जो भी जुडीशियल फैसले हुए हैं, उन सब के खिलाफ वे अपनी इस ओपीनियन को देने जा रहे हैं । अतः वह राष्ट्रपति से अपील करते हैं कि वे इस बारे में स्यूटेबिल ऐक्शन टेक अप करें । पृष्ठ ५ पर वह लिखते हैं—

".....it may be competent to the President to formulate for the advisory opinion of this Court questions of fact and law relating to the validity of the impugned provisions of existing laws."

तो श्रीमन्, सुप्रीम कोर्ट इस ओपीनियन का है कि आर्टिकिल १९४ (३) में सदन को कमिटल का पूर्ण अधिकार प्राप्त नहीं है, उनकी अपनी राय की क्या यूटिलिटी है, वह कहते हैं कि संभव है कि हमारी राय पर राष्ट्रपति, राज्य सरकार को या केन्द्रीय सरकार को हिदायतें दें कि वह इस प्रकार का लेजिस्लेशन करके कोई ऐक्शन लें और उनको इम्पीलीमेंट करें । लेकिन संविधान की धाराओं के खिलाफ कोई प्रेसीडेंट ऐक्शन नहीं ले सकता और जब तक राष्ट्रपति कोई ऐक्शन नहीं लेता और कोई रोक नहीं होती तो इस तरह का संकल्प यह आया है । एक राय जब जूडीशियरी की राष्ट्रपति को मिल गई है तो विधान सभा के लिये भी यह आवश्यक था कि वह भी सुप्रीम कोर्ट की राय के बारे में अपना दृष्टिकोण देश के सम्मुख रखे ।

एक निवेदन मैं यह भी करूंगा कि मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि हमारे देश के जो न्यायालय हैं, चाहे वह सुप्रीम कोर्ट हो या हाईकोर्ट हो, उनको देश के संविधान की व्याख्या का अधिकार प्राप्त है और यह व्याख्या जो अलग अलग केसेज आते उनके संदर्भ में यह न्यायालय किया करते हैं और इतनी दूर तक हम उनका आदर भी करते हैं । हम चाहते हैं कि जो भी आदरणीय सदस्यों को भ्रम है, जितने भी केसेज हुये हैं और विशेषाधिकार के प्रश्न पर जो वादविवाद हुये हैं उनमें स्पष्ट मत रहे हैं । इंगलैंड में बहुत से केसेज सुप्रीमकोर्ट को रिफर किये गये हैं, एक अर्ल आफ शेफ्ट्सबेरी का केस है, एक एशव्वाय वर्सेज व्हाइट का है, मरेज केस है, ब्रास काशीज केस है, एक बरडेट का केस है । यह जितने ५–६ केसेज हैं और जिन पर इंगलैंड के कोर्ट्स ने अपना निर्णय दिया है और जिसका रिफ़ेन्स सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ओपीनियन में दिया है और यदि मान्यताओं को देखें तो हम केवल इसी नतीजे पर पहुंचते हैं कि हाउस आफ कामन्स को वह पूर्ण अधिकार है कि वह कन्टेम्प्ट के बारे में अनस्पीकिंग वारेन्ट इशू कर सकती है और उसमें कोर्ट का कोई इन्टरफीयरेंस नहीं हो सकता है । इंगलैंड में भी यह सवाल आया । जब व्याख्या हो चुकी कि वह उनकी विचारधारा के खिलाफ पड़ते हैं तो उन्होंने वहां यह कहा कि चूंकि हाउस आफ कामन्स कोर्ट आफ रिकाड रह चुका है और पार्लियामेंट को ऊपर रख चुका है इसलिये वह न्यायालय के राइट से अधिकार प्राप्त किये हैं । इंगलैंड में तो इस तरह से कह कर टाल दिया गया, लेकिन आस्ट्रेलिया में भी गिल वर्सेज मर्फी और एक गिल्स का केस हुआ है, वहां का पार्लियामेंट भी कोर्ट नहीं कही जा सकती । वहां पर भी कौंसिल ने यह निर्णय दिया कि हाउस द्वारा इश्यू किया हुआ वारेन्ट कोर्ट के द्वारा एक्जामिन नहीं किया जा सकता, लेकिन उन केसेज को भी सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता नहीं दी । इस तरह से इंगलैंड में और आस्ट्रेलिया में सब जगह जुडीशियल फैसले इस पक्ष के हैं कि कन्टेम्प्ट के केस और अनस्पीकिंग वारन्ट्स के मामले कोर्ट आफ ला में

रिफर नहीं किये जा सकते । मैं सुप्रीम कोर्ट की बड़ी इज्जत करता हूं, परन्तु आश्चर्य होता है कि जब सुप्रीम कोर्ट यह मत व्यक्त करता है कि आस्ट्रेलिया के जस्टिस इस केस के मैरिट पर नहीं गये, इंगलैंड के केसेज की मान्यताओं को उन्होंने आस्ट्रेलिया के केस पर लागू कर दिया, यह बड़ा आश्चर्यजनक इन्टरप्रेटेशन है । इंगलिश केसेज भी एक विचारधारा रखते हैं । आस्ट्रेलिया के केसेज भी एक विचारधारा रखते हैं और इस ओपीनियन के पहले सुप्रीम कोर्ट की भी एक विचारधारा थी । १९५९ में शर्मा के केस में सुप्रीम कोर्ट की मैजारिटी की राय है कि हर सदन को कन्टेम्प्ट में कमिट करने का अधिकार है । इंगलैंड के केसेज हैं, आस्ट्रेलिया के केसेज हैं और ओपीनियन देने के पूर्व श्री शर्मा का केस हुआ है, प्रत्येक में संविधान की धारा १९४ के अन्तर्गत कन्टैम्प्ट के ऊपर कमिट करने का अधिकार है ।

मैं, इलाहाबाद की बेंच ने केशव सिंह के रिट के मामले में जो मान्यताएं स्थिर कीं, उनको उसके लिये बधाई देना चाहता हूं । कुछ प्वाइन्ट्स इसमें कवर हुए हैं । बधाई इसलिये देना चाहता हूं कि जो मान्यताएं हैं इन्गलैंड की और आस्ट्रेलिया की हैं उन्हीं परम्पराओं को इलाहाबाद की बेंच ने जो जुडिशियल प्रोनाउन्समेंट किया है, उसमें दिया है । पृष्ठ ४ पर लिखा हुआ है :—

"And, if we find that the House of Commons did enjoy such a privilege, then it is our duty to hold that the Legislative Assembly also possesses the privilege unless, for some compelling reason, we find that such a privilege cannot possibly be enjoyed by the Assembly. Such a compelling reason may be a direct or implied prohibition contained in some provision of the Constitution."

श्री अध्यक्ष— ।

यह कहां पर है ?

श्री कृष्णानन्द राय—

श्रीमन्, वह पैरा ४ में पेज ४ पर है । इसमें आगे दिया हुआ है :—

"There is no provision in the Constitution which contains any express or implied prohibition against the exercise by the Legislative Assembly of the privilege enjoyed by the House of Commons to commit for its contempt. The fact that the power or privilege to commit for contempt is in the nature of a judicial power is, in our opinion, not a compelling reason for denying the power to the Legislative Assembly as there is no rigid separation of powers under our Constitution."

तो, श्रीमन्, मैं यह निवेदन कर रहा था कि सुप्रीम कोर्ट की ओपीनियन के बाद भी इलाहाबाद की बेंच ने इस कन्ट्रोवर्शियल प्वाइंट पर ठीक वही जुडिशियल प्रोनाउन्समेंट दिया जो कि आज की सारे जुडिशियल प्रोनाउन्समेंट की मान्यताएं हैं कि विधान मंडल को इस बात के पूरे अधिकार प्राप्त हैं कि वह अपने कन्टेम्प्ट के बारे में कमिट कर सकती है और कहीं भी फन्डामेंटल राइट्स उसको गवर्न नहीं करते । मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आर्टिकिल १९४ (३) में स्पष्ट है कि सदन के जो विशेषाधिकार है उनके बारे में कोई भी स्पष्टीकरण नहीं मांगा जा सकता । यदि कहीं संविधान में कोई धारायें भ्रामक हों तो हर बार संविधान में संशोधन लाया जाय, तो यह भी एक परम्परा पड़ जायगी और इस प्रकार सारे संविधान को अमेंड करना होगा । संविधान में दिया है कि राष्ट्रपति को कैबिनेट ऐडवाइज करेगी और स्टेट्स में जो राज्य की कैबिनेट्स हैं वे राज्यपाल को, ऐडवाइज किया करेंगी लेकिन अगर इस एडवाइस को कोई राज्यपाल अथवा राष्ट्रपति नहीं मानता तो क्या होगा ? कांस्टीट्यूशन में इस संबंध में कुछ लिखा नहीं गया है तो फिर कांस्टीट्यूशन को अमेंड किया जाय और इस प्रकार संविधान की हर धारा को अमेंड करना होगा । यह संसदीय प्रणाली की परम्परा है कि कैबिनेट रिस्पांसिबिल होती है राष्ट्रपति को । उसे वह मान लेता है अगर उस परम्परा के अनुसार कार्य होता है । इसलिये मेरी यह धारणा है कि जुडीशियल प्रोनाउन्समेंट्स हमारे पक्ष में हैं और आज इस केस को भी सुप्रीम कोर्ट को रेफर कर दिया जाय तो जुडीशियल प्रोनाउन्समेंट उनको देना पड़ेगा और जितने प्रोनाउन्समेंट हो चुके हैं

[श्री कृष्णानन्द राय]

उनको मद्देनजर रखते हुए वे हमारे खिलाफ फैसला नहीं दे सकेंगे। इन शब्दों के साथ में इसका समर्थन करता हूं।

श्री मैनेजर्रसिंह—

अध्यक्ष महोदय, हमारे सामने जो प्रस्ताव उपस्थित है उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। जो स्थिति हमारे देश के जनतांत्रिक इतिहास में उत्पन्न हो गयी है उसी के कारण यह प्रस्ताव हमारे सामने आया है। उस पर दो पक्ष हो गये हैं। एक पक्ष के साथी कहते हैं कि जनतंत्र की रक्षा के लिये इसे स्वीकार करना चाहिये और दूसरे पक्ष के साथी कहते हैं कि जनतंत्र की रक्षा के लिये इसे अस्वीकार करना चाहिये। मैं समझता हूं कि उत्पन्न परिस्थिति से जनतंत्र पर खतरा उपस्थित हो गया है। मेरा नम्र निवेदन है कि सदन के आदरणीय सदस्यगण इस पर गंभीरता से विचार करें। यहां कोई सवाल न्यायपालिका और विधायिका के संघर्ष का था ही नहीं। अकारण एक सवाल पैदा कर दिया गया है जिससे यह स्थिति उत्पन्न हो गयी है। मैं कतई नहीं चाहता कि विधायिका न्यायपालिका के कार्य क्षेत्र में दस्तन्दाजी या हस्तक्षेप करे। हमारे आदरणीय सदन की एक मर्यादा रही है। पिछले तीन वर्षों से मैं देख रहा हूं कि जब कभी हम न्यायपालिका के किसी कार्य की आलोचना करते हैं तो तत्काल अध्यक्ष महोदय रोक लगाते हैं। सम्मानित सदस्यगण भी आक्षेप करते हैं कि न्यायपालिका पर हमको कोई टीका नहीं करनी चाहिये। न्यायपालिका के ऊपर हमें चर्चा नहीं करनी चाहिये। जहां तक न्यायपालिका के अधिकार और सम्मान का प्रश्न है, हम बहुत सजग हैं और उसे सम्मान देना चाहते हैं। लेकिन हम भी अपना कर्तव्य पालन करेंगे। यदि न्यायपालिका को यह अधिकार हो कि वह विधायिका के कार्य करने में दखलंदाजी करे, तो क्या विधायिका का कार्य चल पायेगा ? कदापि नहीं चल पायेगा हम सदस्यगण अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर सकेंगे तो जम्हूरियत, जनतंत्र किस तरह से चलेगा ? वे माननीय सदस्य जो इस प्रस्ताव का विरोध कर रहे हैं क्या इस प्रश्न पर सोचने के लिये तैयार हैं या नहीं ?

श्रीमन्, यह सवाल कहां उपस्थित होता है कि हम न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में दखल दे रहे हैं ? यह सवाल क्यों उपस्थित किया जा रहा है इसके प्रारंभ पर दृष्टि डालें। उस समय मैं सदन में उपस्थित नहीं था, शायद अस्पताल में था। इस आदरणीय सदन के एक माननीय सदस्य के उनके सदन संबंधी कर्तव्यों के संबंध में एक पैम्फलेट (पर्चा) वितरित किया गया। हमारे सदन के सभा मंडप क्षेत्र में ही वितरित हुआ, अतः विशेषाधिकार की अवहेलना का सवाल उपस्थित हुआ। जिन्होंने इसको बांटा उनकी तलबी हुई। हमारे एक साथी श्री केशर्वासिंह यहां बुलाये गये। मैंने जो पढ़ा और सुना है वह यह कि वे हमारे माननीय अध्यक्ष जी के आसन की तरफ पीठ करके खड़े हो गये। मैं पूछना चाहता हूं कि इस प्रकार का कोई व्यक्ति अशिष्ट व्यवहार करता है, चाहे वह कितना ही निकटतम साथी क्यों न हो या कितना ही सम्मानित व्यक्ति क्यों न हो, उसके साथ हमारा क्या व्यवहार होना चाहिये, क्या हम यह बरदाश्त करेंगे, क्या हम इस तरह से व्यवहार को सहन करेंगे ? (व्यवधान) हमारे साथी माननीय रक्षपालसिंह जी कह रहे हैं कि उसको सजा मिलनी चाहिये। सजा ही तो मिली जो सात दिन का कारावास दिया गया।

श्रीमन्, उच्च न्यायालय (हाई कोर्ट) में रिट दाखिल हुआ। मैं इस विचार का हूं कि रिट दाखिल हुआ और हमारे उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों ने नोटिस लिया और उन्होंने श्री केशर्वासिंह को तलब किया, तो ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिये था। लेकिन उन्होंने जो कुछ किया मैं इतना मानता हूं कि उन्होंने इस आदरणीय सदन का कोई अवमान करने के नीयत से नहीं किया। मैं ऐसा समझता हूं कि उन्होंने गैर जानकारी में या जल्दी में यह कार्यवाही की। यद्यपि मैं उसको अनुचित मानता हूं, लेकिन उनकी नीयत सदन के अवमान करने की नहीं थी, इसलिये चाहिये तो यह था कि जिस तरह से सवाल सदन में उठाया गया, नहीं उठाना चाहिये था। जहां तक मुझे याद है हमारे माननीय न्याय मंत्री जी का जो रुख था वही सही

था और वही इसं सदन को स्वीकार करना चाहिये था । लेकिन इस आदरणीय सदन के कुछ माननीय सदस्यों ने सदन के सम्मान के लिये बड़ा रुख दिखाया और जोश में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को यहां तलब किया गया । आदरणीय अध्यक्ष जी, काफी अरसे तक इस आदरणीय सदन के माननीय सदस्यों का जब वे निर्वाचन क्षेत्र में आते जाते थे या घूमते थे तो रेलों, बाजारों और गाड़ियों में मजाक उड़ाया जाता था कि अरप लोग जजों को तलब करने लगे हैं । इस प्रकार के व्यंग किये जाते हैं । यह किसी का कसूर नहीं है । आज जो भ्रान्ति है वह कम पढ़े लिखे लोगों में है जो सदन की कार्ययाही से परिचित नहीं हैं । यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है । मैं यहां भी भाषण सुनता हूं तो मुझे कष्ट होता है । हमारा सिर शर्म से झुक जाता है कि सदन के माननीय सदस्य ही इस सम्मानित सदन की मर्यादा रक्षा के लिये सजग नहीं हैं । यदि चाय की दूकान पर बैठने वाला व्यक्ति अज्ञानतावश बात करता तो मैं अनुचित नहीं मानता, किन्तु हम लोगों के लिये यह रुख उचित नहीं है । आज हमारे देश में जनतंत्र की प्रणाली चल रही है, जिसके सम्बन्ध में जनमानस प्रशिक्षित नहीं किया गया है । जनमानस में चेतना नहीं जगाई गयी है और यही कारण है कि आये दिन हम लोग आलोचनाओं के शिकार होते हैं ।

मैं तो आदरणीय सदन से कहना चाहता हूं कि यहां पर प्रश्न न्यायपालिका और विधायिका के विवाद का नहीं है । उच्चतम न्यायालय ने जो कहा है वह उनका निर्णय नहीं है, वह उसकी राय है । स्वयं उच्चतम न्यायालय ने भी कहा है कि इसके सम्बन्ध में कई सफाई होनी चाहिये । उच्चतम न्यायालय ने एक विचार व्यक्त किया है और एक प्रश्न उपस्थित किया है । मैं संकल्प को उस विचार के अनुकूल ही मानता हूं । इस प्रस्ताव के द्वारा सदन की क्या मांग हो सकती है ? मांग यही की गयी है कि जो हमारे विशेषाधिकार (प्रीविलेज) हैं उनको स्पष्ट कर दिया जाय कानून में । यही तो उच्चतम न्यायालय की राय है कि ब्रिटिश हाउस आफ कामन्स के जो विशेषाधिकार ह, वही प्रदेशीय विधान सभाओं (स्टेट की लेजिस्लेचर) को प्राप्त हो जाते हैं, जब कि वह बहुत सफाई में लिखें हुये हैं, यद्यपि विशेषाधिकार लिपिबद्ध नहीं हैं । हम उन्हें अपनाते चले जा रहे हैं । हम बराबर उनका अनुकरण करते चले जा रहे हैं और मानते रहे हैं । जो माननीय सदस्य इस संकल्प का विरोध करते हैं उन्हीं के द्वारा ब्रिटिश पार्लियामेंट के बहुत से उद्धरण (कोटेशन) यहां पर दिये जाते हैं, मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस की यहां पर दुहाई दी जाती है और वही आज कहते हैं कि उसको नहीं मानते हैं । यह हमारे यहां कैसे मान्य (एलाऊ) होगा ? मैं कहना चाहता हूं कि यह विधायिका और न्यायपालिका के संघर्ष का सवाल नहीं है । हम इस प्रस्ताव के द्वारा यही चाहते हैं कि हमारे सदन का जो दायित्व एवं गौरव है, उसमें कोई दखलन्दाजी, हस्तक्षेप न्याय-पालिका को नहीं होनी चाहिये । जिस दिन हम स्वीकार करेंगे कि विधायिका के कार्य में न्याय-पालिका का दखल हो, उस दिन हमारा कोई कार्य चलने वाला नहीं है । आदरणीय अध्यक्ष महोदय, कोई नियम सम्बन्धी भूल हो जाती है चाहे हमारे उस उच्च आसन से या इस सदन से और उस नियम सम्बन्धी आपत्ति पर हमें छूट मिल जाये कि हम उच्चतम न्यायालय में जाकर अपने मौलिक अधिकारों का प्रश्न उठायें तो हमारे सदन का कार्य नहीं चल सकता । माननीय अध्यक्ष महोदय की कृपा से मैं एक बार इंगित हुआ था । नियम यह है कि प्रथम बार अध्यक्ष जी सदन छोड़ने के लिये कहेंगे, यदि नहीं छोड़ेंगे तो वे इंगित करेंगे । माननीय नेता सदन ने प्रस्ताव किया और हम निकाले गये । यदि हमको यह इजाजत होती, कानून में यह छूट होती तो मैं भी हाईकोर्ट में रिट दाखिल करता और कहता कि मेरा निष्कासन अनियमित है मैं सदन में बैठूंगा जब तक मामला कोर्ट में विचाराधीन है । मैं भी कोट से निवदन करता कि अध्यक्ष की आज्ञा को निरस्त कीजिये । ऐसा ही होन लगा तो इस सभा का कार्य किसी भी हालत में नहीं चल सकता है । जहां हमारे कुछ माननीय सदस्य चाहते हैं कि हम न्यायपालिका के कार्य क्षेत्र में दखल न करें वहां हम भी चाहते हैं कि विधायिका के कार्य में न्यायपालिका का भी कोई दखल न हो ।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं । इलाहाबाद उच्चतम न्यायालय के २८ जजों पर आप इतना गर्व करते हैं, जिन २८ जजों ने हमारे विधायिका के सम्मान को

[श्री मैनेजर्रासह]

गिराया है, बल्कि हमारे उच्च न्यायालय के २८ जजों ने न्यायपालिका के सम्मान को भी गिराया है। २८ जज बैठ गये एक साथ जैसे कि बीड़ी मजदूर यूनियन की मीटिंग हो और एकतरफा मत दे दिया। ऐसे उच्च न्यायालय के जजों पर हम जनतंत्र के भाग्य को नहीं छोड़ सकते। हम ५ साल के लिए यहां पर आये हुए हैं, हम सवा लाख जनता के प्रतिनिधि हैं, वह हमारे सवा लाख अफसर हैं, हमारे हर काम के लिये आये दिन उनके द्वारा जवाब तलब होते हैं। और उन जजों के पास क्या है? एक बार वे नियुक्त हो जाते हैं तो पेंशन तक बने रहते हैं। उसके बाद अगर कुछ चाटुकारिता कर दी और राजनायकों की खुशामद कर दी तो किसी न किसी कमीशन के आयुक्त नियुक्त हो जाते हैं या अध्यक्ष बना दिये जाते हैं। इस प्रकार से न्यायपालिका में कार्य करने वाले लोगों को यदि आप प्रोत्साहन देंगे तो यह नागिन की तरह से इस जनतंत्र को डस लेंगे और प्रजातंत्र इस देश से समाप्त हो जायगा। इन शब्दों के साथ मैं अपने साथियों से आग्रह करता हूं कि आप सही स्थिति पर सोचें और भावना में बह न जायं।

श्री अध्यक्ष—

यह सदन ५। बजे तक बैठेगा।

श्री उग्रसेन—

इसके बाद एक भाषा का विवाद है।

श्री अध्यक्ष—

अच्छा।

श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर—

आपने कहा था कि इसमें किसी पार्टी का कंसीडरेशन नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष—

तो इसमें पार्टी का कंसीडरेशन कहां हो रहा है?

श्री हरीशकुमार गंगवार—

मान्यवर, आज जिस गम्भीर वातावरण में हमें इस महत्वपर्ण प्रश्न पर विचार करना चाहिये, मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग उतने गम्भीर वातावरण में विचार नहीं कर पा रहे हैं। प्रश्न आज इस बात का नहीं है कि जुडिशिरी क्या कहती है और हम क्या कहते हैं। प्रश्न तो आज इस बात का है कि आज हम प्रजातंत्र को और प्रजातंत्र में जनतंत्र को ऊंचा मानते हैं या जनतंत्र को किसी और से नीचा मानते हैं। प्रजातंत्र में जनता की भावना का जो प्रतिनिधित्व करते हैं उनको हम नीचा मानते हैं या उसके ऊपर किसी को ऊंचा मानते हैं? श्रीमन्, मैं तो यह बात देखकर दंग रह गया कि आज इस युग में बीसवीं शताब्दी में जिसको डाइसी और एलन ने कलेक्टिविज्म का युग कहा है, सामूहिक युग कहा है और जहां से स्टेट में सुप्रिमेसी हर बात में मानी जाती है वहां ज्यादा से ज्यादा पावर हम स्टेट को दे रहे हैं। समाजवाद का नमूना रूस में, चीन में और योरोप के दूसरे मुल्कों में भली प्रकार से फैला है और आज उसी समाजवाद के मानने वाले असेम्बली जनता के प्रतिनिधियों को अधिक से अधिक अधिकार देना चाहते हैं और दे रहे हैं, वे आज यह कहते हैं और जुडिशियरी को ऊंचा मानते हैं। प्रश्न इस बात का है कि यह समाजवाद कैसा है जिसमें हम अपनी पावर दूसरे को देना चाहते हैं। आज, श्रीमन्, यदि आप देखें तो चाहे रूस हो, चाहे आस्ट्रेलिया या हंगरी की तरफ नजर डालें या चीन की तरफ नजर डालें या जो भी सोशलिस्टिक पैटर्न को मानने वाले देश हैं उनकी तरफ नजर डालें तो एक ही बात दिखाई देगी और वह यह कि वह सबसे पहले कलेक्टिविज्म की भावना से प्रेरित होकर अपने में ज्यादा शक्ति निहित करना चाहते हैं, ज्यादा शक्ति लेना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में मुझे यह नारा समझ में नहीं आया कि यह शक्ति दूसरी जगह जाय। यहां पर व्यक्तिवाद की बात कर रहे हैं, हाईकोर्ट और जुडिशियरी को ज्यादा

अधिकार देने की बात कर रहे हैं और फिर यहां समाजवाद लाना चाहते हैं तो यह बात मेरी समझ में नहीं आई। इस प्रश्न को पहले कुछ अलग कर दिया और फंडामेंटल राइट और विशेषाधिकार को हमने कन्फ्यूज कर दिया।

फंडामेंटल राइट्स अलग हैं, विशेषाधिकार अलग हैं। विशेषाधिकार तो फंडामेंटल राइट्स के ऊपर होते हैं। विशेषाधिकार का मतलब है स्पेशल प्रिविलेजेज। प्रिविलेज का मतलब है कि कोई अधिकार कानूनन न मिले फिर भी लें। तो जहां तक हम प्रिविलेजेज की बात करते हैं वहां फंडामेंटल राइट्स नीचे रहेंगे और रहे हैं। आप देख लीजिये कि जब आवश्यकता पड़ती है, जब इमरजेंसी हुई तो फंडामेंटल राइट्स ताक में उठा कर रख दिये गये। कौन चैलेंज करता है तब ? जब कम्युनिस्टों के लेफ्टिस्ट लोग गिरफ्तार किये गये हैं और समाजवादी लोग बराबर उनके छोड़ने की मांग कर रहे हैं तो यही दलील देते हैं कि उनपर मुकदमा चलाओ। यह नहीं कहते कि उनको क्यों डिटेन किया गया है। डिटेंशन ठीक है, लेकिन मुकदमा चलाओ, यह कहते हैं। तो मेरा कहना यह है कि यह प्रिविलेज का मामला फंडामेंटल राइट्स से अलग रहा है। अगर अलग नहीं होता तो न्यायाधीश के ऊपर कोई भी कानून उनको बार करने का हम नहीं बना पाते। कांस्टीट्यूशन में प्रावीजन है कि इमरजेंसी के वक्त और दूसरे समय पर राष्ट्रपति चाहे तो हमारे न्यायाधीश को सस्पेंड कर दें। इसी प्रकार से मैं समझता हूं कि उस इमरजेंसी से ऐसी पोजीशन हमारे लेजिस्लेचर के अन्दर की हो जाती है। श्रीमन्, मैं नहीं समझ पाया कि आखिर विशेषाधिकार ऐसा कौनसा बड़ा भारी प्रश्न है जिसका कि विरोध किया जाय। यह दलील दी गयी, माननीय काशीनाथ मिश्र जी ने शायद कहा, कि हम चाहते हैं कि हमारा बस चले, वैसे बस तो नहीं चलेगा—लेकिन वह कहते हैं कि हमारा बस चले तो अनुच्छेद १९४ (३) और (४) को बिलकुल समाप्त कर दें। श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता हूं कि रोज तो आप यह दुहाई देते हैं कि हम गिरफ्तार कर लिये गये, एम० एल० ए० साहब गिरफ्तार हो गये और उनकी सूचना यहां नहीं आयी। रोज आप यह कहते हैं कि जब हम जायं तो आफिसर्स को हमारा सम्मान करना चाहिए, वह उठकर हम से हाथ मिलावें, हमको प्रायोरिटी दें। रोज कहते हैं कि हमारे सम्मान की रक्षा होनी चाहिए। मैं कहता हूं कि समाजवादी होकर आपका कौनसा सम्मान है ? किस सम्मान की रक्षा ? कौन से अधिकारों की रक्षा आप चाहते हैं ? जो फंडामेंटल राइट्स आपके हैं, एम० एल० ए० बनने पर हैं, वही दूसरे के हैं। आप स्पेशल प्रिविलेज अपने लिये क्यों मांगते हैं ? रोज हाउस के अन्दर उस किस्म की घटनायें आती हैं। अध्यक्ष जी, अभी आपने एक आफिसर के खिलाफ एक विशेषाधिकार एक मेम्बर की ओर से ऐडमिट किया है। तो मैं कहना चाहता हूं कि एक तरफ तो आप कहेंगे कि हमें प्रिविलेज चाहिए और दूसरी तरफ यह कहें कि प्रिविलेज अबालिश कर दो, इन दोनों बातों में कोई तारतम्य नहीं है, विरोधाभास है।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि यह भी कहा जाता है कि प्रजातंत्र में, जैसा हमारे यहां है, एक संघीय संविधान है। एक संघीय संविधान में कांस्टीट्यूशन सब से ऊपर होता है। यह बात तो निर्विवाद सत्य है, कि कांस्टीट्यूशन एक संघीय सरकार में सबसे ऊंचे महत्व की चीज होती है और वहीं से सब पावर्स हम डिराइव करते हैं। मेरा भी निवेदन है कि कांस्टीट्यूशन के हिसाब से जुडीशियरी का एक अलग फंक्शन है, लेजिस्लेचर का अलग फंक्शन है और एक्जिक्यूटिव का अलग फंक्शन है। तीनों अगर कोआर्डिनेशन से नहीं चलेंगे तो वह ऐडमिनिस्ट्रेन दरहम-बरहम हो जायगा। और वह कांस्टीट्यूशन भी क्या है ? कोई अलग बनाकर भगवान नहीं बैठे हुए हैं जिसको हम छू नहीं सकते हैं ? वह तो वह चीज है जिसने अपनी पावर पीपिल्स से ही डिराइव की है।

श्री अध्यक्ष—

अब आप कल जारी रखेंगे। अभी दूसरा विषय है नियम ५० के अन्तर्गत, वह लिया जावेगा।

(इस समय ५ बजे अधिष्ठाता, श्री कमलासिंह यादव पीठासीन हुये।)

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, १९६५

सचिव, विधान सभा—

अधिष्ठाता महोदय, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम १५५ के अन्तर्गत में सदन को यह सूचना देता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, १९६५ जो विधान सभा द्वारा २९ मार्च, १९६५ को पारित किया गया था तथा श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के, आज ३० मार्च, १९६५ को वापस प्राप्त हो गया है।

हिन्दी को रोमन लिपि में पढ़ाये जाने और हिन्दी माध्यम में शिक्षा दिये जाने के विषय पर नियम ५० के अन्तर्गत चर्चा

*कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—

अधिष्ठाता महोदय, जिस विषय पर मैं निवेदन करना चाहता हूं वह अत्यन्त ही महत्वपूर्ण विषय है। अपने प्रदेश से सहायता पाने वाली एक संस्था अनियमित कार्य कर रही है। अलीगढ़ विश्वविद्यालय अपने वहां हिन्दी और उर्दू की पढ़ाई रोमन लिपि में करता है। यह बिल्कुल अव्यवहारिक है और अनियमित है। अनियमित इसलिये कि हमने सन् ५० में एक अधिनियम बनाया है जिसके द्वारा अपने प्रदेश की भाषा को देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिन्दी भाषा को राज्य भाषा माना है। भाषा हिन्दी मानी है, लिपि देवनागरी मानी है।

श्री खेमचन्द (जिला आगरा)—

अलीगढ़ विश्वविद्यालय सेंन्टर के कंट्रोल में है, यहां पर विवाद नहीं होना चाहिये।

कुंवर श्रीपालसिंह—

उसको हम सहायता देते हैं। उस विश्वविद्यालय में हम पाकिस्तानी लोगों को पढ़ाने के लिये तैयार नहीं हैं। आज भी देखा जाय तो डाक्टरी और इंजीनियरी से ५० फीसदी छात्र पाकिस्तान के हैं जो यहां पढ़ कर, हमारे रुपये से शिक्षा प्राप्त कर, पाकिस्तान में जाकर कार्य करते हैं। (व्यवधान) हिन्दी के बारे में अगर मैं कहूंगा तो यह रिपब्लिकन वाले कहेंगे कि यह आर० एस० एस० वाले हैं, इसलिये कहते हैं, मैं उर्दू के बारे में कहूंगा। उर्दू भाषा जब रोमन लिपि में लिखी जायेगी तो क्या होगा। उर्दू के एक बहुत बड़े शायर हैं जिनका नाम है 'दाग'। इसको अगर रोमन लिपि में लिखा जायेगा तो उसको पढ़ा जायेगा 'डाग'। क्योंकि रोमन में 'द' लिखा ही नहीं जा सकता।

श्रीमान् जी, इतना ही नहीं, इससे हमारे अन्तर्राष्ट्रीय नियम आदि भी बदल जायेंगे और बदल गये.... (व्यवधान)

श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर (जिला गढ़वाल)—

(व्यवधान के बीच) यह यूनिवर्सिटी सेन्टर के कंट्रोल में है, हमारा उस पर कोई अधिकार नहीं है, इसलिये उसके कैरिकूलम पर हम विचार नहीं कर सकते।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल (जिला इटावा)—

मेरा निवेदन सुन लीजिये।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता—

जो प्रश्न आपने उठाया है, माननीय कुंवर श्रीपालसिंह जी ने, उसका जवाब दिया माननीय मुख्य मंत्री ने। जो जवाब उन्होंने दिया था उससे ये सन्तुष्ट नहीं थे। यह संविधान का सवाल नहीं उठता है। यह सवाल भी नहीं उठता कि यह केन्द्रीय सरकार की चीज है क्योंकि यहां की सरकार उसको इमदाद देती है इसलिये उसका भी कन्ट्रोल है।

श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)—

यह बिल्कुल गलत, है झूठ है।

श्री अधिष्ठाता—

प्वाइंट आफ आर्डर हो तो बोलिये, नहीं तो बैठिये।

(अनेक सदस्यों द्वारा बोलने का उपक्रम तथा (व्यवधान)

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट (जिला फैजाबाद)—

ये पाकिस्तानी हैं इनको निकालिये।

श्री अधिष्ठाता—

आप पहले बैठिये।

श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)—

जिन लोगों ने नागरी लिपि चलाई है वे यहां के माननीय सदस्यों को क्या पाकिस्तानी कह सकते हैं।

कुंवर श्रीपालसिंह—

तो श्रीमन्, मैं कह रहा था कि रोमन लिपि के द्वारा कितना बड़ा अहित हो रहा है उसको जरा देखने की आवश्यकत है।

श्रीमन्, रोमन लिपि ने जहां हमारे पूर्वजों के नामों को खराब किया, जहां शायरों के नामों को खराब किया, जहां भाषा को भ्रष्ट किया, वहां इसने अन्तर्राष्ट्रीय नामों को भी भ्रष्ट किया है।

श्री अहमद बख्श (जिला मुजफ्फरनगर)—

श्रीमन्, प्वाइंट आफ आर्डर है। अपनी-अपनी विचार धारा सब को पसन्द होती है। जहां पचास प्रतिशत पाकिस्तानी पढ़ते हैं वहीं यहां के पचास मुस्लिम पढ़ते हैं। तो पचास प्रतिशत हिन्दुस्तानी पढ़ने वालों को क्या पाकिस्तानी कह सकते हैं?

श्री अधिष्ठाता—

पाकिस्तानियों से मतलब यहां आलोच्य नहीं। पाकिस्तान में जो रहते हैं उनसे है। माननीय अहमद बख्श जी आप बैठ जाइये।

(व्यवधान)

कुंवर श्रीपालसिंह—

मुझे माननीय अधिष्ठाता महोदय, बड़ा दुख इस बात का है कि माननीय अहमद बख्श बगैर मेरी बात सुने हुए कहना शुरू कर दिये। मैंने जो बात कही थी, वह मैं फिर से दोहराये देता हूं। इसीलिए मैंने दो विभागों के नाम बताये हैं, अगर आप सुनें न हों तो फिर से सुन लीजिए, डाक्टरी और इंजीनियरी ये दो विभाग ऐसे हैं जिसमें कुल पढ़ने वालों की संख्या के पचास प्रतिशत लड़के

[कुंवर श्री पालसिंह]

पाकिस्तान के रहने वाले हैं जो यहां पढ़ रहे हैं। उनके ऊपर रुपया हमारा खर्च हो रहा है और जब वे पढ़ कर निकलेंगे तो पाकिस्तान में जाकर काम करेंगे। मैंने यह नहीं कहा है कि हिन्दुस्तान के मुसलमान पाकिस्तानी हैं। (व्यवधान) मैं निवेदन यह कर रहा था कि हमारी भाषा को ही इस लिपि ने भ्रष्ट नहीं किया बल्कि इस रोमन लिपि ने अन्तर्राष्ट्रीय नामों को भी भ्रष्ट किया। अब्दुल जमाल नासिर का नाम इस लिपि की वजह से अब्दुल गमाल नासिर हो गया क्योंकि जी से ज 'ज' और ग दोनों होता है। लंका की प्रधान मंत्री जो पहले थीं उनका शुद्ध नाम भंडारनायक है। लेकिन जब अंग्रजी से हिन्दी और उर्दू में अनुवाद किया गया तो पहले हुआ बन्दरनायक, उसके बाद बन्दरनायका और फिर बन्दरनायके। यह है श्रीमन् जी रोमन लिपि। और केवल इतना ही नहीं आज भी जो यहां के प्रधान मंत्री है डडले सेनानायक, उनका नाम आप हिन्दी उर्दू के अखबारों में पढ़ें या आप आकाशवाणी को सुनें तो क्या कहा जा रहा है? सेनानायके। क्योंकि ए जो उसमें जुड़ गया है उसकी बजह से यह सेनानायके हो गया। तो यह सारी चीजें हैं, हमारे नाम, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता के ऊपर इस राक्षसी लिपि का प्रभाव पड़ा है वह चाहे हिन्दू हो, चाहे मुसलमान हों, मैं यह जानना चाहता हूं माननीय अहमद बख्श साहब से कि क्या रोमन लिपि में लिखा हुआ कुरान कभी भी वह शुद्ध पढ़ सकते है? मैं जानना चाहता हूं माननीय कांडपाल जी से कि क्या रोमन लिपि में लिखी हुई गीता, रामायण या महाभारत वह शुद्ध पढ़ सकते हैं? मैं जानना चाहूंगा माननीय अहमद बख्श जी से कि क्या नयी रोमन लिपि में लिखा हुआ उनके पूर्वजों का नाम कभी उनके नाती सही पढ़ सकेंगे? उनको पढ़ना पड़ेगा उलटा पुलटा। जैसा मैंने निवेदन किया 'दाग' हमारे बड़े ऊंचे शायर हो गए हैं? उनका नाम रोमन लिपि में 'डाग' हो जायगा और यह माननीय अहमद बख्श जी बर्दाश्त कर सकते हैं, हम नहीं बर्दाश्त कर सकते।

श्रीमान जी, अभी-अभी जैसा अहमद बख्श जी कह रहे थे, अलीगढ़ के पुलिस अधीक्षक का बयान निकला है कि सन् ६४ में १९९५ लोग पाकिस्तान से आये अलीगढ़ में। किसी और शहर में इतने लोग पाकिस्तान के नहीं आये। क्या कारण है? बड़े जोर से कहने लग गए कि हमने सब मुसलमानों को पाकिस्तानी कह दिया। सब मुसलमानों को हम पाकिस्तानी कहते तो आज आप यहां पर न बैठे होते, तब आप को पाकिस्तान जाना पड़ता। जो यहां के मुसलमान हैं वह भारतीय हैं। हां, अगर उनके मन में पाकिस्तान के प्रति श्रद्धा है तो मैं क्षमा चाहूगा यह कहने के लिए कि उस प्रकार के मुसलमान जिनके मन में पाकिस्तान के प्रति श्रद्धा है वह अवश्य पाकिस्तानी हैं यह मैं डंके की चोट पर कहूंगा कि वह पाकिस्तानी हैं। श्रीमन्, १९६३-६४ के सत्र में अलीगढ़ विश्वविद्यालय में ७ छात्रों ने एल० एल० बी० में हिन्दी का प्रश्न उठाया क्लास रूम के अन्दर। परिणाम क्या हुआ? उन सातों छात्रों को इम्तहान नहीं देने दिया गया और इस बात के लिए उन सात छात्रों ने नन्दा जी के यहां आवेदन किया हुआ है? हम इस चीज को हरगिज बरदाश्त नहीं कर सकते है कि हमारा ही पैसा और हमारी सरकार की तरफ से सुरक्षा प्राप्त एक संस्था हमारे प्रदेश की तथा देश की भाषा का सत्यानाश करे। सरकार अगर कुछ और नहीं कर सकती तो इतना तो कर ही सकती है कि जो अनुदान उस विश्वविद्यालय को देती है उसको बन्द कर दे।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

नियमों के मुताबिक काम करें।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल—

मैं हस्ताक्षर करने वाला हूं, मुझे एक मिनट का मौका दें

श्री अधिष्ठाता—

पहले आप स्थान ग्रहण करें।

श्री चन्द्रबलीसिंह—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अधिष्टाता—

व्यवस्था का प्रश्न नहीं कोई है, आप माननीय शिक्षा मंत्री को बोल लेने दीजिये ।

श्री चन्द्रबलीसिंह—

अध्यक्ष महोदय को १५ मिनट का समय बढ़ाने का अधिकार है । आधे घंटे का प्रस्ताव पास नहीं हुआ तो अब कार्यवाही कैसे हो रही है ?

श्री अधिष्ठाता—

आप बैठे । मैं नियमों को जानता हूं आपसे अच्छा ।

श्री चन्द्रबलीसिंह—

यह असंसदीय है आप इसे वापस लें । हमसे आपके ज्यादा अकल है, लेकिन कहिए नहीं ।

श्री अधिष्ठाता—

आप सदन छोड़ना चाहते हैं तो कहिए, वही आदेश दूं ।

श्री चन्द्रबलीसिंह—

आप हमारी अकल को चैलेंज नहीं कर सकते ।

श्री अधिष्ठाता—

आप बैठें । आप बहुत होशियार हैं ।

*वित्त मंत्री (श्री कैलाशप्रकाश)—

श्रीमन्, अलीगढ़ विश्वविद्यालय में रोमन लिपि में हिन्दी सिखाई जाती है इस प्रश्न को लेकर कुछ यहां चर्चा हुई है । सबसे पहले मैं स्थिति को स्पष्ट कर देना चाहता हूं । जैसा आप सबको मालूम है, अलीगढ़–विश्वविद्यालय केन्द्रीय विश्वविद्यालय है और केन्द्र के शासन अथवा संसद द्वारा इसका अधिनियम बना है और जो भी किसी शासन को विश्वविद्यालय में अधिकार प्राप्त होते है, वह केन्द्रीय शासन को प्राप्त हैं । इसमें शक नहीं कि इस विश्व-विद्यालय को प्रदेश के कोष से भी कुछ सहायता दी जाती है जो बहुत कम है केवल एक लाख ७६ हजार रुपये के करीब प्रति वर्ष उनको दिये जाते हैं और वह भी प्रत्येक कार्य के लिये नहीं बल्कि इसमें से बहुत काफी धनराशि किन्हीं विशेष कार्यों के लिये दी जाती है । विश्वविद्यालय से हमने इस बात की सूचना प्राप्त की कि स्थिति हिन्दी को रोमन लिपि में सिखाने की क्या है ? विश्वविद्यालय ने यह सूचना दी है कि रोमन लिपि में हिन्दी केवल उन विद्यार्थियों को सिखाई जाती है जो या तो विदेशी हों या अन्य प्रदेशों के हों और जो प्रारम्भिक हिन्दी सिखाई जाती है वह विदेशियों को तथा अन्य प्रदेशों से आने वालों को ही सिखाई जाती है । यह एक विश्वविद्यालय है और किसी भी विश्वविद्यालय में इस बात की पावन्दी कहीं पर नहीं है, जो आपने भी विश्वविद्यालय स्थापित किये हैं वहां भी पाव न्दी नहीं है और किसी भी देश अथवा प्रदेश का विद्यार्थी वहां आकर शिक्षा प्राप्त कर सकता है । अतः यह प्रश्न यहां उपस्थित नहीं होना चाहिये वरना हम संकीर्णता के दोषी माने जायेंगे । आज तो भावात्मक एकता के लिये न केवल अपने देश और प्रदेश के बल्कि विदेशों से भी विद्यार्थियों को आमंत्रित करके शिक्षा दी जाती है । इसलिये यह प्रश्न नहीं उठाना चाहिए कि कौन से देश के

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री कैलाशप्रकाश]

विद्यार्थी पढ़ते हैं और कौन देश के नहीं पढ़ते हैं ? अपने प्रदेश के विश्वविद्यालय में भी विदेशों से विद्यार्थी आकर पढ़ते हैं यद्यपि बहुत जल्दी में हमने सूचना मंगाई है कि कितने विदेशों तथा अन्य प्रदेशों के विद्यार्थी वहां पढ़ते है, हमें सूचना मिली है कि लगभग १०० विद्यार्थी विदेशों के है और सम्भवतः इतने ही अन्य प्रदेशों के हैं । उत्तर प्रदेश के जो विद्यार्थी हैं उनको किसी भी कक्षा में रोमन लिपि में हिन्दी नहीं सिखाई जाती है । इसलिए जो बात कही गई कि अनियमित है और हमारे यहां अधिनियम है । अतः वह तो जड़ से ही प्रश्न नहीं पैदा होता और यह भी हर एक कक्षा में नहीं सिखाई जाती ।

आपको मालूम है कि शिक्षा जो दी जाती है और जो उसका ढाचा कुछ प्रदेशों में है वह हमारे यहां के ढांचे से भिन्न है। हमारे यहां दसवीं कक्षा तक और १२ वीं कक्षा तक हायर सेकेंडरी शिक्षा है और फिर दो साल का डिग्री कोर्स है । कुछ प्रदेशों में ऐसा है कि ११ वीं कक्षा तक होता है और तीन साल का डिग्री कोर्स होता है तथा ११ वीं कक्षा को यूनिवर्सिटी कक्षा कहा जाता है । जो यह प्राइमरी हिन्दी विदेशियों और दूसरे प्रदेशों के विद्यार्थियों को रोमन लिपि में पढ़ाने की बात है जबरदस्ती नहीं है, वह केवल इन दो कक्षाओं में दी जाती है रोमन लिपि में । यह एक स्थिति है । हिन्दी भाषा को पढ़ाने के लिए रोमन ठीक है कि नहीं, इस अल्प समय में मैं उस प्रश्न पर नहीं जाना चाहता । माननीय श्रीपालसिंह ने जो बात कही, वह ठीक है कि रोमन भाषा में जो एक अभिव्यक्ति है, वह सम्भवतः उस रूप में न हो पावे । मैं इस प्रश्न में कि लिपि क्या है, इस अल्प समय में नहीं जाना चाहता, केवल स्थिति को स्पष्ट करना चाहता था, और उस स्थिति के आ जाने से यह बात साफ है कि वहां पर उत्तर प्रदेश के विद्यार्थियों के लिये कोई बात नहीं है । ये विश्वविद्यालय ऐसे स्थान होते हैं, और इसीलिए कुछ उनको स्वतंत्रता दी जाती है कि वह कुछ तजुर्बा करें और लिपि और भाषा का अपने देश में बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है । अपने अपने विचार हो सकते हैं किन्तु इसमें कोई सन्देह नहीं हो सकता कि भाषा और लिपि का भी बहुत जबरदस्त एक प्रश्न है । लिपि के बारे में अलीगढ़ विश्वविद्यालय कुछ तजुरबे के रूप में तथा, लोगों को सुविधा देने के लिये, जो वहां आते हैं इस वजह से कि कम से कम लोग हिन्दी भाषा तो सीख जायं, वह इस तरह की बात करते हैं । एक प्रयोग के रूप में ऐसा समझा जा सकता है । इसलिये मेरा निवेदन यह है कि इसमें कोई उत्तेजित होने की बात नहीं है । यदि विदेश के कुछ विद्यार्थियों और अन्य कुछ विद्यार्थियों को नागरी लिपि में हिन्दी पढ़ने में कुछ कठिनाई होती है और उनको अपनी हिन्दी भाषा सिखाई जाय तो इसमें कोई आपत्ति होने की बात नहीं है और उसके बारे में ऐसी बात भी नहीं कही जानी चाहिये कि उनको जो अनुदान दिया जा रहा है, वह भी न दिया जाय अथवा उनके प्रति कोई विरोध की भावना रखी जाय यह कहा जाय कि वहां इस प्रकार के विद्यार्थी पैदा होते हैं जिनको देश प्रेम नहीं होता, राष्ट्र प्रेम नहीं होता ।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

क्या माननीय मंत्री जी को यह मालूम है कि वहां पर कोई भी पाकिस्तान का नेशनल विद्यार्थी नहीं है और वहां पर वही विदेशी विद्यार्थी पढ़ने के लिये आते हैं जिनको भारत सरकार भेजती है ?

श्री कैलाशप्रकाश—

इसकी मेरे पास कोई निश्चित सूचना नहीं है ।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—

क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी को इस बात की सूचना है कि अलीगढ़ विश्वविद्यालय में जो हिन्दी लिटरेचर पढ़ाया जाता है उसके लिये रोमन लिपि अनिवार्य नहीं है ? वहां जो ऐच्छिक

विषय के रूप में हिन्दी पढ़ाई जाती है उसमें भी यह इच्छा के ऊपर है कि कोई चाहे तो रोमन लिपि में पढ़े और चाहे तो देवनागरी में पढ़े ?

श्री कैलाशप्रकाश—

मैंने निवेदन किया कि एलीमेंटरी हिन्दी ही इसमें पढ़ाई जाती है और यह भी निवेदन किया कि यह किसी की भी इच्छा पर निर्भर करता है कि वह चाहे तो देव नागरी में हिन्दी पढ़े चाहे रोमन लिपि में पढ़े। जहां तक मेरी जानकारी है किसी के ऊपर पाबन्दी नहीं है।

श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी)—

क्या माननीय मंत्री जी यह बात बतायेंगे कि जो गैर भारतीय छात्र हैं और जो हिन्दी पढ़न चाहते है और उन्हें देवनागरी में कठिनाई होती है तो उनको सुविधा देने के लिये रोमन लिपि में उनको हिन्दी सिखायी जाती है इसके लिये अलीगढ़ विश्वविद्यालय ने ऐसी व्यवस्था की है। क्या ऐसी ही व्यवस्था और विश्वविद्यालयों में उन लोगों को सुविधा देने के लिये की गयी है ?

श्री कैलाशप्रकाश—

भारत के समस्त विश्वविद्यालयों के बारे में मेरी जानकारी नहीं है।

कुंवर श्रीपालसिंह—

क्या माननीय मंत्री यह बतायेंगे कि जिस प्रकर से अन्य प्रदेशों और देशों के विद्यार्थियों को अलीगढ़ विश्वविद्यालय हिन्दी और उर्दू को रोमन लिपि में पढ़ाता है तो क्या माननीय मंत्री जी कोई ऐसा सर्कुलर निकालेंगे कि विश्वविद्यालयों में अंग्रेजी देवनागरी लिपि में पढ़ाई जाया करे जो उस लिपि में उसको पढ़ना चाहे ?

श्री कैलाशप्रकाश—

जी नहीं विश्वविद्यालयों के लिये इस प्रकार का सर्कुलर नहीं निकाला जाता।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल—

क्या माननीय मंत्री जी देवनागरी स्क्रिप्ट की शुद्धता की रक्षा करने के लिये और इसलिये कि उसका स्वरूप विकृत न हो जाय यूनिवर्सिटीज को यह सुझाव देंगे कि हिन्दी यथासंभव देवनागरी लिपि में ही पढ़ाई जाया करे ?

श्री कैलाशप्रकाश—

मैं तो इस बात को मानता ही नहीं कि इस बात से देवनागरी का शुद्ध रूप नष्ट हो जायगा कि दूसरी भाषा या लिपि में कोई देवनागरी पढ़ना चाहता हो।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस समय अलीगढ़ विश्वविद्यालय में कितने विद्यार्थियों को रोमन लिपि में हिन्दी सिखाई जा रही है ?

श्री कैलाशप्रकाश—

जैसा मैंने निवेदन किया कोई लिखित आकड़े या सूचना तो मेरे पास नहीं है लेकिन दूर प्रसारक द्वारा जो विश्वविद्यालय के अधिकारियों से आज बातचीत हुई वह यह है कि लगभग १०० तो ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि विदेशों से आये हैं और इतने ही विद्यार्थी लगभग ऐसे हैं जो दूसरे प्रदेशों से आये हैं। उनमें से कितने रोमन द्वारा प्राथमिक हिन्दी पढ़ते हैं इसके आंकड़े प्राप्त नहीं हैं।

श्री अधिष्ठाता—

अब हम उठते हैं और कल ११ बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन ५ बजकर ३२ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

देवकी नन्दन मितथल,

सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ,
३० मार्च, १९६५ ।

विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न १ का उत्तर पीछे पृष्ठ ११५ पर)

राजकीय नलकूप संख्या १० फरेन्दा ग्रुप में गन्ने की आबपाशी

वर्ष	गन्ने की आबपाशी (एकड़ में)
	एकड़
१९६०–६१	२
१९६१–६२	२
१९६२–६३	—
१९६३–६४	—
१९६४–६५	१

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ११६ पर)

१—६ नलकूप चालकों के बिल महालेखाकार को प्रीआडिट के लिये प्रेषित किये जा चुके हैं ।

२—३ नलकूप चालकों के बिल अधीक्षण, अभियन्ता, सिंचाई कार्य मंडल, गोरखपुर में विचाराधीन हैं ।

३—२ बिल कोषाध्यक्ष, गोरखपुर के पास विचाराधीन हैं ।

४—शेष ३ बिलों में विलम्ब का कारण बढ़ोत्तरी वेतन देर से स्वीकृति होना एवं सेवा पुस्तिका देर से खुलना है ।

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ११८ पर)

परमिट ग्रहीता का नाम	सबसे पहले परमिट मिलने की तिथि
सर्वश्री—	
१—जमुना राम	२१–७–५६
२—दामू पान्डे	२४–७–५६
३—हृदया नन्द सिंह	२२–७–५६
४—परमानन्द राम	१–१०–५६
५—अमरनाथ मिश्रा	३०–८–५६
६—राम गोविन्द दुबे	२२–५–५१
७—शिव जी मिश्रा	२१–२–५७
८—सच्चिदानन्द सिंह	१४–१०–५५
९—विशुन देव तिवारी	१९–११–५५
१०—जगदीश नारायण मिश्रा	८–३–५१
११—देवेन्द्र सिंह	१–३–५१
१२—वीरेन्द्र सिंह	१–१०–५१
१३—सर्वजीत तिवारी	२६–९–५९

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न १८ का उत्तर पीछे पृष्ठ १२१ पर)

सूची

जिला सहारनपुर

क्रम संख्या	स्थानों का नाम	क्रम संख्या	स्थानों का नाम
१	छाटमलपुर	३५	रतन का पुरवा
२	मेवाड़ कलां	३६	कैलाशपुर
३	मोहम्मदपुर जाट	३७	खेलाड़ी
४	गुरुकुल नारसन	३८	आनाली
५	लकशर बजार	३९	हरपाल
६	झबेरा,	४०	बोंगला
७	बहादराबाद	४१	जमालपूर
८	बझेरी,	४२	मिरजापुर
९	बेतरा	४३	जैनपुर
१०	सीतापुर	४४	जगजीतपुर
११	लन्धौरा	४५	चौरोदियाला
१२	भगवानपुर	४६	लकसारी
१३	बेहला कलां, वेहला खुर्द	४७	कुमार हेरा
१४	धनदेरा	४८	रनदेविया
१५	बेहरा संदल सिंह	४९	सलियार
१६	नौहेरा अनन्तपुर	५०	नगला हमरती
१७	सलीमपुर	५१	अम्बेहटा
१८	तेलवारा	५२	मलदासपुर मजरा
१९	सिधौली	५३	खुम्बानपुर
२०	अमेहता	५४	रोहतकी किशनपुर
२१	रामपुर	५५	सलीमपुर २
२२	शकाटी	५६	सैदपुरा
२३	बुदपुर जट	५७	साहालपुर
२४	मानिक मऊ	५८	जोलि
२५	सप्त सरोवर	५९	चंदबाई कालोनी
२६	तितरान	६०	गदोवाली
२७	पनियाला	६१	सराना
२८	हरजूली	६२	मालिकपुर
२९	खेरा अफगान	६३	बहादुरपुर
३०	कंद पुरी	६४	भुकानपुर
३१	सिर साला	६५	बक्सरा (बसेरा)
३२	खंजरपुर	६६	सरसावा
३३	पीरकलियार	६७	भरमन
३४	नथर देवा		

क्रम सं०	स्थानों का नाम	क्रम संख्या	स्थानों के नाम
६८	ढकलौरी	१०६	सरसेना
६९	रन देवा	१०७	मजरा
७०	बहादुरपुर जट	१०८	पनझारी
७१	खेरा मुगल	१०९	अहमदपुर
७२	शंकरपुर	११०	चांदपुर २
७३	नगला १	१११	जिया पाटा
७४	बुधेरी	११२	काटा
७५	नगला २	११३	मिसरपुर
७६	लक्सर	११४	मानकपुर
७७	दौलतपुर	११५	सिरसाली खुर्द
७८	गढ़	११६	पटनी
७९	मागल हेरी	११७	नगलीनूर
८०	फतेहपुर	११८	माही
८१	मीरपुर	११९	बाबूपुर
८२	नलहेरा २	१२०	सिमलाना
८३	कुतुबपुर	१२१	हलालपुर
८४	गुनरसा	१२२	कुसाहेरा
८५	इसलाम नगर	१२३	दुभरकी किशनपुर
८६	सेठपुर	१२४	चमारी खेरा
८७	तादा	१२५	धनौरा
८८	खटका	१२६	सुलतानपुर १
८९	बुध खेरा	१२७	चांदपुर १
९०	कल्यानपुर	१२८	दोंगरौली
९१	गुनारसी	१२९	नारसन कलां
९२	मोहनपुरा	१३०	बीरा खेरी
९३	इमलिया	१३१	सोना
९४	रमजानपुर	१३२	चिल काना
९५	छोटी समरी	१३३	पूरनपुर
९६	रन खन्डी	१३४	बालपुर
९७	बसेरी	१३५	सैद मजरा
९८	रसूलपुर	१३६	खेलपुर
९९	भगेड़ी	१३७	ऐथल
१००	बधेरी	१३८	गढ़ी
१०१	बड़ी उमरी	१३९	बन्दहेरी
१०२	बरहामपुर	१४०	खेरी झुनका
१०३	अजीतपुर	१४१	जरोद जट
१०४	गोपाली	१४२	मनौली
१०५	तलेहरी बुजुर्ग		

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न २५ का उत्तर पीछे पृष्ठ १२६ पर।)

चालू वित्तीय वर्ष, १९६४–६५ में देवरिया जिला के मोती चक ब्लाक में ९ नलकूप निम्नलिखित स्थानों पर लगाये जा रहे हैं :—

१—सोनिया
२—पकौली
३—काडुरा
४—पकड़ी
५—मलूही
६—खुखिया
७—बिस्ता बिलभरिया
८—डुमरी
९—मथौली।

चालू वित्तीय वर्ष, १९६४–६५ में देवरिया जिले के सुकरौली ब्लाक में कोई नलकूप नहीं लगाया जा रहा है।

सत्यमेव जयते

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३४ का उत्तर पीछे पृष्ठ १३१ पर)

सूची 'अ'

जिला वाराणसी

क्रम सं०	स्थान का नाम	क्रम सं०	स्थान का नाम
१	भदोही	२७	गोधाना
२	ग्यानपुर	२८	बेरवा पहाड़पुर
३	गोपीगंज	२९	बरवा टाउन
४	चकिया	३०	महाराजगंज
५	चन्दहा	३१	करौना
६	माया बाजार	३२	चन्दौली
७	ख़मरिया	चन्दौली पालीटेकनिक	
८	चौरी बाजार	३३	बलूरी
९	गोसिया	३४	सैयद रजा पोरसन १
१०	ऊगापुर बाजार	३५	सैयद राजा पोंरसन २
११	पिंडरा (पर्सोपुर)	३६	सिंधौरा
१२	सुर्जीवाला	३७	फूलपुर
१३	अनाई बाजार	३८	घमाहपुर कौर
१४	कौर बाजार	३९	बसनी
१५	तारी बाजार	४०	देवचन्दपुर
१६	जंगी गंज	४१	बेलवा
१७	बरौरा बाजार	४२	सुधवा
१८	मोंध	४३	बड़ा गांव
१९	धौंकल गंज	४४	केरीआन बाजार
२०	नवाबा बाजार	४५	थठरा
२१	कथरौन	४६	मानापुर
२२	गोपीपुर	४७	छतेरी
२३	माधो सिंह	४८	सराय बाबू
२४	मिरजा मुराद	४९	बाजार कालिका
२५	मुसितापुर	५०	सूनयचा
२६	कटरा टाउन	५१	औरई

सूची 'ब'

जिला वाराणसी

क्रम संख्या	स्थान का नाम	क्रम संख्या	स्थान का नाम
१	कपसेठी	१६	दिगहव
२	कुन्डा किला	१७	प्रभापुर
३	बेदुनामपुर	१८	कमालपुर
४	राठा	१९	रामगढ़
५	मजहबा	२०	नाथी
६	बारापुर	२१	निधौरा
७	बरैनी	२२	धानपुर
८	मवैया	२३	टान्डा
९	जयरामपुर	२४	सईदगांव
१०	असनबा	२५	हिंगांटार
११	सैराई	२६	धरौरा
१२	सारीपुर	२७	कल्यानपुर
१३	खरौंजा	२८	नौबतपुर
१४	निगुरा	२९	इल्लिया
१५	कान्ता		

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५२ का उत्तर पीछे पृष्ठ १३५ पर)

प्रश्न ५२ (ब) और (स) के उत्तर

क्रम-संख्या	कन्डक्टर का नाम		नौकरी से हटाए जाने की तारीख	पुनः नियुक्ति की तारीख	टरमिनेशन आज्ञा के शब्द	
१	सर्वश्री मिही लाल	..	१७-६-६०	७-१२-६१	संलग्न है	(१)
२	लल्लू मल मित्तल	..	७-११-६०	२७-७-६२	„	(२)
३	सईदुर्रहमान	..	१५-११-६०	१६-७-६१	„	(३)
४	मोहम्मद शरीफ द्वितीय	..	२६-११-६०	..	„	(४)

Extracts of Office order no.AGM/KR/Dis-5855, dated November 30, 1960.

In view of what has been stated above and taking into consideration the facts, circumstances of the case and overwhelming documentary evidence on record, I am fully convinced beyond any shadow of doubt that the conductor Sri Mehi Lal did carry 21 passengers without ticket from Kara to Allahabad with a view to misappropriate the Government Revenue accrued as fare from these without ticket passengers. Had the bus not been checked, the conductor would have certainly misappropriated the legitimate Government income. The charges thus framed have fully been established on the conductor Sri Mehi Lal and he is therefore dismissed from service with effect from November 30, 1950.

P. B. LALORAYA,
Assistant General Manager.

OFFICE OF THE ASSTT. GENERAL MANAGER
U. P. Government Roadways,
Kanpur

No. AGM/KR/EST-5210 *Dated November* 4, 1960.

OFFICE ORDER

The services of Sri Lalloo Mal Mittal, conductor of Fatehpur Depot are hereby terminated with immediate effect as they are no longer required. In terms and conditions of his service, he shall get one month's pay in lieu of one month's notice.

P. B. LALORAYA,
Assistant General Manager.

OFFICE OF THE ASSTT. GENERAL MANAGER
U. P. Government Roadways.
Kanpur

No. AGM/KR/EST-5429 *Dated November* 12, 1960.

ORDER

Services of Sri Seedul Rahman, conductor of Fatehpur Depot are hereby terminated with immediate effect, as no longer required. In terms and conditions of his service he shall get one month's pay in lieu of one month's notice.

P. B. LALORAYA,
Assistant General Manager.

OFFICE OF THE ASSTT. GENERAL MANAGER
U. P. Government Roadways,
Etawah

No . Est/Dis/60-9386 *Dated November* 25, 1960.

NOTICE OF TERMINATION OF SERVICE

The services of Sri Mohd. Sharif II conductor of Etawah depot are hereby terminated with immediate effect as they are no longer required. In terms of conditions of his serivces he will get one month's pay in lieu of notice on the date he is relieved.

L. CHARAN,
Asstt. General Manager.

नत्थी 'ज'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७६ का उत्तर पीछे पृष्ठ १३८ पर)

करहवाताल ड्रेन—इसका सर्वेक्षण कर लिया गया है। आशा है कि अप्रैल, १९६५ में इस पर कार्य आरम्भ होकर अगली बरसात तक पूरा हो जायेगा।

भावा ड्रेन (वेहली मुबारकपुर झील)—इस नाले की खुदाई का कार्य फरवरी, १९६५ में आरम्भ हो चुका है, और मार्च, १९६६ तक इसके पूरा हो जाने की संभावना है।

संसद सदस्य

नत्थी 'झ'

(देखिए अतारांकित प्रश्न १० का उत्तर पीछे पृष्ठ १४१ पर)

सिंचाई विभाग के अन्तर्गत गाजीपुर जिले में कार्य कर रहे अभियन्ताओं तथा ओवरसियरों की सूची

क्रमांक	अभियन्ताओं के नाम	खन्ड का कार्यभार संभालने की तिथि	खन्ड का नाम	उपखन्ड का नाम
१	२	३	४	५
१	श्री प्रयाग नारायण अग्रवाल अधिशासी अभियन्ता ..	२६-९-६३	सिंचाई खन्ड गाजीपुर।	..
२	श्री घनश्याम दास गर्ग-सहायक अभियन्ता	१३-९-६३	..	प्रथम उप खन्ड गाजीपुर ।
३	श्री हरवंश लाल श्रीवास्तव सहायक अभियन्ता	१३-१-६३	..	द्वितीय उपखन्ड गाजीपुर ।
४	जगदीश प्रसाद वारशणेय सहायक अभियन्ता	२७-९-६२	चन्द्रप्रभा खन्ड वाराणसी	पंचम उपखन्ड जमानिया, गाजीपुर।

क्रमांक	ओवरसियरों के नाम	खन्ड का कार्य-भार संभालने की तिथि	खन्ड का नाम	उपखण्ड का नाम
१	श्री शैलेष कुमार सिंह ..	१-२-५९	सिंचाई खन्ड गाजीपुर।	प्रथम उपखण्ड गाजीपुर ।
२	श्री ओउम प्रकाश कटियार	४-२-५८	..	..
३	श्री विन्देश्वरी सहाय ..	१-८-६२	..	..
४	श्री सदानन्द ..	३-३-५९	..	..
५	श्री ईश्वर चन्द मिश्रा ..	११-७-६०	..	..
६	श्री मदन मोहन मनि त्रिपाठी	१५-८-६४	..	..
७	श्री जय सिंह जोधका ..	२१-७-६४	..	द्वितीय उपखण्ड गाजीपुर ।
८	श्री कपिल देव पान्डेय ..	१०-९-६४	..	..
९	श्री कृष्ण स्वरूप उपरेती	१-५-६२	चन्द्रप्रभा खन्ड वाराणसी	पंचम उप खण्ड जमानिया गाजीपुर।
१०	श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल ..	१२-२-६२	..	..
११	श्री सेवा राम ..	२८-७-६४	..	..
१२	श्री अकबर मेहदी ..	७-१-६३	..	..
१३	श्री मुहम्मद सफातुल्लाह ..	२९-७-६३	..	..

नत्थी 'ञ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ११ का उत्तर पीछे पृष्ठ १४१ पर)

क्रम-संख्या	नलकूप का नम्बर	नलकूप का नाम	ग्रुप	जिले का नाम	नलकूपों के बन्द होने की तारीख
१	४४	कनवारा कलां ..	युसुफपुर	गाजीपुर	.. ८–५–६३
२	४७	सियोरीडीह ..	,,	,,	१४–९–५९
३	४९	असावर ..	,,	,,	२–६–६३
४	८	कहोत्री ..	गाजीपुर	,,	९–१–६२
५	२९	शेखपुर ..	..	,,	१०–१०–५७
६	५	सैदपुर ..	सैदपुर	,,	२२–४–६१
७	२२	रामपुर बलभद्र ..	..	,,	२३–४–६३
८	३३	तिलखारा खुर्द ..	..	,,	६–८–६४

वित्तीय वर्ष १९६२–६३, १९६३–६४ व १९६४–६५ (७–३–६५ तक) नलकूपों के चालित घंटों तथा उनसे हुई आमदनी का ब्योरा—

सन्	चालित घंटे	आय (रु० में)
१९६२–६३	३,१२,३५५	४,९७,४६३
१९६३–६४	३,८३,४१७	६,०५,९६६
१९६४–६५ (खरीफ तक) ..	४,१४,७१०	३,१६,८२४

पी० एस० यू० पी० ए० पी० २२ एल० ए०—१९६५—८६२।